द्वितीय माला, खण्ड २०——अंक २७

१६ सितम्बर, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

(खण्ड २० में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

201A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २०--अंक २१ से ३०--८ सितम्बर से १९ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक २१ सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९, १०११ से १०१७ और १०१९ से १०२२ . . . . २४९१--२५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१०, १०१८ और १०२३ से १०५४ . २५१३--२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ से १६९६ . . . २५२७--५३

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट . . . २५५३--५९

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

दो सदस्यों को सजा २५५९-६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २५६०

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धि . . २५६१

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक--पुर:स्थापित २५६१

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक--पुःरस्थापित २५६२

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५६२--९७

खण्ड २ और ३ . . . . . २५८९--९७

खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य २५९७--२६००

दैनिक संक्षेपिका २६०१--०६

पृष्ठ

अंक २२—मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५५, १०५६, १०५८, १०५९, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७ से १०६९, १०७१ से १०७४, १०७६, १०७८ और १०७९ . . . . . २६०७—३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २६३१—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०७०, १०७५, १०७७, १०८० से १०८९ और ५६५ . . २६३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९७ से १७५५ . . . २६४१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना . . . . २६६८—७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७४—७६

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य २६७५

राज्य सभा से सन्देश २६७६

लोक लेखा समिति—

९वीं रिपोर्ट २६७६

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

खण्ड ४ से १४ और १ . . . . . २६७७—९५

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २६९४–९५

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्यपदार्थों से हुई घटनाओं के बारे मे प्रस्ताव . . . . . . २६९५—२७०४

दैनिक संक्षेपिका . . . २७०५–०९

अंक २३—बुधवार, १० सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से ११०० और ११०३ से ११०८ २७११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०१, ११०२, ११०९ से ११३७, ६३१ और ६७४ . . . . . . २७३४—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५६ से १८१४ और १८१६ से १८३० २७४९—८१

पृष्ठ

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७८१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना . . . . २७८१—८४, २७८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . २७८४

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २७८६—९५

खण्ड २ और १ . . २७९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव . २७९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २७९५—२८०५

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा २८०६—१६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . २०१६

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . २८१६

दैनिक संक्षेपिका . . २८१७—२१

अंक २४—गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११४५, ११४७, ११५०, ११८३, ११५१ से ११५४, ११५६ से ११५९, ११६२ से ११६४, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१ और ११७२ . . . . २८२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४६, ११४८, ११४९, ११५५, ११६०, ११६१, ११६५, ११६७, ११७०, ११७३ से ११८२ और ११८४ . . . . . . २८४९—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ से १९०३, १९०५ से १९१३ और १९१५ से १९१८ . . . . . २८५९—९२

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न . . . २८९२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . २८९२–९३

राज्य-सभा से सन्देश . . . २८९३

याचिका का उपस्थापन २८९३

पठानकोट में गोला-बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . २८९३–९४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . २८९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . २८९५—२९३२

दैनिक संक्षेपिका . . . २९३३—३९

अंक २५—शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८, ११९० से ११९६, ११९८ से १२०३, १२०७ और १२०८ . . . २९४१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . २९६६—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८९, ११९७, १२०४ से १२०६ और १२०९ से १२२२ . . . . . २९७०—७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ से १९७२ और १९७४ से १९९९ २९७७—३०१०

सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन ३०१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०१०–११

राज्य सभा से सन्देश ३०११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम . ३०११—१६

तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि . ३०१६–१७

तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर की शुद्धि . . ३०१७

सभा का कार्य . . ३०१७

तेल की खोज के बारे में वक्तव्य . . ३०१८

समिति के लिये निर्वाचन—

प्राक्कलन समिति . . ३०१८–१९

पृष्ठ

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—

पुरःस्थापित . . ३०१९

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ३०१९—२५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३०२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . ३०३१–३२

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प—

वापिस लिया गया ३०३२—३४

कुछ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत . . . . . ३०३५—४८

उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प . . ३०४८

दैनिक संक्षेपिका . . ३०४९—५५

अंक २६—सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ से १२२५, १२२७, १२२८, १२३०, १२३२ से १२३५, १२३७ से १२४१, १२४३ से १२४८ और १२५३ . ३०५७—८३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ३०८३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२९, १२३१, १२३६, १२४२, १२४९ से १२५२ और १२५४ से १२६३ . . . ३०८६—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०८९ . ३०९५—३१३२

स्थगन प्रस्ताव—

किमाय और माट्सू द्वीप के संबंध में वाशिंगटन में वित्त मंत्री का वक्तव्य . . . . ३१३२—३५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३१३६—३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३१३८–३९

राज्य-सभा से सन्देश ३१३९

	पृष्ठ
एक सदस्य की गिरफ्तारी तथा सजा . . .	३१३९
एक सदस्य की गिरफ्तारी	३१३९
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव——	३१३९——५४
गन्दी बस्तियाँ हटाने के बारे में मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा	३१५४——७७
दैनिक संक्षेपिका	३१७८——८४
अंक २७——मंगलवार, १६ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७, १२६९, १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८१, १२८३, १२८४, १२८७ और १२८८ .	३१८५——३२०९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३२०९——११
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १२,६४, १२६८, १२७०, १२७७, १२८२, १२८५, १२९६, और १२८९ से १३०५ .	३२११——२०
अतारांकित प्रश्न संख्या २०९० से २१७६	३२२०——५३
दो सदस्यों की गिरफ्तारी .	३२५३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३२५४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी	३२५५–५६
वाणिज्यक नौवहन विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३२५६——९५
दैनिक संक्षेपिका	३२९६——३३०२
अंक २८——बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ से १३१०, १३१२, १३१५ से १३१७, १३२१ से १३२८ और १३३०	३३०३——२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ .	३३३०–३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर ——	
तारांकित प्रश्न संख्या १३११, १३१३, १३१४, १३१८ से १३२०, १३२९ और १३३१ से १३४९	३३३१——४१

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ से २२६३ ३३४१—७९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३३७९—८०

जानकारी का प्रश्न ३३८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३८०—८१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां प्रतिवेदन . ३३८१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप ३३८१

विष (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . ३३८१—८२

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार .

खण्ड २ से २०, २२ से १००, १०२ से १४९, २१, १०१, १०३ से ४६१, अनुसूची और खंड १ . ३३८२—३४१६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ३४१३—१६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३४१६—२८

दैनिक संक्षेपिका . ३४२९—३४

अंक २९—गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५०, १३५१, १३५४, १३५६ से १३६५ और १३६७ . . . ३४३५—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५२, १३५३, १३५५, १३६६, १३६८ से १३७९ और १३८१ से १३९५ . . ३४५७—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ से २३७६ ३४६९—३५१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३५२०

एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना . . . ३५२१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . ३५२१—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३५६२—६९

अंक ३०—शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९६, १३९८ से १४००, १४०२, १४०४, १४०५, १४०८, १४०९, १४११, १४१२ और १४१४ .	३५७१—९५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९७, १४०१, १४०३, १४०७, १४१०, १४१३ और १४१५ से १४२६ .	३५९५—३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ से २४३६	३६०२—२६
डा० भगवान दास का निधन	३६२६—३०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६३०—३१
राज्य सभा से सन्देश	३६३१
सभा का कार्य . .	३६३१—३२
समितियों के लिये निर्वाचन .	३६३२—३३
१. प्राक्कलन समिति; और	
२. लोक लेखा समिति ?	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	३६३३
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . .	३६३३—४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताइसवां प्रतिवेदन	३६४७
अयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३६४८
छावनी (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३६४८—५९
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	३६५९—६३
कार्य मंत्रणा समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन . . .	३६६३
सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	३६६३
दैनिक संक्षेपिका	३६६४—७०

नोटः— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, १६ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली के अध्यापक

+

†*१२६५. { श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बल्मीकी :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री रामम् : }

क्या शिक्षा मंत्री ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अध्यापकों की विचाराधीन मांगों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी ५ सितम्बर, १९५८ को लोक-सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या कोई मांग ऐसी भी है जिसके बारे में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

201(A) LSD—1

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उनकी २५ मांगें थीं जिनमें से १७ स्वीकार कर ली गयी हैं, तीन पर वेतन आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद विचार किया जायेगा और पांच अस्वीकार कर दी गयी हैं। मैं पुनः माननीय सदस्य का ध्यान सभा-पटल पर रखे गये ब्यौरे वार विवरण की ओर आकृष्ट करता हूं।

†**श्री राम कृष्ण** : विवरण में मैंने देखा है कि अधिकांश मांगें मान ली गयी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये, इन मांगों को पूरा करने पर वर्ष का अतिरिक्त व्यय कितना होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** उसका कोई असर नहीं पड़ता। अतिरिक्त खर्च कुछ भी हो, उसे पूरा किया जायगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जहां तक मांग संख्या ८ का सम्बन्ध है, यह कहा गया था कि एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिये और मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यह मांग मान ली गयी है। किस प्रकार का न्यायाधिकरण नियुक्त किया जा रहा है और न्यायनिर्णयन के लिये क्या मसला उसके समक्ष रखा जायगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : शिक्षा निदेशालय ब्यौरे की यह सब बातें तय करेगा। सम्बन्धित प्रशासन को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने की हिदायत दे दी गयी है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो राजकीय स्कूल हैं उन पर भी इन मामलों का असर पड़ेगा या जो राज्य द्वारा स्वीकृत स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं, उन पर ही असर पड़ेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न सम्बन्ध रखता है उन मांगों से जो दिल्ली के अध्यापकों ने रखी थीं और जो स्टेटमेंट मैंने सभा-पटल पर रखा था वह उन्हीं मांगों से सम्बन्धित था। मैं आपका ध्यान उस स्टेटमेंट की ओर आकर्षित करूंगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : विवरण से पता चलता है कि वेतन नियमित रूप से दिये जाने की मांग को कमोबेश तय हो गयी माना गया है, लेकिन वेतन कब से नियमित रूप से नहीं दिये गये हैं और क्यों नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अधिकांश कठिनाइयां इसलिये उठीं कि गैर-सरकारी स्कूलों—जिनमें से अधिकांश प्राइमरी स्कूल थे—के प्रबन्धक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे। उनके पास आवश्यक संसाधन नहीं थे और वे सहायक अनुदान की राशि भी नहीं ले पाते थे क्योंकि उनके पास खुद अपना रुपया नहीं होता था। इन सभी संस्थाओं के खिलाफ़ हम सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ को बन्द कर दिया गया है और कुछ को यह नोटिस दे दिया गया है कि सरकार अपनी संस्थायें खोल रही है। मैंने दिल्ली प्रशासन को निश्चित आदेश दे दिये हैं कि अध्यापकों के वेतन नियमित रूप से दिये जाने चाहियें।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : गैर-सरकारी स्कूलों में वेतन का भुगतान किस तरह किया जाता है, मैनेजर के ज़रिये या हेडमास्टर के ? क्या सरकार मैनेजरों के बजाय हेडमास्टरों के ज़रिये भुगतान कराने की व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : "कृपालानी प्रतिवेदन" में इस मामले में कुछ सुझाव दिये गये हैं और यह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है। अन्तरिम कार्यवाही के रूप में मैंने शिक्षा-निदेशक

---

†मूल अंग्रेज़ी में

से कहा है कि वह कुछ शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन का भुगतान सीधे कर दें। यह तो अन्तरिम कार्यवाही थी लेकिन दीर्घकालीन कार्यवाही के रूप में भी इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मांग संख्या ७ (घ) सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की मुफ्त चिकित्सा और तिहरी-लाभ योजना[1] के बारे में है और मंत्री महोदय ने कहा है कि इस मांग के विभिन्न प्रभावों पर विचार किया जा रहा है। इन पर विचार कौन कर रहा है और इस मांग पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** दिल्ली प्रशासन भारत सरकार के साथ मिलकर इस पर विचार कर रहा है और यद्यपि मैं कोई अवधि तो नहीं बता सकता लेकिन इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह मसलौ जितनी जल्दी हो सके तय कर लिया जाय।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि करोल बाग़ के विद्या भवन स्कूल के अध्यापकों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है ; और यदि हां, तो अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : किसी विशेष संस्था के बारे में कुछ कह सकना तो मेरे लिये कठिन है लेकिन मैं निश्चय ही आज ही इस मामले की जांच करूंगा।

हिमाचल प्रदेश में अफ़ीम के भूतपूर्व कृषकों का पुनर्वास

*१२६६. **श्री पद्म देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के जिन क्षेत्रों में अफीम की खेती बंद कर दी गई है उनके विकास के लिए भारत सरकार ने कुछ धन राशि मंजूर की थी; और

(ख) इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में कितनी राशि व्यय की गई और उसे किन-किन योजनाओं पर व्यय किया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

योजना	जिला	खर्च की गयी रक़म १९५६–५७ रु०	१९५७–५८ रु०
सड़कों का निर्माण	महासू	१,७६,८०५	१७,२०,००० (अनुमित)
	सिरमौर	५,५६,८५२	११,३०,००० (अनुमित)
	जोड़	७,३३,६५७	२८,५०,०००

†मूल अंग्रेजी में

[1]Triple Benefit Scheme.

श्री पद्म देव : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जिस वक्त अफीम की कल्टीवेशन हिमाचल में बन्द की गई थी, उस वक्त लोगों की जो इस के द्वारा आय थीं वह कोई ११ लाख के करीब थी और तब यह आश्वासन दिया गया था और प्रोपेगंडा भी मिनिस्टर्स के द्वारा खास तौर से किया गया था कि आप के लिये सड़कें बनाई जायेंगी, फ्रूट नर्सरीज़ फ्री दी जायेंगी और इसी तरह की दूसरी जो इमदाद हो सकती है वह भी की जाएगी। अब जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उससे मालूम होता है कि आपने तकरीबन ४,००० एरिया में १,७६,८०५ रुपये की सड़कें महासू में बनाई गई हैं......

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को जो अनुपूरक प्रश्न पूछना हो उसे पहले से सोच लें। विवरण की सभी बातों का हवाला देने की जरूरत नहीं है। वह सीधा प्रश्न पूछें।

श्री पद्म देव : मैं जानना चाहता था कि इतनी बड़ी क्षति की मौजूदगी में अभी तक सरकार ने इस दिशा में तकरीबन कुछ भी नहीं किया है, इसका क्या कारण है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं इसे नहीं मानता।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न सोच कर बाद में पूछें। श्री त्यागी।

†**श्री त्यागी :** हिमाचल प्रदेश में विकास के कौन-कौन से कार्य आरम्भ किये गये हैं। क्या सरकार का इरादा देहरादून जिले के जौन्सार बाबर क्षेत्र के संबंध में भी यही व्यवहार करने का है— जहां इस वर्ष पोस्त की खेती बन्द कर दी गयी है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** विकास कार्यों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों से है और इस के बारे में जो भी व्यौरे वार जानकारी अपेक्षित होगी उसे खाद्य तथा कृषि, वाणिज्य तथा उद्योग और परिवहन आदि मंत्रालयों से जमा करना पड़ेगा। यह प्रश्न सड़कों के विकास के संबंध में है। माननीय सदस्य ने जिस क्षेत्र का जिक्र किया है उस में यह तो सच है कि इस वर्ष से पोस्त की खेती बन्द कर दी गयी है, लेकिन यदि अवस्थायें एक जैसी हों तो निश्चय ही इस कार्यवाही के विषय में विचार किया जायेगा।

श्री पद्म देव : अभी माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि मैं नहीं मानता हूं। उनको जबर्दस्ती तो मनवाया नहीं जा सकता है। मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं। मैं आपको बतला सकता हूं कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अगर कीमती योजना में गिनते हैं तो दूसरी चीज है। मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त जो आश्वासन दिये गये थे, उन में से कौन-कौन सी सड़कें महासू और सिरमौर में बनी हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इसकी सूची बड़ी लम्बी है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इसे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में सभा-पटल पर नहीं रखा गया है जिस में प्रत्येक क्षेत्र में और योजना पर हुआ व्यय पूछा गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जी नहीं, योजनाओं का व्यौरा पटल पर नहीं रखा गया, केवल राशि का विवरण रखा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसे भी रख दिया जाय।

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं योजनाओं के व्यौरों का भी एक विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह भी प्रश्न का ही एक भाग है।

†श्री बोस : पोस्त की खेती बन्द करने का कितने लोगों पर असर पड़ा है ?

†श्री ब० रा० भगत : इसका निश्चित उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

रूरकेला में उपोत्पादों के कारखाने

†*१२६७. श्री मुरारका : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के उपोत्पादों के कारखाने में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ;

(ख) उसका मूल कार्यक्रम क्या था ;

(ग) यदि देर हुई हो, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस देरी से कितनी हानि होने का अनुमान है ?

†इस्पात, खान, और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा): (क) और (ख). उपोत्पादों के इस कारखाने में १५ सितम्बर, १९५८ और १ अक्तूबर, १९५९ के बीच प्रावस्थाओं में उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है। यह मूल कार्यक्रम के अनुसार ही है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†श्री मुरारका : उपोत्पादों के इस कारखाने के लिये सलाहकार कौन हैं और उनकी फीस कितनी है ?

†इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इस कारखाने के लिये कोई पृथक् सलाहकार नहीं है। कापर्स–एक्सपोर्ट, एसेन, पश्चिमी जर्मनी इस कारखाने का संभरण कर रहे हैं।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : उपोत्पादों के इस कारखाने में किन-किन उप-उत्पादों का निर्माण होने की संभावना है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : तारकोल, अमोनिया-लिकर और बेन्ज़ोल।

†श्री मुरारका : भिलाई और दुर्गापुर के उपोत्पाद कारखानों की तुलना में इस कारखाने की कुल लागत कितनी है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : इस कारखाने की कुल लागत ८ करोड़ रुपये है।

†श्री मुरारका : दुर्गापुर और भिलाई की कुल लागत कितनी है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : अभी कोई लागत नहीं कूती गयी है।

†श्री बोस : यहां जो उपोत्पाद तैयार किये जायेंगे वह क्या सिन्दरी में बनने वाले उप-उत्पादों से अधिक या कम होंगे ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : वास्तव में उपोत्पाद उस कोलतार की बनावट पर निर्भर है जो हमें कोयले के भट्टे से मिलेगा और साथ ही यह विशेषरूप से उस कोयले पर निर्भर करेगा जिसको कार्बोनाइज़ किया जायेगा। इसलिये हम यह नहीं बता सकते कि यह कितने परिमाण में उपलब्ध होंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री पी० रा० रामकृष्णन् : क्या रूरकेला के कारखाने में उपोत्पाद के रूप में उर्वरक तैयार करने का प्रस्ताव है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : उर्वरक का कारखाना लगाने का प्रस्ताव है ।

†श्री मुरारका : क्या उर्वरक के कारखाने की लागत ८ करोड़ रुपयों में शामिल है या उस से अलग है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं । यह उस में शामिल नहीं है । मेरा तो ख्याल है कि उर्वरक के कारखाने के तो अभी टेंडर तक मंजूर नहीं हुए हैं ।

राष्ट्रीय एटलस

+

*१२६६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री संगण्णा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री निम्नलिखित दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय एटलस के अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) राष्ट्रीय एटलस तैयार करने के पूरे कार्यक्रम के लिये कितना धन स्वीकार किया गया था और उस में से अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). विवरण सभा की मेज पर रखा है ।

विवरण

(क) अंग्रेज़ी वाले नेशनल एटलस में करीब ३०० पन्ने होंगे । नक्शों के पहिले तीन सैट्स "जन संख्या", "प्राकृतिक" और "राजनैतिक" पर काम हो रहा है, हर एक में १६ पन्ने हैं ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नेशनल एटलस तैयार करने के लिए ६० लाख रुपये रखे गये हैं । इस में से ३१ अगस्त ५८ तक ६,६०,८८४ रुपये खर्च हो चुके ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से ज्ञात होता है कि इस कार्य के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६० लाख रु० रक्खे गये थे । लेकिन ढाई वर्ष बीतने पर भी लगभग ७ लाख रु० हो खर्च हुआ है । जहां तक मुझे मालूम है इस कार्य की प्रगति उतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि इस शिथिल प्रगति के क्या कारण हैं और इस में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हुमायून् कबिर : यह कोई सवाल नहीं था, ग्रानरेबल मेम्बर की ग्रपनी राय थी। काम में कोई देरी नहीं हुई। सितम्बर, १९५६ से काम शुरू हुग्रा था, पहले तो हिन्दी एडिशन का एटलस ३० सितम्बर, १९५७ को पब्लिश हुग्रा। यह काम बहुत तेजी से हुग्रा ग्रौर इस के लिये हिन्दुस्तान के बाहर हमें बहुत मुबारक बाद मिली। इस लिये इस में देर का सवाल नहीं पैदा होता।

श्री भक्त दर्शन : यह जो एटलस प्रकाशित किया जा रहा है वह केन्द्रीय सरकार की ग्रोर से एक ग्रधिकारपूर्ण प्रकाशन है यानी ग्राथराइज्ड पब्लिकेशन है। मैं जानना चाहता हूं कि जब चीन ग्रौर बर्मा की ग्रोर ग्रभी तक सीमा का निर्धारण नहीं हो सका है ग्रौर उस के बारे में मतभेद है, तो उस को किस तरह से नक्शे में दिखाया जा रहा है, ग्रौर इस बारे में कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : ग्रानरेबल मेम्बर फिर ग्रपनी राय ही दे रहे हैं। उन की राय उस वक्त ध्यान में रक्खी जायगी जब कि हम इस का ग्राखिरी फैसला करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस का मतलब यह है कि चीन ग्रौर बर्मा के साथ जो हमारे देश की सीमा है वह इस नक्शे में नहीं दिखाई जायेगी ? ग्रौर क्या इस के बारे में कोई फैसला नहीं हुग्रा ?

श्री हुमायून् कबिर : सरकार की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि सीमा के बारे में कोई शुबहा है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह राष्ट्रीय एटलस संगठन क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये बिल्कुल ग्रस्थायी है ग्रौर क्या यह भी इस बात का एक कारण है कि काम धीमी गति से ही हो रहा है क्योंकि लोग ग्रपनी नौकरी सुरक्षित नहीं समझते ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : संभवतः माननीय सदस्य यह बात नहीं समझे जो मैं कह चुका हूं। उन्होंने एक ही वर्ष में राष्ट्रीय एटलस तैयार कर के विश्व में एक रिकार्ड कायम कर दिया है। राष्ट्रीय एटलस तैयार करने में दसियों वर्ष लग जाते हैं ग्रौर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भीतर ही इस काम के खतम हो जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ग्रंग्रेजी के संस्करण में लगभग ३०० नक्शे हैं जिन में से केवल १८० द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हो पायेंगे।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने नौकरी के स्थायित्व के विषय में पूछा था।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि ग्रंग्रेज़ी के ग्रलावा क्या विभिन्न देशी भाषाग्रों में भी सरकार इस एटलस को प्रकाशित करने जा रही है ?

श्री हुमायून् कबिर : हिन्दी में तो हो चुका। बाकी जो भारत की राष्ट्रीय भाषायें हैं उन के बारे में पीछे सोचा जायेगा।

†**श्री संगण्णा** : एटलस के संकलन के लिये क्या कोई समिति नियुक्त की गयी है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी हां। एक मंत्रणा बोर्ड है ग्रौर एक कार्य-समिति है। सरकार का एक संकल्प था जो लगभग ३ वर्ष पहले प्रकाशित हो चुका है।

†**श्री संगण्णा** : इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इन की सूची बड़ी लम्बी है। यह गजट में प्रकाशित हो चुकी है। इस लिये मैं गजट की ग्रोर ध्यान ग्राकृष्ट करता हूं।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

उर्दू

+

†*१२७१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८३**]

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या राज्य सरकारों ने कोई कार्यवाही की है, और यदि हां, तो किन किन राज्य सरकारों ने उर्दू के विकास और संवर्द्धन के लिये कार्य किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य राज्य सरकारों के विषय में पूछ रहे हैं जिन से मेरा सबंध नहीं है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या भारत सरकार ने उर्दू के संवर्द्धन के लिये राज्य सरकारों को कुछ निदेश, हिदायतें या अन्यथा कोई निदेश दिये हैं, और यदि हां, तो क्या ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य को पता होगा कि हाल ही माननीय गृह-मंत्री ने सभा पटल पर एक विवरण रखा था और सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली है।

†**श्री शिवनंजप्पा** : सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में से केवल उर्दू के साथ ही विशेष व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने विवरण पढ़ा नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक प्रश्न में सभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछने नहीं खड़े हो सकते। अगला प्रश्न ।

कपड़ा उद्योग को दी गयीं पेशगियां[1]

†*१२७२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने अपना पहले का एक निदेश वापस लेकर कपड़ा उद्योग को पेशगियां देने की सीमा में १० प्रतिशत कमी कर दी है ;

(ख) क्या अनुसूचित बकों से यही प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया गया है ; और

(ग) क्या इस से कपड़ा उद्योग को उत्पादन और रोजगार की स्थिति को पुराने ही स्तर पर बनाये रखने में मदद मिली है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने कपड़ा व्यवसाय को दी जाने वाली पेशगियों की सीमा में १० प्रतिशत की वृद्धि के लिये सितम्बर,

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Advance to Textile Industry.

१९५६ में जो निदेश निकाला था उसे फरवरी, १९५७ में वापस ले लिया था। उसके बाद से अनेक अनुसूचित बैंकों ने, या तो अपने आप या रिजर्व बैंक के परामर्श से, इस सीमा में साधारणतया की अपेक्षा और कमी कर दी है।

(ग) उत्पादन और रोजगार की स्थिति पर बहुत सी बातों का प्रभाव पड़ता है और बैंकों से मिलने वाले ऋण का परिमाण उन में से एक है। इस लिये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यदि ऋण को सुलभ न बनाया जाता तो कपड़ा उद्योग में उत्पादन और रोजगार की स्थिति और भी कठिन हो जाती।

†**श्री विमल घोष**: प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में कपड़ा व्यवसाय का उल्लेख किया गया है। उपमंत्री महोदया का प्रयोजन कपड़ा उद्योग से है या कपड़ा व्यवसाय से ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : केवल उत्पादन और रोजगार की बात नहीं है, ऋण का परिमाण भी महत्व रखता है ?

†**श्री विमल घोष** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कपड़ा व्यवसाय का जिक्र किया गया है यह पेशगी कपड़ा व्यवसाय को दी जाती है या कपड़ा उद्योग को ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कपड़ा व्यवसाय।

†**श्री विमल घोष** : यह प्रश्न कपड़ा उद्योग के बारे में है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : व्यवसाय भी उसका एक अंग है और इसीलिये प्रश्न के उत्तर में कपड़ा व्यवसाय का उल्लेख किया गया है।

†**श्री विमल घोष** : प्रश्न यह नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन की इन सिफारिशों का पता है कि इन प्रस्तावों को लागू करने के लिये यह सीमा बढ़ायी जानी चाहिये ? १० प्रतिशत की यह कमी क्यों की गयी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकार को वस्त्र जांच समिति की सिफारिशों का भली प्रकार पता है और रिजर्व बैंक वह रियायत देने की मंजूरी दे चुका है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्री रंगा** : श्री विमल घोष के अनुपूरक प्रश्न के संबंध में यह प्रश्न वास्तव में सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग के बारे में है जिस में कपड़ा व्यवसाय भी शामिल है। लेकिन उत्तर केवल व्यवसाय के बारे में दिया गया है। उद्योग में तो सभी मिलें भी शामिल हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह निदेश केवल व्यवसाय के लिये दी जाने वाली पेशगियों के बारे में था। इसलिये इस प्रश्न का संबंध प्रारंभिक रूप से उसी से है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कुछ अधिक व्यापक रूप में पूछा गया है। उपमंत्री महोदया का कहना है कि निदेश किसी विशेष अंश के बारे में दिया गया था। यदि माननीय सदस्य ने उत्तर न मांगा होता तो वह कुछ भी उत्तर न देतीं। इसलिये कपड़ा उद्योग में जो सारे पहलू आ जाते हैं उन में से एक का, जिसे पेशगी दी जाती है, उत्तर दे दिया गया है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री विमल घोष** : लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कपड़ा उद्योग के बारे में कुछ प्रतिबंध है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्होंने कोई प्रश्न पूछा है ?

†**श्री विमल घोष** : यह तो प्रश्न में ही है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : रिजर्व बैंक का निदेश बिल्कुल स्पष्ट है और वह प्रारंभिक रूप से कपड़ा व्यवसाय के संबध में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, उन्हें शान्ति से अपने प्रश्न पूछने चाहियें। उपमंत्री महोदया ने कहा है कि यह निदेश व्यवसाय के बारे में हैं। क्या उद्योग के बारे में भी कोई निदेश हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : रिजर्व बैंक का निदेश केवल व्यवसाय के लिये दी गयी पेशगियों के बारे में ही है और इसी से जब रिजर्व बैंक के निदेश के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मैं प्रश्न के केवल उसी भाग का उत्तर दे सकती हूं। जहां तक उद्योगों को पेशगियां देने का संबंध है, भारत सरकार ने कोई निदेश जारी नहीं किया है। उसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूं ?

† **श्री प्रभात कार** : ऐसी स्थिति में यह उत्तर होना चाहिये था कि कपड़ा उद्योग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

† **अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य को प्रश्न का ब्यौरा नहीं मालूम तो उन्हें उन माननीय सदस्य से पूछ लेना चाहिये था जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है। प्रश्न तो स्पष्ट है। मंत्रियों से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे ऐसी सभी सदस्यों के मन के शक-संदेहों को दूर कर देंगे जो यह भी नहीं जानते कि प्रश्न क्या है । प्रश्न है :

> "क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने अपना पहले का एक निदेश वापस लेकर कपड़ा उद्योग को पेशगियां देने की सीमा में १० प्रतिशत कमी कर दी है . . ."

जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है वह निश्चित रूप से यह जानते हैं कि यह केवल कपड़ा व्यवसाय से संबंधित है, कपड़ा उद्योग से नहीं और इसीलिये वह चुप रहत हैं। यह कोई सामान्य जानकारी के प्रयोजन के लिये नहीं है। यह कोई कक्षा नहीं है जिस में प्रत्येक माननीय सदस्य को यह सिखाया जाय कि ऐसी ऐसी बात है। उन्हें सब से पहले पता करना चाहिये कि यह किस के संबंध में है और यदि वह स्पष्ट प्रश्न पूछें "उद्योग के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?" तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन माननीय सदस्य तो यह मान लेते हैं कि उपमंत्री महोदया को सभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। चाहे वह बात पूछी ही नहीं गयी हो। श्री बनर्जी को अपने प्रश्न के बारे में अच्छी तरह पता है।

†**श्री विमल घोष** : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न सभा में पूछा गया है । उपमंत्री महोदया कह चुकी हैं कि यह निदेश व्यवसाय के बारे में था । जब मैंने यह प्रश्न पढ़ा तो मेरे मन में यह संशय उठा कि क्या उद्योग के बारे में भी कोई निदेश दिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह प्रश्न तो नहीं पूछा था।

†**श्री विमल घोष** : मुख्य प्रश्न ही कपड़ा उद्योग को दी गयी पेशगियों के विषय में है ।

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इस तरह यह प्रश्न नहीं पूछा था। यदि उन्हें शंका हो तो वह पूछ सकते थे —"उद्योग के बारे में क्या स्थिति है?" लेकिन वह तो यह शिकायत कर रहे हैं कि उपमंत्री महोदया ने उद्योग का तो जिक्र ही नहीं किया है, जैसे वह भी प्रश्न का ही भाग हो। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

राष्ट्रमंडल बैंक

+
†*१२७३. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री वाजपेयी :
श्री राम कृष्ण :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दामानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्द्ध विकसित राष्ट्रों को अपने आन्तरिक संसाधनों का विकास करने में सहायता प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रमण्डल बैंक की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : अभी कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। फिर भी, राष्ट्रमण्डल की सरकारों के बीच समय समय पर इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : कनाडा में वित्त मंत्रियों का जो सम्मेलन अभी हो रहा है क्या उस में भी इस प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उम्मीद तो है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को इस के संबंध में ब्रिटिश सरकार से कोई सुझाव या योजना मिली है ?

†**श्री ब० रा० भगत०** : हम इस संबंध में समय समय पर विचार-विनिमय करते हैं।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या राष्ट्रमंडल खाद्य बैंक की स्थापना करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव का पता नहीं है।

†**श्री दामानी** : राष्ट्रमंडल के कितने देशों ने इस राष्ट्रमंडल बैंक में शामिल होने की इच्छा प्रकट की है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : अभी तो यह बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है, अभी शामिल होने की नौबत नहीं आई है। अभी तो विचारों पर चर्चा की जा रही है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस प्रस्तावित राष्ट्र मंडल बैंक की पूंजी कितनी होगी और यदि हम इस में शामिल होंगे तो हमें कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इन सभी बातों पर चर्चा हो रही है। अभी से कुछ निश्चित उत्तर देना कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उज्जैन में खुदाई

†*१२७४. डा० राम सुभग सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६ में उज्जैन के टीले में से पुरातत्वीय महत्व की कोई वस्तुएं मिली थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या वस्तुयें मिली थीं ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान क्रमशः १९५५-५६ और १९५६-५७ के "भारतीय पुरातत्व—एक पुनरीक्षण" के पृष्ठ १९ और २०-२८ की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि उज्जैन में जो खुदाइ का काम चल रहा था वह इस समय करीब करीब बन्द हो गया है और क्या यह बात भी सही है कि वहां पर और भी बहुत सी चीजों के मिलने की आशा है और क्या यह काम फिर जल्दी शुरू किया जाने वाला है ?

श्री हुमायून् कबिर : बरसात के मौसम में हमेशा यह आर्किएलाजिक्ल काम बन्द करना पड़ता है। यहां खुदाई के दौरान बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं और उम्मीद है कि और भी मिलेंगी।

सेठ गोविन्द दास : क्या मैं इस का यह मतलब निकालूं कि बरसात के बाद यह काम वहां फिर तेजी से शुरू हो जायेगा ?

श्री हुमायून् कबिर : जब तक काम खत्म नहीं हो जायेगा, तब तक वह जारी रहेगा।

सर्व सेवा संघ

†*१२७५. श्री संगण्णा : क्या गृह-कार्य मंत्री ९ मई, १९५८ के सर्व सेवा संघ संबंधी अतारांकित प्रश्न संख्या ३६७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ द्वारा छोड़ी गई ४·५० लाख रुपये की राशि को वापिस लेना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री संगण्णा** : संघ इस राशि को क्यों छोड़ रहा है ?

†**श्रीमती आल्वा** : क्योंकि वह अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर सका है।

†**श्री संगण्णा** : १९५७ में नैनीताल में हुई सर्वदलीय परिषद् की बैठक में किये गये निर्णय के परिणामस्वरूप ग्रामदान आन्दोलन में दिये गये ग्रामों का विकास करने का कार्य सामुदायिक

---

†मूल अंग्रेजी में

विकास मंत्रालय को सौंप दिया जायेगा। तो फिर क्या यह धन इस मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह सामुदायिक विकास मंत्रालयों को सौंप दिया गया है। संघ अपना कार्य-क्रम में शामिल होगा, परन्तु खर्च पर उस का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

†**श्री पाणिग्रही** : भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिये १९५८-५९ के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी और उस में से कितनी राशि अभी तक खर्च की जा चेकी है ?

†**श्रीमती आल्वा** : १९५६-५७ के लिये यह राशि १० लाख रुपये थी। १९५७-५८ की राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : १९५८-५९ के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**श्रीमती आल्वा** : सरकार का यह सुझाव है कि चालू वर्ष के लिये १० लाख रुपयों की स्वीकृत राशि में से ६.९२ लाख रुपये राज्य सरकार के हवाले कर दिये जायें।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या यह सम्पूर्ण राशि कोरापट में ही खर्च की जायेगी अथवा उन अन्य स्थानों पर भी खर्च की जायेगी जहां सर्व सेवा संघ अपना कार्य कर रहा है ?

†**श्रीमती आल्वा** : कोरापट ज़िले के लिये ७ ब्लाक चुने गये हैं।

†**श्री संगण्णा** : क्या संघ ने अभी तक खर्च की गयी राशि का हिसाब भारत सरकार के पास भेज दिया है ?

†**श्रीमती आल्वा** : अभी तक पूरा हिसाब तो नहीं आया है, परन्तु लेखा परीक्षण संबंधी रिपोर्टों में उस संबंध में कई सुझाव दिये गये हैं।

†**श्री वैं० च० मलिक** : क्या यह सच है कि सर्व सेवा संघ उड़ीसा में उचित समय में राशि का उपयोग नहीं कर सका है क्योंकि उड़ीसा सरकार ने संघ द्वारा प्रस्तुत सूची के बहुत से ग्रामदान के ग्रामों को मान्यता नहीं दी है ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी, नहीं।

†**श्री त्यागी** : उस सर्व सेवा संघ को क्या क्या काम सौंपा गया है ? क्या वह योजना में निर्धारित किन्हीं विशिष्ट कार्यों को कर रहा है और क्या उसके लेखों का उचित प्रकार से परीक्षण किया जाता है ?

†**श्रीमती आल्वा** : अब उनके लेखों का परीक्षण किया जाता है।

†**श्री त्यागी** : उनका कार्य क्या क्या हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : उन्होंने भूदान आन्दोलन में दिये गये १००० ग्रामों में काम करने का भार लिया था। प्रथम छः मद, अर्थात् सिंचाई, भूमि परिरक्षण, स्वस्छता आदि, केन्द्रीय-कार्यक्रमों के अधीन आते हैं और शेष कार्यों के लिये गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुदान दिया गया था।

†**श्री त्यागी** : क्या वह संघ अलग काम करता है या कि सिंचाई आदि के विभिन्न विभागों के साथ मिल कर काम करता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा :** मैं ने अभी अभी यह बताया है कि वह सामुदायिक विकास मंत्रालय के साथ मिल कर काम कर रहा है।

कन्नड़ भाषा का उपन्यास

†*१२७६. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्नड़ भाषा के "चेन्ना बासव नायक" नामक उपन्यास का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद 'साहित्य अकादमी' द्वारा रोक दिया गया है ; और

(ख) प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिये कन्नड़ भाषा के और किस किस उपन्यास को चुना गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) 'साहित्य अकादमी' से प्राप्त जानकारी के अनुसार उस पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद हो रहा है।

(ख) (१) श्री के० वी० अय्यर द्वारा लिखित 'शान्तल' (२) श्री एस० कटन्य द्वारा ' लिखित 'मराली मन्निग' ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि उस पुस्तक से मद्रास राज्य में बड़ा भारी विवाद उत्पन्न हो गया है और उससे लोगों की धार्मिक भावनाओं पर आघात लगा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हमें इस बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं जिन पर साहित्य अकादमी ने विचार किया है। साहित्य अकादमी को वहां के विश्वविद्यालय के लेक्चरारों और प्रसिद्ध लेखकों से पत्र भी प्राप्त हुए हैं। उनमें से बहुत से पत्र उन लोगों के हैं जोकि उस सम्प्रदाय के हैं जिन्हें उस उपन्यास के बारे में आपत्ति है।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या किसी महिला ने उस उपन्यास के प्रकाशन और परिचालन के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये अनशन कर रखा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हमें सूचना मिली है कि अनशन २५ अगस्त को प्रारम्भ किया गया था और २७ अगस्त को समाप्त कर दिया गया था।

†**श्री बासप्पा :** क्या यह सच है कि इस पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक ने पुस्तक के उन कुछ अंशों के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया है जिनके कारण कुछ एक लोगों की भावनाओं को ठेस लगी है, और वही लेखक 'साहित्य अकादमी' के मंत्रणा बोर्ड का एक सदस्य है जिसने उस पुस्तक का अनुवाद करना उचित समझा है, क्योंकि इस बारे में अब बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, क्या सरकार उस प्रश्न पर फिर से विचार करेगी या 'साहित्य अकादमी' से यह कहेगी कि वह उस प्रश्न पर फिर से विचार करे। क्योंकि यह पुस्तक एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध भड़काती है, कुछ एक लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंचाती है, और उसमें आदरणीय महिलाओं के विरुद्ध तिरस्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इन सभी बातों पर विचार किया गया था। यह पुस्तक कन्नड़ में १६४६ में प्रकाशित हुई थी। उसके दो संस्करण निकल चुके हैं। परन्तु उस समय किसी ने उस का

†मूल अंग्रेजी में

विरोध नहीं किया था। बहुत बाद में—१९५७ के अन्त में कुछ आपत्ति उठाई गई थी। इस दौरान में उसी क्षेत्र में उसका एक अंग्रेजी अनुवाद भी निकल चुका है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : 'साहित्य अकादमी' द्वारा जो कुछ स्वीकार किया जा चुका है, वह अनशन द्वारा बदला थोड़ा ही जा सकता है ? किसी भी उपन्यास की अच्छाई या बुराई का निर्णय कौन कर सकता है ? शिक्षित लोग अथवा अशिक्षित लोग ? माननीय सदस्यों ने कुछ जानकारी मांगी थी। माननीय मंत्री ने वह जानकारी दे दी है। इस पर और अधिक चर्चा करने की मैं अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे अंग्रेजी अनुवाद पढ़कर स्वयं देख लें कि उसमें आपत्तिजनक अंश हैं या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। माननीय मंत्री उसे अवश्य पढ़कर देख लेंगे। स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि उस बारे में कुछ मत भेद है। संभव है कि कुछ एक लोगों ने अनशन किया हो, परन्तु हो सकता है कि वे उतने विद्वान न हों। माननीय मंत्री कृपया उस पुस्तक को पढ़कर देखें कि उस बारे में क्या किया जाना चाहिये। मैसूर राज्य के सदस्यों को भी उस पुस्तक को पढ़ना चाहिये।

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस मामले पर 'साहित्य अकादमी' की बैठक में विचार किया गया था और उसके चैयरमैन, श्री जवाहरलाल नेहरू ने ये विचार व्यक्त किये थे :—

> "कार्यपालक बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से यह स्वीकृत किया गया था कि उस प्रयोजन के लिये पुस्तकों का चुनाव करते समय, 'साहित्य अकादमी' को पुस्तक के साहित्यिक गुणों को सदा ध्यान में रखना चाहिये और इसे लेखक के उस अधिकार की कद्र करनी चाहिये कि वह अपने विचारों को निर्भयता से अभिव्यक्त कर सके।"

†**श्री बासप्पा** : उसके सम्बन्ध मे विवाद है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह तो अपने अपने मत की बात है।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री ने उस उपन्यास को पढ़ा है। मैं ने उसे पढ़ा है। यह १९२१ में लिखा गया था और १९५०-५१ में प्रकाशित हुआ था। संभवतः आपको ज्ञात नहीं कि यह पुस्तक 'साहित्य अकादमी' द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद प्रकाश में आई है। क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि इस उपन्यास में एक ऐतिहासिक महिला के विरुद्ध जोकि कर्नाटक राज्य की रानी थी, और जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मान पूर्ण स्थान देती आई है, भंयकर आरोप लगाये गये हैं और यह कि पुस्तक बहुत से लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंचाती है। उस पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति देकर उस कठिनाई को और अधिक बढ़ाना क्या सरकार के लिये उचित है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस सम्बन्ध में मेरा तो सीधा सा उत्तर है। सरकार का उससे कोई संबंध नहीं है, यह पुस्तक तो एक स्वायत शासी निगम द्वारा प्रकाशित की गयी है। साहित्य अकादमी ने ही इसे हिन्दी में अनुवाद के लिये चुना था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो वास्तव में कठिनाई को दूर करने के लिये उत्सुक हूं। मैं प्रश्न काल में अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता। परन्तु यदि यह एक विवादास्पद प्रश्न है, यदि इस में कोई ऐसी आपत्ति जनक बातें हैं जोकि बहुत से लोगों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाती हैं तो 'साहित्य अकादमी' उसे केवल इसी आधार पर प्रकाशित नहीं कर सकती कि उसकी भाषा सुन्दर है। यदि 'अकादमी' वैसा करती है तो उसका कोई कारण नहीं कि सरकार उसे कोई वित्तीय सहायता दे। अतः मुझे उस पर चर्चा की अनुमति देनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। वैसे ही मिडल ईस्ट, फार ईस्ट आदि में तनाव फैला हुआ है। इसलिये माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वे इस बारे में गृह-कार्य मंत्री से बात चीत करें और यह देखने का प्रयत्न करें कि क्या उसमें वास्तव में कोई आपत्ति जनक बातें हैं। उस क्षेत्र के विशेषकर मैसूर के माननीय सदस्य भी उसका निष्पक्ष दृष्टि से अध्ययन करें।

श्री त्यागी : इस सम्बन्ध में मेरा एक औचित्य प्रश्न है। आप कृपया उन तथा कथित 'स्वायत्त शासी निकायों' के सम्बन्ध में हमारा पथपदर्शन करें जोकि सरकार के खर्च से चलते हैं। माननीय मंत्री ने अभी अभी यह कहा है कि यह पुस्तक 'साहित्य अकादमी' नामक स्वायत्त शासी निकाय द्वारा प्रकाशित की गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के स्वायत्त शासी निकायों के बारे में हम कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं। यहां पर हमारा सम्बन्ध तो केवल 'साहित्य अकादमी' से है, और मेरे कथन का सम्बन्ध भी केवल उसी से ही है। जहां तक शेष निकायों का सम्बन्ध है, इस बारे में अभी निर्णय करना है कि केन्द्रीय सरकार अथवा यह सभा इस प्रकार के मामलों पर कहां तक विचार कर सकती है। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं उस बारे में अपने विचार प्रकट करूं तो मैं अपने दफ्तर से कहूंगा कि वे एक पुस्तिका तैयार करें जिसमें सभी स्वायत्त शासी निकायों के विधान दिये हों और यह मालूम किया जाये कि माननीय मंत्रियों का उनके कार्य संचालन में कहां तक क्षेत्राधिकार है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम मंत्रियों के माध्यम से काम कर रहे हैं। यदि उनके बारे में मंत्रियों के पास ही कोई शक्ति नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इन सभी बातों पर अभी विचार करना है। और यह एक ऐसा मामला है कि हम प्रश्न काल में उस मामले को नहीं निपटा सकते।

जीवन बीमा निगम

†*१२७८. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने भारत से बाहर कार्य-सम्पादन द्वारा अपना क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रयत्न किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

भारत जीवन बीमा निगम प्रारम्भ से ही भारत से बाहर भी अपना बिजनेस चला कर अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। परन्तु, विभिन्न विनियमों, जैसे कि बीमा विधि, और

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान, बर्मा, इन्डोनेशिया तथा लंका में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियम, के कारण निगम का कार्य उन देशों में केवल वर्तमान पालिसियों तक ही सीमित रह गया है । इसलिये निगम को बाध्य हो कर इन देशों में नये बिज़नेस के लिये लिखना बन्द कर देना पड़ा। निगम ने हाल ही में कीनिया, उगाणडा, जंजीबार, और मोरीशियस,अदन,मलाया, सिंगापुर, हांगकांग, फिज़ी और न्यासालैंड में अपने दफ्तरों पुनर्गठन किया है जहां पर इस समय नया जीवन बीमा बिज़नेस मिल रहा है। निगम को हाल ही में तंगानिका में भी बिजनेस चलाने के लिये लाइसेंस दे दिया गया है।

†**श्री दामानी** : विवरण में बताया गया है कि विदेशों में कुछ एक शाखाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। क्या उन्हें वहां इतना बिज़नेस मिल रहा है कि वे अपना खर्च पूरा कर सकें ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हमारा प्रयत्न तो यही है कि उन्हें इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाये कि वहां से लाभ हो सके।

†**श्री दामानी** : हमारे 'प्रीमियम' की दर विदेशों की दर की तुलना में कैसी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जहां तक इस निगम का सम्बंध है, उसके दर देश तथा विदेश में एक समान हैं। संभव है कि हिसाब लगाते समय कोई फर्क पड़ जाता हो।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : विवरण से ज्ञात होता है कि पाकिस्तान, बर्मा, इन्डोनेशिया और लंका की शाखाओं में जरा भी बिज़नेस नहीं मिल सका है। क्या बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण से पहले वहां पर कोई नया बिज़नेस मिला था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हाल ही में कुछ एक सरकारों ने उस सम्बन्ध में कई प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। उदाहरणार्थ, बर्मा में पहले ही से एक सरकारी बीमा संगठन है जिसे संघ बीमा बोर्ड कहते हैं। पाकिस्तान में सरकार ने कई विदेशी मुद्रा विनियम लगा रखे हैं। इन बातों का बीमा व्यापार पर प्रभाव पड़ना जरूरी है। इन्हीं कठिनाइयों के कारण हम नया बिज़नेस प्राप्त नहीं कर सके हैं।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या वहां पर नया बिज़नेस प्राप्त करने की कोई आशा है? यदि नहीं, तो क्या उन देशों में उसकी शाखायें बन्द कर देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : निगम द्वारा वर्तमान पलिसियों के 'प्रीमियम' इकट्ठे करने का काम तो अभी चलता रहेगा। अतः उन्हें बन्द करने का प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होता।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि अफ्रीका के कुछ एक देशों में तथा मलाया और सिंगापुर में व्यापार चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मलाया, सिंगापुर और अफ्रीकी देशों से १९५७-५८ में कितना बिज़नेस प्राप्त हुआ था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे पास प्रत्येक विदेश में किये गये बिज़नेस के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े नहीं हैं, परन्तु विदेश में कुल बिज़नेस १९५३ में २४.६६ करोड़ रुपयों का, १९५४ में १७.६५ करोड़ रुपयों का, १९५५ में २०.३३ करोड़ रुपयों का, १९५६ में १२.५९ करोड़ रुपयों का, और १९५७ में ५.०५ करोड़ रुपयों का प्राप्त हुआ था। १९५८ के पूरे आकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इस वर्ष का अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार को ज्ञात है कि जीवन बीमा के राष्ट्रीकरण से कुछ ही समय पूर्व कनाडा में बहुत सी कम्पनियों को बिज़नेस मिल रहा था, परन्तु राष्ट्रीयकरण होते ही नया बिज़मेस मिलना बन्द हो गया ? क्या सरकार उन गैर-सरकारी कम्पनियों को फिर से चलाने का विचार रखती है जोकि वहां पर पहले पर्याप्त मात्रा में बिज़नेस प्राप्त कर रही थीं और पर्याप्त मात्रा में 'प्रीमियम' प्राप्त कर रहीं थी ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वैसे तो जीवन बीमा अधिनियम की धारा ६ (२) (घ) के अनुसार यदि निगम चाहे तो वह किसी अन्य देश में अपना सारा बिज़नेस अथवा उसका कोई भाग किसी अन्य बीमा कम्पनी को दे सकता है। परन्तु, निगम को उन कम्पनियों के लिये प्रत्याभू के रूप में काम करना पड़ता है । परन्तु उस प्रकार की किसी प्रत्याभूति के बिना हम किसी अन्य कम्पनी को बीमा व्यापार को सौंप देने की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सके हैं।

†**श्री दासप्पा** : माननीय उपमंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि विदेशों में हमारा बीमा बिज़नेस निरन्तर कम होता जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि उसका वास्तविक कारण क्या है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : विवरण में ही यह बता दिया गया है कि कुछ एक विदेशों में अब नया बिज़नेस प्राप्त करने की कोई अधिक आशा नहीं है । हम तो केवल वर्तमान पालिसियों के 'प्रीमियम' इकट्ठे कर रहे हैं, उन देशों में लगाये गये प्रतिबन्धों और वहां की परिस्थितियों के कारण बिज़नेस का कम होना स्वाभाविक है ।

†**श्री दासप्पा** : मैं अफ्रीकी देशों के बारे में पूछ रहा हूं । क्या उन देशों में बिज़नेस बढ़ रहा है, अथवा वैसा ही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जैसा कि मैं ने बताया है कि हम अफ्रीकी देशों के लिये अलग आंकड़े नहीं रखते । अतः मैं बता नहीं सकती हूं कि क्या वहां पर बिज़नेस बढ़ रहा है या घट रहा है ।

†**श्री दामानी** : विदेशों में कितना 'प्रीमियम' एकत्रित किया गया है और वहां के दफ्तरों पर कितना खर्च किया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ने 'प्रीमियम' के सम्बन्ध में तो आकड़े बता दिये हैं, परन्तु खर्चों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े बताना कठिन है । खर्चों के आंकड़े अलग अलग नहीं रखे जाते । सारे निगम पर आने वाले खर्च को इकट्ठे रूप में रखा जाता है । अतः इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है ।

समाज विरोधी तत्व

\+

†*१२७६ { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री रामम् :

क्या *गृह-कार्य* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बदमाशों और समाज विरोधी तत्वों को काबू में रखने के लिये कोई योजना बनायी गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस की अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जब भी आवश्यक समझा जाता है, बदमाशों और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की निवारक धाराओं तथा अन्य सम्बन्धित विधियों के अधीन कार्यवाही की जाती है। उनका संतोषजनक परिणाम निकल रहा है ।

†**सदरदार इकबाल सिंह** : धारा १७१ और १५२ के अधीन कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

†**श्री दातार** : मेरे पास तो उन लोगों की संख्या है जिन पर अभियोग चलाया गया था ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री पंडित गो० ब० पन्त** : दोनों क्षेत्रों के आंकड़े मेरे पास हैं। उनमें वे लोग भी सम्मिलत हैं जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की निवारक धाराओं के अतिरिक्त, और जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम के अधीन भी पकड़े गये थे । वे आंकड़े इस प्रकार से है। १९५८ की एक तिमाही में जी० बी० रोड और अजमेरी गेट के क्षेत्र में १४४ मामले पकड़े गये थे, इस संबंध में २२६ व्यक्तियों को अदालत में पेश किया गया था । करोल बाग़ के क्षेत्र में १५३ मामले दायर किये गये थे और १४५ व्यक्ति का चालान किया गया था ।

†**श्री जाधव** : क्या इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के सुधार के लिये कोई सुधार-गृह भी हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जिन व्यक्तियों का सुधार हो सकता है उनके लिये सुधार-गृह भी हैं ?

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : आपको एक नैतिक मोर्चा कायम करना चाहिये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं समझता हूं कि यह सुझाव विचारणीय है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : धन्यवाद ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि बदमाशों आदि के कुछ गिरोह पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन दलों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई संस्था स्थापित की है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जहां तक दिल्ली का संबंध है, पूलिस बड़ी सतर्क है और जब भी कोई बदमाश दिल्ली आता है पुलिस उन पर नज़र रखती है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि लगभग एक सप्ताह पहले यह रिपोर्ट मिली थी कि दिल्ली के कई भागों में बदमाशों ने महिलाओं को और कालेज की छात्राओं से छेड़खानी कर रहे हैं इस संबंध में सरकार ने क्या किया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : कुछ एक व्यक्तियों को आंख मारने के अपराध में पकड़ा गया है। कुछ एक व्यक्तियों को न्यायालयों में भी भेजा गया है। इस बारे में कुछ समाचार अखबारों में निकले

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं, परन्तु जांच करने पर यह मालूम हुआ कि वे व्यक्ति कोई बदमाश अथवा आवारा नहीं थे, उनमें से कुछ तो स्वयं विद्यार्थी थे ।

अजनता की गुफायें

†*१२८०. **श्री आसर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजन्ता गुफाओं को देखने प्रति दिन सैंकड़ों यात्री जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वहां पर यात्रियों के लिये जलपान गृह तथा धर्मशाला आदि के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृति-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). जी हां।

(घ) वहां पर एक जलपान गृह-एवं-विश्राम गृह, बस स्टेशन और कर्मचारी क्वार्टर बनवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री आसर** : निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह कार्य पर्यटक विभाग कर रहा है। मुझे बताया गया है कि यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होगा और कदाचित् अगले वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

पुलगांव के विमान बल केन्द्र में चोरी

†*१२८१. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा अलीगढ़ में बड़ी मात्रा में पकड़े गये उन शस्त्रों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है जिन के बारे में कहा जाता है कि ये पुलगांव स्थित विमान बल केन्द्र से चुराये गये थे;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम हुए हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़)** : (क) से (ग). पुलिस द्वारा अलीगढ़ में उन शस्त्रों की जब्ती के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है जिन के बारे में यह कहा गया था कि वे पुलगांव के विमान बल स्टाक से चुराये गये थे । हाल ही में पुलगांव के विमान बल स्टाक में "पिस्टल बम एयरक्राफ्ट" नामक वस्तु के गुम होने के बारे में हमें पता लगा है; यह वस्तु किसी प्रकार का शस्त्र अथवा हथियार न हो कर बम सुलगाने के लिये एक यान्त्रिक उपकरण मात्र है । इस हानि से सम्बंधित परिस्थितियों की जांच के लिये एक जांच न्यायालय स्थापित किया गया है । जांच न्यायालय की कार्यवाही अभी तक अन्तिम रूप में नहीं पहुंची है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वि० चं० शुक्ल** : क्या यह सच है कि इस चोरी के पश्चात् दांडिक जांच विभाग के कुछ पुलिस अधिकारी अलीगढ़ भेजे गये थे और वहां उन्हें ७५,००० रुपये के मूल्य की पिस्तौलें और गोली बारूद का पता लगा जब कि नागपुर से चोरी गई वस्तुओं की कीमत केवल २५,००० रुपये ही बताई जाती है ?

†**श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़** : जी नहीं :

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या पुलगांव में यह पहली चोरी है अथवा इसके पूर्व भी ऐसी चोरी हो चुकी हैं ?

†**श्री फतहसिंह राव गायकबाड़** : यह पहली चोरी है ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करने में बिलम्ब

†*१२८३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें सभा के सामने प्रस्तुत करने में विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : किसी वर्ष की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें संसद् के सामने तभी रखी जा सकती हैं जब कि उस वर्ष का विनियोग लेखा, जिसमें अतिरिक्त राशियों का उल्लेख हो, और उस पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो और लोक लेखा समिति उन अतिरिक्त राशियों के बारे में परीक्षण करके सिफारिशें कर दे ।

नियंत्रक महा लेखा परीक्षक ने कुछ ऐसे तरीके अपनाये हैं जिन की सहायता से वह लेखे का वर्ष समाप्त होने के १० या ११ मास बाद पूर्ण विनियोग लेखा प्रस्तुत कर सकेगा। सभी मंत्रालयों को हिदायतें भी दे दी गई हैं कि अतिरिक्त राशियों का परीक्षण करने में सहायक व्याख्यात्मक नोट भी लोक लेखा समिति को निश्चित अवधि में उपलब्ध कर दिये जायें। इन अतिरिक्त राशियों को नियमित बनाने के लिये समिति की सिफारिश प्राप्त हो जाने पर अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करने के लिये भी तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार इस सिद्धान्त से सहमत है कि संसद् की पूर्वानुमति के बिना कोई खर्च नहीं किया जाना चाहिये ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस पर सभी सहमत हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान में भी इस की व्यवस्था की गई है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: यदि यह सर्वमान्य है तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है । कि संसद से खर्च हो जाने के बाद उसका परीक्षण न कराया जाये बल्कि पहले स्वीकृति प्राप्त की जाये ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कठिनाई यह है कि सभी अनुदानों के विनियोग लेखे का संकलन करने के बाद ही अतिरिक्त अनुदानों का पता चलता है क्योंकि सम्भव है कि कुछ विभाग अधिक खर्च कर रहे हों परन्तु कुल खर्च उससे न बढ़े । जब तक विनियोग लेखे का संकलन नहीं हो जाता तब तक इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता । अतः महा लेखा परीक्षक और मंत्रालय से इस बारे में चर्चा की गई

---

†मूल अंग्रेजी में

थी और उन्होंने यह निश्चय किया कि जहां तक सम्भव होगा विलम्ब नहीं होने दिया जायेगा इसी लिये मूल उत्तर में एक प्रकार से यह आश्वासन दिया गया है कि इसका संकलन एक वर्ष में हो जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है कि . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सम्भव नहीं है कि माननीय सदस्य इसी पर चर्चा करते जायें। कई अतिरिक्त अनुदान सभा के समक्ष रखे जाने वाले हैं। और उस समय माननीय सदस्य बता सकते हैं कि क्या कार्यवाही करनी चाहिये। जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है इनसे यह तय नहीं हो सकता कि भविष्य में विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जानी है माननीय सदस्य का प्रश्न संविधान से तालुक रखता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं पूर्व लेखा परीक्षा के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो अपनी अपनी राय है; इस का सम्बन्ध संविधान से और प्रथा तथा प्रक्रिया से है। इन के बारे में साधारण प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं कि यदि तिथि निश्चित करने की ब्रिटेन की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये तो यह कठिनाई कम हो सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य लोक लेखा समिति के सभापति हैं। अच्छा होगा यदि वह समिति की एक विशेष बैठक इस मामले के लिये बुलायें और निर्णय करके निदेश दें कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। मंत्री महोदय से प्रश्न पूछने की बजाय ऐसा करना ठीक होगा।

†**श्री प्रभात कार** : क्या संबंधित मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया ? लोक लेखा समिति मंत्रालयों से जो उत्तर और टिप्पणियां मांगती हैं वे कई बार समय पर नहीं भेजे जाते। इस के फलस्वरूप लोक लेखा समिति के लिये यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की मांग किस आधार पर की गई है। वित्त मंत्रालय का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित किया जाना चाहिये।

†**श्री रंगा** : यदि आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं ? संविधान के अनुच्छेद १४९ में उल्लिखित है कि महा लेखा परीक्षक के कृत्य निर्धारित करने और इस का भारत सरकार के साथ सम्बन्ध निर्धारित करने के लिये सरकार को अधिनियम बनाना चाहिये। अनुच्छेद १४९ में विशेष रूप से लिखित है कि महा लेखा परिक्षक संसद् द्वारा पारित विधि द्वारा अथवा उसके अधीन निश्चित किये गये कृत्यों को पूरा करेगा। अभी तक संसद् के समक्ष कोई विधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या संसद् में शीघ्र ही कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर देना मंत्री महोदय के लिये कठिन होगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं माननीय सदस्य को जो कि लोक लेखा समिति के सभामति हैं यह सुझाव दूंगा कि वह इस मामल पर विचार करें। जब तक कोई ठोस सामग्री न हो तब तक हम विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते। लोक लेखा समिति कोई सुझाव दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कृपया पहले आप मेरे प्रश्न को सुन लें और बाद में उसे अस्वीकृत करें। क्या सरकार ने पूर्व लेखा परीक्षा के बारे में विचार किया है और यदि हां, तो उस की क्या राय है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह निश्चय किया गया है कि सरकार के संचित विनियोग लेखे से पूर्व नियंत्रक महा लेखा परीक्षक उन अनुदानों का, जिन से अधिक खर्च किया गया है, एक विनियोग लेखा तैयार कर के लोक लेखा समिति के सामने रखेगा।

तिलपत रेंज

*१२८४. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलपत रेंज में वायु सेना के अभ्यास के लिये कितनी उपाजाऊ धरती सरकार ने अपने अधिकार में ली है; और

(ख) क्या यह भूमि किसानों को खेती के लिये देने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

उपरक्षा मंत्री (सरदार मजीठिया): (क) २२२०·२ एकड़

(ख) जी, नहीं।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : मैं जानना चाहता हूं कि जब हवाई अभ्यास से पहले आस पास के गांवों को सावधान कर दिया जाता है ताकि वे खतरे से बच सके और हवाई अभ्यास के समय चारों ओर पहरा भी लगा दिया जाता है ताकि कोई पशु या मनुष्य उस एरिया में न जा सके, तो क्या यह सम्भव हो सकेगा कि किन्हीं विशेष शर्तों पर वह धरती किसानों को फिर से दे दी जाये ? आज जब कि देश में अन्न का अभाव है, उस सूरत में इतनी अधिक उपजाऊ जमीन को किसानों से ले लेना मैं जानना चाहता हूं, कहां तक मुनासिब है ?

†**सरदार मजीठिया** : विमान बल का अभ्यास लगभग तमाम वर्ष होता रहता है अतः यह सम्भव नहीं कि हर तीसरे चौथे रोज नोटिस दे कर उन्हें हटाया जाये। इसलिये यह भूमि काश्त के लिये देने का कोई इरादा नहीं है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या इन लोगों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**सरदार मजीठिया** : जी हां। उन्हें लगभग १५,६०,००० रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर दिये गये हैं।

श्री भक्त दर्शन : तिलपत में कुछ वर्ष पहले जब बड़े पैमाने पर हवाई प्रदर्शन हुआ था और बीच में स्थगित कर दिया गया था, क्या उसके फिर से चालू होने की कोई आशा की जा सकती है ?

†**सरदार मजीठिया** : यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता उस समय प्रदर्शन किया गया था परन्तु यह प्रश्न अभ्यास के बारे मे है और इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वारंगल में इंजीनियरिंग कालेज

†*१२८७: { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री मे० वे० कृष्ण राव :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में वारंगल स्थान पर केन्द्रीय सरकार की सहायता से जो इंजीनियरिंग कालेज खोला जाने वाला था उसके बारे में क्या प्रगति हुई;

(ख) उस में छात्रों का प्रवेश कब आरम्भ होगा; और

(ग) इस पर कुल कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है।

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार की सहायता से आठ इंजीनियरिंग कालेज जिन में से एक वारंगल में खोला जायेगा, खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है। कालेजों की स्थापना सम्बन्धी कार्य योजना के अनुमोदित होते ही शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) प्रस्तावित वारंगल कालेज पर खर्च का अनुमान यह है :--

	लाख रुपये
कालेज की इमारत और सामान	४६
कर्मचारियों के क्वार्टर	२४
होस्टल	२८
आवर्त्तक	१३

योजना के अनुमोदन के पश्चात् अन्तिम प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : बताया गया है कि योजना विचाराधीन है। क्या टैक्नीकल शिक्षा में अखिल भारतीय परिषद् ने आन्ध्र प्रदेश में वारंगल स्थान पर इंजीनियरिंग कालेज खोलने की सिफारिश की है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अखिल भारतीय परिषद् ने वारंगल में प्रादेशिक कालेज खोलने की कोई सिफारिश नहीं की। उसने उस योजना का अनुमोदन किया जिस के अनुसार भारत के विभिन्न भागों में आठ कालेज खोले जाने वाले हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : योजना के बारे में कब निर्णय किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जब योजना में आवश्यक निधि की व्यवस्था कर दी जायेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : द्वितीय योजना में टैक्नीकल शिक्षा के लिये ५६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस में से अभी २५ प्रतिशत खच नहीं किया गया है। इस का क्या कारण है ?

श्री हुमायून् कबिर : यदि माननीय सदस्य अखिल भारतीय परिषद् का प्रतवेदन देखें तो उन्हें पता चलेगा कि हमें और निधि की आवश्यकता है और रुपया वापस लौटाने का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तर्क वितर्क कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वह प्रश्न पूछें और उसका उत्तर मांगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रथम योजना काल में खर्च में ५० प्रतिशत कमी रह गई थी। क्या द्वितीय योजना काल में भी ऐसा ही होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य बीते समय की बात कर रहे हैं। उन्हें यदि जानकारी प्राप्त है तो वह मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। भविष्य के बारे में मैं क्या कह सकता हूं।

विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध

†*१२८८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार विदेश यात्रा पर और भी अधिक कड़े प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख) सरकार सदा इस बात का ध्यान रखती है कि विदेशी मुद्रा का खर्च कहां अधिक हो रहा है और वह समय समय पर स्थिति का पुनरावलोकन करती रहती है। इस पुनरावलोकन के फलस्वरूप कुछ उपाय विचाराधीन हैं, परन्तु इस अवस्था में उनके बारे में वक्तव्य देना सम्भव नहीं है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं कि भारत से प्रतिदिन एक विमान पूर्व से पश्चिमी देशों को जाता है ? इस के लिये हम 'बोइंग' प्राप्त कर रहे हैं। यदि भारतीयों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये तो क्या इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन की आय कम न हो जायेगी। सरकार उसका क्या करेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : विदेशी मुद्रा की स्थिति का पुनरावलोकन करते समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अशोक होटल

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३**
- **श्री बि० दास गुप्त** :
- **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** :
- **श्री अरविन्द घोषाल** :
- **श्री बि० चं० प्रधान** :
- **श्री खाडिलकर** :
- **श्री महन्ती** :
- **श्री गोरे** :
- **श्री प्रभात कार** :
- **श्री ब्रज राज सिंह** :
- **श्री सुबिमन घोष** :
- **श्री सूपकार** :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के अशोक होटल में खाना खाने के लिये 'बफे हॉल' में

†मूल अंग्रेजी में

धोती और कुर्ता पहन कर नहीं जाया जा सकता ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी नहीं। 'डाइनिंग हाल' के सामने यह सूचना लिखी है :—

"निवासियों और मेहमानों से निवेदन है कि वे 'डाइनिंग रूम' में अनौपचारिक पोशाक, जैसे कि "बीच वियर", पहन कर प्रवेश न करें। महिलायें पूरी तरह कपड़े पहन कर और पुरुष पतलून, नेकटाई और हल्के रंग की बुशर्ट पहनें, जो यदि लम्बी आस्तीन वाली हो तो अधिक अच्छा होगा।

सांयकाल के समय 'फार्मल' अथवा 'सेमी फार्मल' ड्रेस पहनी जाये। पुरुषों से निवेदन है कि वे डिनर के समय 'जैकेट' पहनें।"

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि गत मास की ३० तारीख को एक बंगाली सज्जन को केवल इसलिये बफे हाल में प्रवेश नहीं होने दिया गयाकि वह 'धोती' और 'पंजाबी' पहने हुए था जो कि बंगाली लोगों का साधारण लिबास है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी हां, हमें पता चला है। उस सज्जन, श्री राधेश्याम गोयनका, ने इस बारे में माननीय मंत्री श्री क० च० रेड्डी को पत्र लिखा था। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें जो उत्तर दिया गया वह पढ़ कर सुना दूं जिस से सारा मामला स्पष्ट हो जायेगा ? क्या आप इजाजत देते हैं ?

†**श्री ब्रज राज सिंह** : श्री गोयनका का पत्र भी पढ़ कर सुनाया जाना चाहिये

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : उत्तर पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। वह इस प्रकार है :—

"आप के पत्र के उत्तर में जो आप ने ३० अगस्त, १९५८ को अशोक होटल में हुई घटना के बारे में ३ सितम्बर को लिखा और जो मेरे पास ८ सितम्बर को पहुंचा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। मैंने जांच करवाई, जिस से यह पता चला कि शनिवार को, जब कि होटल में 'डिनर डांस' होता है, लिबास के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। अशोक होटल के 'डाईनिंग हाल' में 'धोती' और 'पंजाबी' पहन कर प्रवेश करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ड्यूटी पर जो कर्मचारी होते हैं वे प्रायः 'डिनर डांस' पर आने वाले लोगों से निवेदन करते हैं कि यदि वें डांस में शामिल होना चाहते हों तो ईवनिंग ड्रेस या 'लांज सूट' या उस के बराबर का भारतीय लिबास पहनें। अतः सम्भव है कि उपस्थित कर्मचारी आप से यह कहना चाहता हो कि यदि आप 'बैंक्वटे हाल' में "डांस" में शामिल होना चाहते हों तो आप 'फार्मल' या 'सेमी फार्मल' लिबास पहनें।

मुझे खेद है कि इस गलतफहमी के कारण आप को इतनी असुविधा हुई और मैं होटल प्राधिकारियों से कह रहा हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि फिर कभी ऐसी गलतफहमी पैदा न होने पाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** बाहर लगाई गई सूचना चाहे कुछ भी हो, परन्तु श्री क० च० रेड्डी के पत्र से पता चलता है कि केवल उन्हीं को यह लिबास पहनना पड़ता है जो 'डांस' में शामिल होना चाहते हैं ।

मैंने इस प्रश्न की इसलिये स्वीकृति दी थी कि हम प्रायः शिकायत करते हैं कि विदेशों, लंदन आदि में, भारतीयों को होटलों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** और यहां दिल्ली ही विदेश हो गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को यह नहीं सोचना चाहिये । हम सब एक ही देश के निवासी हैं । क्या इस पर और अनुपूरक प्रश्न पूछना आवश्यक है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यदि आप चाहें तो मैं यह भी बता दूं कि 'डाइनिंग हाल' के बाहर वह सूचना क्यों लगाई गई है । यदि आप ध्यान से इसे पढ़ें तो आप को पता चलेगा कि यह पश्चिमी लिबास पहनने वालों के लिये ही है । भारतीय लोग यह शिकायत करते रहे हैं कि पश्चिमी लिबास पहनने वाले लोगों को 'डांस नाइट' को बुश्शर्ट पहन कर आने की इजाज़त क्यों दी गई । उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विदेशी होटल में ऐसा लिबास पहने व्यक्तियों को भीतर नहीं जाने दिया जाता । अतः यह सूचना केवल उन्हीं लोगों के लिये है जो पश्चिमी लिबास पहनते हैं । उदाहरणतः इसका कहीं उल्लेख नहीं कि......

†**अध्यक्ष महोदय :** यह काफी है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** सरकार इसकी जांच करेगी । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । और यदि कोई उलझन होगी तो वह स्पष्ट कर दी जायेगी । भारतीय लिबास पहन कर लोग जा सकेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छात्रों के रहन सहन की दशा

†***१२६४. श्री सुबोध हंसदा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों के रहन सहन की दशा का अग्रिम सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार को भेज दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्यनिषेध

†**१२६८. श्री राधा रमण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बारे में कोई वार्षिक अथवा सावधिक निर्धारण करती है कि योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई मद्यनिषेध जांच समिति की सिफारिशों को विभिन्न राज्यों ने किस हद तक लागू किया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) योजना आयोग ने राज्यों को एक पत्र भेजा है जिस में वह सुझाव दिया गया है कि वे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बताये गये मद्यनिषेध कार्यक्रम को प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम के तौर पर कार्यान्वित करें। राज्यों में मद्य-निषेध सम्बन्धी प्रगति के बारे में समय समय पर जानकारी एकत्र की जाती है।

राज्यों की मद्य निषेध नीति का पुनरावलोकन करना केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति का काम होगा जिसकी स्थापना करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

निज़ाम के वित्तीय मंत्रणाकार

†*१२७०. { **श्री रारेमेश्वर टांटिया** :
श्री भोगजी भाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि निज़ाम का वित्तीय मंत्रणाकार हाल ही में लंदन गया था ; और

(ख) क्या यह सच है कि उनके वहां जाने का आशय भारत में वे स्टर्लिंग प्राप्त करना था जो इस समय भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के नाम पर पाकिस्तान उच्च आयुक्त के पास है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय काच तथा मृच्छिल्प गवेषणा संस्था, कलकत्ता[1]

†*१२७७. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय काच तथा मृच्छिल्प गवेषणा संस्था, कलकत्ता, ने कृत्रिम दांत तैयार करने का एक नया तरीका निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सतरीका वाणिज्य की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकता है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) केन्द्रीय काच तथा मृच्छिल्प गवेषणा संस्था ने देशीय वस्तुओं से कृत्रिम दांत बनाने का तरीक़ा निकाला है।

(ख) ख्याल है कि इसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है और इसे वाणिज्यिक विदोहन के बारे में राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम विचार कर रहा है।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†*१२८२. **श्री रा० च० माझी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने १९५६–५७ के प्रतिवेदन में (पृष्ठ २३ पर) जो टिप्पणी की कि सरकार को अब तक मालूम नहीं कि प्रथम पंच

†मूल अंग्रेजी में

[1] Central Glass and Ceroamic Research Institute, Calcutta.

पंचवर्षीय योजना काल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर कुल कितना खर्च किया गया क्या मंत्रालय का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है क्योंकि उन्होंने प्रथम योजना काल में खर्च के आंकड़े नहीं भेजे थे । बहुत से राज्यों से अब जानकारी प्राप्त हो गई है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये मशीनें

***१२८५. श्री सूपकार :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये जर्मनी से मंगवाई गई मशीनें, सामान आदि परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत समय से कलकत्ता बन्दरगाह में पड़ा है ;

(ख) इस समय बन्दरगाह में पड़ी मशीनों आदि का भार कितने टन है ; और

(ग) कलकत्ता बन्दरगाह से रूरकेला इस्पात कारखाने तक माल ले जाने की क्या दर है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं ।.

(ख) लगभग १२,४०० टन ।

(ग) कलकत्ता से प्रतिदिन औसतन ७५ माल डिब्बों में सामान भर कर रूरकेला भेजा जाता है ।

तस्कर व्यापार

†***१२८६. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान की सरकारों में इस विषय में कोई पत्र व्यवहार हुआ है कि मिल कर प्रयत्न करके तस्कर व्यापार को रोका जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सामूहिक प्रयत्न करने के बारे में पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ । परन्तु पाकिस्तान सरकार के केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के एक सदस्य का पत्र मिला था कि अनुसन्धान करते समय और जब चोरी छिपे लाया गया माल पकड़ा जाये तो इसकी जानकारी एक दूसरे देश में भेजी जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

†*१२८६. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ६ मई, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् अन्य राज्यों से ये सुझाव प्राप्त हुये हैं कि अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता दी जाये ; और

(ख) अब तक अनुसूचित जातियों और अ ुसूचित आदिम जातियोंको कुल कितनी कानूनी सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां। राजस्थान सरकार ने भी १६५८-५६ में अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों पर पांच पांच हज़ार रुपये खर्च करने का सुझाव दिया है।

(ख) एक विवरण, जिसमें जानकारी ी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पिछड़े वर्गों की श्रेणी	निम्न लिखित वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई राशि १९५६-५७	निम्न लिखित वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई राशि १९५७-५८	१९५८-५९ में खर्च की जाने वाली राशि	कुल
अनुसूचित जातियां .	७,५००	२४,३५०	१,०८,३००	१,४०,१५०
अनुसूचित आदिम जातियां .	५,३००	७,५००	३७,०००	४६,८००
कुल .	१२,८००	३१,८५०	१,४५,३००	१,८६,६५०

उड़ीसी नृत्य

†*१२६०. **डा० सामन्त सिंहार : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी द्वारा उड़ीसी नृत्य कला और संगीत का अध्ययन कर उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली समिति में किन-किन व्यक्तियों को रखा गया है ;

(ख) समिति का निर्देश पद क्या है ; और

(ग) समिति से कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

१. श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ;

२. श्री नित्यानन्द कानूनगो ;

३. डा० वी० राघवन् ;

४. श्रीमती रुक्मिणी देवी :

५. श्री श्री वेंकटचालम् ;

६. श्री एम० एस० कल्याणपुरकर ;

७. श्री मोहन खोकर ;

८. प्रो० एम० नियोग।

(ख) नृत्य के क्षेत्र में कलाकारों को पुरस्कार देने के सम्बन्ध में अकादमी का पथ-प्रदर्शन करना तथा अकादमी को इस बारे में मंत्रणा देना कि किन किन प्रकार के मृत्यों में ये पुरस्कार दिये जाने चाहियें।

(ग) चूंकि अकादमी की पहली बैठक अक्तूबर, १९५८ में होने वाली है, इस कारण रिपोर्ट कब उपलब्ध होगी, इसके बारे में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

मनीपुर में बम विस्फोट

†*१२९१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर के न्यू चड़ाचांदपुर में एस० डी० ओ० के बंगले में २२ अगस्त, १९५८ की रात को बम गिराया गया था और बम फटने के फलस्वरूप एस० डी० ओ० के सोने के कमरे का कुछ भाग नष्ट हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या आक्रमणकारियों में से कोई पकड़ा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अपराधियों को गिरफ्तार करने और घटना का असली पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) २२ अगस्त, १९५८ की रात में एस० डी० ओ० के निवास के बाहरी बरामदे में एक मामूली किस्म का देसी बम फटा था जिसके परिणामस्वरूप बरामदे में खुलने वाली खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशे टूट गये थे और बरामदे की छत को नुकसान पहुंचा था। घायल कोई नहीं हुआ ?

(ख) और (ग). अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ऋण सूचना ब्यूरो

†*१२९२: { **श्री श्री नारायण दास :**
{ **श्री राधा रमण :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है बैंकों को कुछ विशिष्ट मामलों में मंत्रणा देने के विचार से रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में एक सरकारी ऋण सूचना ब्यूरो स्थापित करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संगठन संक्षेप में किस प्रकार का होगा और इसके क्या कार्य होंगे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी नहीं । ब्यूरो स्थापित करने का प्रस्ताव रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के विचाराधीन है ।

(ख) इस प्रक्रम पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रासायनिक इंजीनियरी

†*१२९३. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **वैज्ञानक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक इंजीनियरी में टेक्निकल अध्ययन के अखिल भारतीय बोर्ड ने रासायनिक इंजीनियरी में अध्ययन सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में एक रासायनिक इंजीनियरी विभाग की स्थापना करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट में यह विभाग स्थापित कर दिया गया है ; और

(ग) इस विभाग की स्थापना करने पर कितनी राशि व्यय की गई है अथवा की जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) से (ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८४]**

इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा

†*१२९४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री "इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा" की वर्तमान स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** इस मामले में राज्य सरकारों को जनवरी, १९५८ में लिखा गया था । जिनमें से केवल पांच ने अन्तिम रूप से उत्तर भेजा है । शेष राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत का राज्य बैंक

†*१२६५. **श्री मुरारका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकरण के आत्म-निर्भर हो जाने के बाद से भारत के राज्य बैंक की कितनी शाखायें खोली गई हैं और उनमें से कितनी शाखायें अभी घाटे पर चल रही हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : भारत के राज्य बैंक के उद्घाटन से लेकर अब तक कितनी शाखायें खोली गई हैं इस बारे में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । राज्य बैंक ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से जो कुछ गणना की है उसके अनुसार १-७-१९५५ और ३१-१२-१९५७ के बीच १५७ शाखायें खोली गई हैं जिनमें से १५ आत्म-निर्भर हो गई हैं और १४२ घाटे पर चल रही हैं ।

राष्ट्रीय बचत मंत्रणा समिति

†*१२६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि राष्ट्रीय बचत मंत्रणा समिति की हाल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : जून, १९५८ में राष्ट्रीय बचत मंत्रणा समिति की बैठक में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८५**] ।

मनीपुर में निवृत्ति वेतन

†*१२६७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर के संविलय से पहले और संविलय से बाद के निवृत्ति पाने वालों के निवृत्ति वेतन की दर बढ़ा देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जलियांवाला बाग, अमृतसर में स्मारक

†*१२६८. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री सरजू पाण्डे :
श्री तंगामणि :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलियांवाला बाग में एक राष्ट्रीय स्मारक बनने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) ३ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालय की शिक्षा

†*१२९९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर चर्चा होने के बाद से भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने क्या क्या सुधार विशेषकर कार्य दिवस के सम्बन्ध में क्या सुधार स्वीकार किये हैं ; और

(ख) क्या शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षत निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८७]**।

आजाद हिन्द फौज के पुलिस कर्मचारी

*१३००. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आज़ाद हिन्द फौज में सैनिक और पुलिस कर्मचारी दोनों सम्मिलित थे ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सैनिकों को भारत सरकार ने कुछ सुविधायें दी हैं जब कि केन्द्रीय सरकार के अधीन पुलिस के कर्मचारियों को कोई सुविधायें नहीं दी गईं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) भारतीय सेना के कुछ कर्मचारी आज़ाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थ । उसमें पुलिस कर्मचारियों के शामिल होने या न होने की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों को कुछ रियायतें दी गई थीं । ऐसी ही रियायतें भारत सरकार के मातहत उन सिविलियन कर्मचारियों को भी दी गई जो आज़ाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे । इनमें पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं । इस बारे में केवल पुलिस कर्मचारियों के लिये ही कोई अलग आदेश जारी नहीं किये गये थे ।

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता

*१३०१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ऐसी समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है जो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के बारे में अपने सुझाव देगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस समिति के नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्री (श्री आ० कु० सेन) : (क) सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरी के छात्रों के लिये छात्रावास

†*१३०२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घोष-चन्द्रकान्त योजना के अन्तर्गत राज्य-सरकारों को इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के छात्रों के लिये छात्रावास बनाने हेतु बिना ब्याज के ऋण दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के ऋण की मांग प्रत्येक राज्य सरकार ने की है ; और

(ग) योजना के आरम्भ से लेकर अद्यतन कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी हां ।

(ख) विस्तार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई सारे राज्यों की शिक्षण संस्थाओं ने निधि मांगी है ।

(ग) सरकारी संस्थाओं को ३१-३-१६५८ तक ४ लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गई है । चालू वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित संस्थाओं को २७.०० लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है ।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय

†*१३०३. **श्री राम कृष्ण**: क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का भवन बनाने में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : भवन मिर्माण की प्रथमावस्था का अधिक कार्य पूरा हो चुका है ।

जोनों के लिये सामान्य रक्षित पुलिस बल

†*१३०४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
सरदार इकबाल सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोन स्तर पर सामान्य रक्षित पुलिस बल के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) योजना की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) अब तक उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और मध्य-क्षेत्रीय परिषदों द्वारा जो चार समितियां स्थापित की जा चुकी हैं, उनमें से पहली तीन ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

(ख) स्थिति निम्न प्रकार है :—

(१) उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन पर परिषद् सम्भवतः अपनी अगली बैठक में विचार करेगी ।

(२) पूर्वी क्षेत्र में सामान्य रक्षित पुलिस बल रखने के प्रस्ताव पर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक में स्वीकृति प्रकट की गई थी । योजना का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) दक्षिणी क्षेत्र के लिये समिति के प्रतिवेदन पर क्षेत्रीय परिषद् की तीसरी बैठक में विचार किया गया था । इस बैठक में यह निश्चय किया गया था कि समति के प्रतिवेदन पर सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा और आगे जांच की जानी चाहिये।

(४) क्षेत्रीय परिषद् की अन्तिम बैठक में मध्य क्षेत्र के लिये समिति की नियुक्ति की गई थी जिसने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(५) पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य रक्षित पुलिस बल रखने के प्रश्न पर परिषद् की आगामी बैठक में विचार किये जाने की सम्भावना है ।

"मानव मथित्र"[1]

†*१३०५. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई "मानव मथित्र" बनाने और उसका विकास करने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) अब इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८७]** ।

विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता

†२०९०. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता, के लिये दर्शकों के हाथ बेचे गये टिकटों से १९५७-५८ में कितनी आय हुई ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : ७१,८५४.४७ रुपये ।

मद्य निषेध

†२०९१. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिकों में आये दिन मद्यपान करने की आदत पर नियंत्रण रखने के लिये दिल्ली प्रशासन के श्रम कल्याण निदेशालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सामान्य श्रम कल्याण कार्यक्रम के रूप में आठ श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इन केन्द्रों में श्रमिकों के लिये खाली घण्टों में स्वस्थ मनोरंजन व्यवस्था करने से उनमें मदिरापान करने की आदत कम हो जाती है ।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के भूमिहीन लोग

†२०९२. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संघ राज्य-क्षेत्रों के अनु-

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Human Centrifuge.

सूचित जातियों और आदिम जातियों को भूमिहीन लोगों सम्बन्धी जानकारी एकत्र कर ली गई है और वह सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८८**] ।

अनुसूचित जाति के लोगों के लिये पीने के पानी के कुएं

†**२०९३. श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६६ के उत्तर के सम्बन्ध में, जो संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये पीने के पानी के सामूहिक कुंये बनाने के सम्बन्ध में था यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है और वह सभा पटल पर रखी जायेगी ।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८८ क**] ।

विदेशों में भारतीय छात्र

†**२०९४. श्री सिदय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री ९ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, इंगलिस्तान और रूस को सरकार द्वारा भेजे गये छात्रों के सम्बन्ध में अब सूचना उपलब्ध है ; और

(ख) क्या वह सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के जो छात्र सरकार द्वारा इंग्लिस्तान और अमरीका भेजे गये उनके बारे में उपलब्ध जानकारी नीचे दी जा रही है : —

१९५७ में ५ छात्र एम०एस०सी० (अर्थशास्त्र), एफ०आर०सी०एस०, एम०आर०सी०पी०, इंजीनियरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन, और क्षयरोग का पाठ्यक्रम पढ़ने के लिये गये ; १ छात्र इंजीनियरी में एम० एस० का डिग्री पाठ्यक्रम का अध्ययन करने और १ छात्र "समुदाय संगठन के सिद्धांत और मानव-शास्त्र एवं समाजशास्त्र की विभिन्न किस्मों के विकास का अध्ययन" करने के लिये अमरीका और इंग्लिस्तान दोनों देशों को गया था । इस काल में रूस को कोई भी छात्र नहीं गया ।

बम्बई को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान

†**२०९५. श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बम्बई राज्य की उन लोक संस्थाओं और संगठनों के नाम दिये गये हों जिन्हें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा १९५७-५८ में सहायता दी गई है तथा प्रत्येक संस्था को दी गई राशि अलग अलग दिखाई गई हो ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८९**] ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां तथा पिछड़े वर्ग

†२०९६. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य को १९५८-५९ के दौरान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कुल कितनी राशि सहायतानुदान के रूप में स्वीकृत की गई है ; और

(ख) क्या बम्बई में इसी काल में कोई गहन बहुप्रयोजनीय परियोजना आरम्भ की जा रही है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९०]** ।

(ख) जी नहीं । सात बहुप्रयोजनीय परियोजनायें जो पहले आरम्भ की गई थीं, इस वर्ष भी जारी रहेंगी ।

भारत का राज्य बैंक

†२०९७. **श्री म० वें० कृष्ण राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में ३१ जुलाई, १९५८ तक भारत के राज्य बैंक की कितनी शाखायें, वेतन तथा उप-कार्यालय खोले गये हैं ; और

(ख) १९५८-५९ में किन-किन स्थानों पर शाखायें खोलने का प्रस्ताव है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल राव)**: (क) १-७-१९५५ में इसके आरम्भ से लेकर आंध्र प्रदेश में ३१ जुलाई, १९५८ तक भारत के राज्य बैंक की १८ शाखायें तथा १४ वेतन कार्यालय (उप-कार्यालय) खोले गये हैं ।

(ख) भारत का राज्य बैंक वास्तव में किसी वर्ष विशेष में किन-किन स्थानों पर अपनी शाखायें खोलेगा उन स्थानों के नाम बता सकना अभी सम्भव नहीं है । फिर भी चुने हुए केन्द्रों में यथाशीघ्र शाखायें खोलने का प्रयत्न किया जायेगा ।

लक्कादिव द्वीपसमूह के लिये डाकघर

†२०९८. **श्री नल्लाकोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादिव द्वीपसमूह में डाकघर और बेतार का तार स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) शीघ्र ी इन सात द्वीपों मिनीकाय, अगाथी, अमीनी, किल्तान, कवारथी, ऐंडरोथ और काल्पेनी में अतिरिक्त विभागीय मौसमी डाकघर की शाखायें खोलने का विचार है ।

बेतार के तार का स्टेशन बनाने के लिये चु े गये स्थान सम्बन्धी प्राक्कलन अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आदिमजाति और अनुसूचित जाति के छात्र

†२०६६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के आदिमजाति के छात्रों के लिये कोई टेक्निकल प्रशिक्षण संस्था केन्द्र की सहायता से स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिये भी सुविधा प्रदान की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). राजस्थान में आदिमजाति के छात्रों के लि े कोई टेक्निकल प्रशिक्षण संस्था नहीं स्थापित की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आदिम जाति के लोगों को कुछ कुटीर उद्योगों जैसे दर्जी का काम, बढ़ई का काम, जूते बनाना और चमड़ा कमाना आदि कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोलने का उपबन्ध किया गया है। १६५७ में इस प्रकार का एक केन्द्र खोला गया था और १६५७-५८ में एक और केन्द्र के लिये अनुमति ी गई है।

(ग) ये ही सुविधायें अनुसूचित जाति के लोगों को भी दी गई हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये मकान

†२१००. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ अप्रैल, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के लोगों के लिये रहने की बतिस्यां बसाने और मकान बनाने के लिये आवंटित की गई राशि सम्बन्धी जानकारी क्या अब तक उपलब्ध हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और किन किन स्थानों पर एसी बस्तियां और मकान स्थित हैं ; और

(ग) संघ राज्य-क्षेत्रों में इन जातियों के बेघर-बार वाले परिवारों की संख्या कितनी है जिनको निवास स्थान के लिये वित्तीय सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ग) तत्काल उपलब्ध नहीं है।

कृषि विज्ञान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

†२१०१. **श्री श० च० गोडसोरा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा १६५८ में कृषि विज्ञान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में परीक्षा ली गई थी ;

(ख) राज्य-वार उसमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) क्या उन्हें राज्यों में ग्राम्य सेवकों के स्थान पर लगा लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां :

(ख)	पश्चिमी बंगाल	१०
	बम्बई .	२७
	मद्रास .	२६

(ग) १० उच्चतर शिक्षा के लिये गये हैं, ७ अन्य स्थानों पर रख लिये गये हैं और शेष के बारे में राज्य सरकारों द्वारा ग्राम सेवकों के स्थान पर भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है ।

गैर-सरकारी वैज्ञानिक तथा गवेषणा संस्थायें

†२१०२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :—

(क). गैर-सरकारी निकायों द्वारा स्थापित और प्रशासित वे वैज्ञानिक तथा गवेषणा संस्थायें कौन कौन सी हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके संधारण और विकास के लिये पर्याप्त वार्षिक अनुदान मिलता है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक संस्था को पिछले पांच वर्षों में (१) आवर्तक और (२) अनावर्तक कितना वार्षिक अनुदान मिलता है ;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा स्थापित कोई 'मशीनरी' यदि कोई है तो इन संस्थाओं द्वारा किये गये गवेषणा कार्य का मूल्यांकन करती हो और यह देखती हो कि अनुमान को उचित ढंग से व्यय किया जा रहा है ;

(घ) यदि नहीं है, तो क्यों नहीं है ; और

(ङ) शर्त, यदि कोई हो, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संस्थाओं को आवतक और अनआवर्तक अनुदान दिया जाता है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ङ). जिन वैज्ञानिक तथा गवेषणा संस्थाओं को वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय द्वारा १ लाख रुपये वार्षिक अथवा उससे अधिक अनुदान मिलता है उनके बारे में जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९२]** उन संस्थाओं के बारे में, यदि कोई हो, जिसे अन्य किसी मंत्रालय से अनुदान मिलता है, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

लाल किला, दिल्ली, के दर्शकगण

†२१०३. **श्री विं० चं० प्रधान** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक कितने दर्शकों ने दिल्ली का लाल किला देखा है ; और

(ख) उनमें से विदेशी कितने थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : २,५३,३६८।

(ख) विदेशियों का कोई रिकार्ड अलग नहीं रखा जाता ।

पहाड़ी स्थानों का भत्ता

†२१०४. **श्री मनायन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के भिन्न-भिन्न पहाड़ी स्थानों में नियुक्त कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता जैसे पहाड़ी स्थान का अथवा शीत काल का भत्ता मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो ये पहाड़ी स्थान कौन-कौन से हैं ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) पहाड़ी स्थानों पर पहाड़ी स्थान का भत्ता जैसी कोई चीज नहीं दी जाती है। पहाड़ों पर रहन-सहन महंगा होने के कारण प्रतिकर भत्ता/अथवा मकान भत्ता दिया जाता है जो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग दर से दिया जाता है। कुछ पहाड़ी स्थानों पर शीतकालीन भत्ता दिया जाता है ।

(ख) ऐसे सभी पहाड़ी स्थानों की एक सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६३]**

आन्ध्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†२१०५. **श्री मे० वें० कृष्ण राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निवास स्थान बनाने हेतु १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक आवंटित राशि प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त राशि से कितने मकान बनवाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और जो प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†२१०६. **श्री मे० वें० कृष्ण राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय जिले वार कुल कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल हैं ; और

(ख) १९५८–५९ में (जिलेवार) कुल कितने स्कूल खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

अदीलाबाद	१
खायम	१
कमरीमनगर	२
नालगोंडा	२
वारंगल	४
महबूबनगर	१
मेडाक	१
निजामाबाद	१
हैदराबाद	१५
श्रीकाकुलम	१
विशाखापटनम	१
वेस्ट गोदावरी	१
ईस्ट गोदावरी	४
कृष्णा	१
गुंटूर	१
नेल्लोर	२
कुरनूल	१
चित्तौड़	१
अनन्तपुर	१
कुड्डापह	१
	४३

(ख) पांच; जिलेवार आंकड़े ज्ञात नहीं हैं।

सैनिकों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

†२१०७. **श्री न० म० देब** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिकों के लिये क्वार्टर निर्माण करने के कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) प्रत्येक मकान की कितनी अनुमानित लागत होगी ;

(ग) इनमें कितना आवास स्थान रहेगा ; और

(घ) अग्रिम परियोजना पर कितनी रकम खर्च होगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां।

(ख) अर्द्ध-स्थायी किस्म के विवाहित सैनिक के ओ० आर० क्वार्टर पर लगभग ६,००० रुपये ; किन्तु स्थिति के अनुसार इनकी लागत में कुछ कमी और वृद्धि हो सकती है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) रहने के कमरे .	२	१०'×२ प्रत्येक
बरामदा .	१	२०'×७'-६"
रसोईघर	१	६'×८'-६"
स्नानागार	१	६'×४'
डबल्यू० सी०	१	६'×३'
कोर्ट यार्ड . .	१	१५'-८×१६'-३"

(घ) स्वीकृत योजनाओं और निधि की उपलब्धता के अनुसार ही सैनिकों के लिये क्वार्टर बनाये जाते हैं। अतः इस प्रकार के आवास के उपबन्ध के लिये अग्रिम परियोजना प्रारम्भ करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राजस्थान में पुस्तकालय

†२१०८. **श्री ओंकार लाल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कल्याण बोर्ड ने राजस्थान में स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को स्त्रियों और बच्चों के पुस्तकालयों के लिये कोई अनुदान स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ में इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम नियत की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) राजस्थान के स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को इस कार्य के लिये १९५८-५९ में अभी तक १०,०५० रुपये स्वीकार किये गये हैं।

राजस्थान में प्राइमरी और बेसिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं

†२१०९. **श्री ओंकार लाल :** क्या शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को प्राइमरी और बेसिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिये १९५८-५९ में आवंटित अनुदानों की रकम बताने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन विकास कार्यक्रमों को कार्यान्विती के लिये राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के भुगतान के बारे में इस वर्ष प्रारम्भ की गई नवीन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक योजना के लिये अलग अलग मंजूरी जारी नहीं की जाती है। इसके स्थान पर विकास के सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिये ग्राह्य केन्द्रीय सहायता के तीन चौथाई अंश तक "विधि तथा उपाय अग्रिम" राशि मई, १९५८ से प्रारम्भ होने वाली नियमित मासिक किस्तों के रूप में दी जा रही है।

किसी भी वर्ग की योजनाओं के लिये राज्य सरकार को गृहीत होने वाली केन्द्रीय अनुदान की रकम का हिसाब वर्ष की अन्तिम तिमाही में इस आधार पर लगाया जायेगा कि प्रारम्भ की तीन तिमाही में कितनी यथार्थ प्रगति हुई। उसी के अनुसार चतुर्थ तिमाही और केन्द्रीय अनुदान की राज्यवार स्वीकृति जारी की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में मन्दिर

†२११०. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये मन्दिरों के संरक्षण एवं निर्वहन के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने की कृपा करेंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** केन्द्रीय वास्तुकला विभाग वार्षिक तथा विशेष मरम्मत के रूप में इन सब मन्दिरों का आवश्यकतानुसार निर्वहन करता है और पहरा तथा प्रतिपालन के लिये आवश्यक कर्मचारियों का उपबन्ध करता है ।

कोटा (राजस्थान) के करदाता

†२१११. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के कोटा डिवीजन में कितने व्यक्ति करदाता हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** राजस्थान के कोटा डिवीजन में १ सितम्बर, १९५८ को रजिस्टर में करदाताओं की संख्या २१२७ थी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा राजस्थान का दौरा

†२११२. **श्री ओंकार लाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने १९५८–५९ में अभी तक कितनी बार राजस्थान का दौरा किया ; और

(ख) उन्होंने राज्य में किन-किन स्थानों का दौरा किया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) तीन बार ।

(ख) १. सीकर,

२. अमरसर,

३. राजनगर और फुलाद ग्राम (पाली जिला) ,

४. सोजत टाउन (पाली जिला),

५. सरदार शहर,

६. बरदासर ग्राम ,

७. रतनगढ़ ,

८. लेडासर ग्राम,

९. लाडनू––नागौर जिला

१०. डींडवाना––नागौर जिला

११. नागौर,

१२. जोधपुर ।

†मूल अंग्रेजी में

जब्तशुदा सोना और चांदी

†२११३. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब्त किये गये सोने और चांदी की अनुमानित कितनी मात्रा सरकार के कब्जे में है ?

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

महेन्द्रगढ़ में इस्पात की पुनर्बेलन मिलें

†२११४. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महेन्द्रगढ़ जिले में पुनर्बेलन मिलें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस जिले में पुनर्बेलन मिलें प्रारम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नई मिलों की मंजूरी देते समय पुनर्बेलन मिलों को जिलेवार स्थापित करने की संभावना पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

पंजाब में माध्यमिक शिक्षा

†२११५. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी योजना की भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य-मुख्य लक्षण क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) (१) इससे माध्यमिक शिक्षा के विषय में एक वर्ष बढ़ जाता है ।

(२) विभिन्न स्वरूप वाले पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने से स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ।

(३) मुख्य-मुख्य विषयों में भाषाओं के अध्ययन के अतिरिक्त सामान्य विज्ञान और समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था रहेगी ।

(४) हस्तशिल्प की ट्रेनिंग अनिवार्य रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुस्तकालय सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति

†२११६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री ६ मई, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकालय सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) पुस्तकालय सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

विद्यार्थियों के लिये श्रम तथा समाज सेवा शिविर

†२११७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ में पंजाब में महेन्द्रगढ़ जिले और भिवानी और हांसी तहसीलों में विद्यार्थियों तथा नवयुवकों के लिये आयोजित श्रम तथा समाज सेवा शिविरों के नाम तथा संख्या क्या-क्या हैं;

(ख) उपरोक्त क्षेत्र में १६५८-५६ में आयोजित किये जाने वाले इसी प्रकार के शिविरों की कुल संख्या और नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक शिविर पर अलग-अलग कितनी रकम खर्च की गई है;

(घ) इनमें किये गये कार्य का क्या स्वरूप है; और

(ङ) स्थान के चुनाव के लिये क्या पद्धति अपनाई गई है और जनसहयोग प्राप्त करने के लिये किस युक्ति का आश्रय लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). महेन्द्रगढ़ जिले में आयोजित शिविरों के बारे में लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६४]** भिवानी और हांसी तहसीलों में आयोजित शिविरों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे पृथक् रूप में लोक-सभा के पटल पर रखा जायेगा ।

(ङ) खंड विकास अधिकारी और सम्बन्धित क्षेत्र के अन्य सरकारी अधिकारियों के परामर्श से ही सामान्यतया कार्य-स्थल और कार्य का चुनाव किया जाता है। शिविर संगठनकर्ता उनका और स्थानीय पंचायतों की सहायता से जनता का सहयोग प्राप्त करते हैं।

रुपया यात्री चैक[1]

†२११८. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के भीतर और बाहर किस संख्या में और कितने मूल्य के रुपया यात्री चैक अभी तक जारी किये गये हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rupee Travelling Cheque.

(ख) क्या विदेशों में इन चैकों को भुनाने की वर्तमान सुविधाओं का विस्तार करने की योजना है?

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) : (क) जहां तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया के रुपया यात्री चैक का सम्बन्ध है इस योजना के प्रारम्भ अर्थात् पहली जनवरी, १९५८ से ३० जून, १९५८ तक की अवधि के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है :—

भारत में बेचे गये चैक

संख्या	अभिधान	मूल्य	भारत में भुनाने के लिये	विदेशों में भुनाने के लिये
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
१७,६६५	१००	२७,४७,५५०	२६,४६,५५०	१,०१,०००
१८,६६१	५०			
विदेशों में बेचे गये चैक				
२,८२६	१००	५,३३,६५०	५,३३,६५०	—
५,०२१	५०			
कुल		३२,८१,५००	३१,८०,५००	१,०१,०००

अन्य बैंकों तथा संस्थाओं द्वारा जारी किये गये रुपया यात्री चैक के सम्बन्ध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां। विश्व के सम्पूर्ण महत्वपूर्ण देशों के लगभग ८६० कार्यालयों में उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं की आवश्यकता होने पर यात्रियों पर ध्यान रखते हुए विस्तार कर दिया जाता है।

प्रतिनिधि-मण्डल

†२११६. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में अभी तक विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि-मण्डलों और टेकनीकल मिशनों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) इन मिशनों और प्रतिनिधि-मण्डलों के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) वे किस प्रयोजन के लिये और किन-किन देशों में गये थे; और

(घ) प्रत्येक प्रतिनिधि-मण्डल पर कुल कितनी रकम खर्च हुई है?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ६५]**

†मूल अंग्रेजी में

किशनगंज (बिहार) का एकीकरण

†२१२०. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ मई, १९५८ के "आनन्द बाजार पत्रिका" और "हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड" (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ है कि बिहार के वर्तमान किशनगंज सब-डिवीजन के निवासियों की ओर से उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है;

(ख) क्या उन्हें उक्त ज्ञापन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). बिहार के वर्तमान किशनगंज सब-डिवीजन के निवासियों की ओर से इस विषय में कोई ज्ञापन नहीं मिला है । "किशनगंज के व्यापारियों की व्यवसाय एवं वाणिज्य सम्बन्धी चिन्तनीय स्थिति तथा सम्बद्ध विषयों" पर विचार करने के लिये २५ दिसम्बर, १९५७ को आयोजित एक मीटिंग में "किशनगंज, जिला पूर्णिया के प्रतिष्ठित व्यक्तियों" द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति इस मंत्रालय को भेजी गई थी ।

(ग) संकल्प में वर्णित विषय की ओर सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है ।

मजूरी और वेतन

†२१२१. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी प्रशासन में चालू खाते के अन्तर्गत उपभोग व्यय के मजूरी और वेतन हिस्से में १९५६-५७ (लेखे) में १७० करोड़ रुपये से बढ़ कर १९५८-५९ (बजट) में २१४ करोड़ रुपये हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त व्यय का कितना भाग बढ़ी हुई कीमतों के कारण है और कितना अतिरिक्त व्यक्तियों के नियोजन के परिणाम-स्वरूप है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) बढ़ी हुई कुल ४४ करोड़ रुपये की रकम में से ४ करोड़ रुपये की रकम कम वेतन वाले कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिश पर दिये गये अन्तरिम महंगाई भत्ते की परिचायक है । शेष वृद्धि का कारण सामान्य वेतन वृद्धि और अतिरिक्त नियोजन है ।

तेल शोधन शालाएं

†२१२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तेल शोधन शालाओं के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप है;

(ग) इन तेल शोधन शालाओं की स्थापना के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस दिशा में क्या भावी योजनाएं हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). उत्पादन बढ़ाने और पेगासोल, सोवासाइड, जूट बैचिंग ग्रायल, लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस और असफाल्ट सदृश्य अतिरिक्त वस्तुओं के उत्पादन के लिये स्टैण्डर्ड वैकयूम रिफाइनिंग कम्पनी ने मार्च, १९५६ में प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे । सरकार ने अप्रैल १९५७ में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिये । कम्पनी द्वारा १९५९ में यह कार्यक्रम पूरा कर लेने की आशा है ।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इसका परीक्षण कर रहा है और वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) वर्तमान शोधन शालाओं का विस्तार सम्बन्धी अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिल्ली में भूमिदारी अधिकार

†२१२३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम लागू होने के पश्चात् दिल्ली में कुल कितने व्यक्तियों को और कुल कितने क्षेत्र में भूमिदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे; और

(ख) किसानों को यह अधिकार कब प्रदत्त किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) अभी जो जानकारी उपलब्ध है उस के आधार पर लगभग ४३,९७० व्यक्तियों को (२६,५२३ पुराने प्रोप्राइटर और १७,४४७ काश्तकार) १,३३,६७२ एकड़ (पुराने प्रोप्राइटरों को १,०९,३८४ एकड़ और काश्तकारों को २४,२८८ एकड़) में भूमिदारी अधिकार मिलने की सम्भावना है ।

(ख) कुल ३०६ गांवों में से १३१ गांवों में १९,२१६ व्यक्तियों पर (११,४२० पुराने प्रोप्राइटर और ७,७९६ काश्तकार) भूमिदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं और भूमिदारी सर्टिफिकेट भी वितरित किये गये हैं । शेष गांवों में यह कार्य प्रगति पर है ।

त्रिपुरा में समाज शिक्षा केन्द्र

†२१२४. **श्री दशरथ देब** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा संचालित समाज शिक्षा केन्द्रों की कितनी संख्या है;

(ख) इन केन्द्रों में आजकल कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं;

(ग) इस वर्ष और गत वर्ष की संख्या की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(घ) यदि यह कम है तो कमी के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३८० ।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आदिम जाति विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†२१२५. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये शीट मेटल ट्रेनिंग व उत्पादन केन्द्र के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कितनी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) इन संस्थाओं में कुल कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और उनके ट्रेनिंग की अवधि कितनी है; और

(ग) क्या इन सब विद्यार्थियों को ट्रेनिंग और उत्पादन अवधि में वत्तिका दी जाती है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) एक ।

(ख) हर वर्ष २० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । ट्रेनिंग की अवधि एक वर्ष है ।

(ग) ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को ३० रुपये प्रति माह वृत्तिका दी जाती है । उत्पादन केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों को पद्धति के अनुसार मिलता है और यदि उत्पादन की रफ्तार पूरी रही तो वे ६० रुपये प्रति माह तक कमा सकते हैं ।

दस्तावेजों का अनुवाद

†२१२६. **श्री जाधव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा सरकारी कागज पत्रों और आफिस के रजिस्टरों और फार्मों का अंग्रेजी से हिन्दी और उर्दू में अनुवाद करने का कार्य अक्टूबर, १९५७ से बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) भूतपूर्व भाग 'ग' दिल्ली राज्य में विधान सभा विभाग द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी विधेयकों, प्रश्नों और उनके अनुपूरक प्रश्नों इत्यादि को परिचारित करने के लिये मार्च, १९५४ में 'अनुवादक' का एक पद आरम्भ किया गया था इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन द्वारा भूतकाल में सरकारी कागजपत्र, आफिस रजिस्टरों और फार्मों में अंग्रेजी से हिन्दी और उर्दू में अनुवाद करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई बताई जाती है । १ अक्टूबर, १९५७ से यह पद समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

परीक्षा और मूल्यांकन कर्मशाला के सम्बन्ध में गोष्ठी[1]

†२१२७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री भोपाल में आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन कर्मशाला सम्बन्धी रिपोर्ट के मुख्य मुख्य लक्षण बताने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Seminar on Examination and Evaluation Workshop.

सैनिक अधिकारियों के लिये गृह-निर्माण

†२१२८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अधिकारियों के लिये गृह-निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है और यह मकान किन-किन स्थानों में बनाये जायेंगे; और

(ग) प्रत्येक स्थान में कितने कितने मकान बनाये जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत के विभिन्न केन्द्रों में गृह-निर्माण किया जायेगा। इनका निर्माण निधि की उपलब्धता तथा आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है अथवा किया जायेगा। केन्द्रों के नाम और इन केन्द्रों में बनाये गये अथवा बनाये जाने वाले मकानों की संख्या के बारे में जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

उद्योगों के लिये पुनर्वित्त निगम

†२१२९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग के पुनर्वित्त निगम (प्राइवेट) लिमिटेड की शेअर पूंजी में पूंजी लगाने वाली संस्थाओं के नाम और उनके शेअर का मूल्य क्या-क्या है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : उद्योग के पुनर्वित्त निगम (प्राइवेट) लिमिटेड की निर्गमित पूंजी १२.५ करोड़ रुपये है। यह एक-एक लाख रुपये के १,२५० शेअरों में बंटी हुई है। इस पूंजी का २० प्रतिशत भाग का आह्वान किया गया है। भाग लेने वाली संस्थाओं को आवंटित शेअरों का मूल्य इस प्रकार है :—

संस्थाओं के नाम	शेअरों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
१. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	५.००
२. लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन	२.५०
३. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	२.३०
४. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	०.२५
५. पंजाब नेशनल बैंक	०.२५
६. बैंक आफ इण्डिया	०.२२
७. बैंक आफ बड़ोदा	०.२२
८. नेशनल ओवरसीज़ एण्ड ग्रिन्डलेज़ बैंक	०.२२
९. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	०.२२
१०. लायड्स बैंक	०.२२
११. इलाहाबाद बैंक	०.२०
१२. चार्टर्ड बैंक	०.२०
१३. इण्डियन बैंक	०.२०
१४. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	०.२०
१५. मर्केण्टाइल बैंक	०.१०
१६. देवकरन नानजी बैंकिंग कम्पनी	०.१०
१७. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	०.१०

†मूल अंग्रेज़ी में

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा अपराध

†२१३०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की राज्यवार संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने भारत में अपने ठहरने की अवधि में १९५६, १९५७ और १९५८ में अभी तक अपराध किये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९७]**

खनिज पदार्थ

†२१३१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री इस्पात, खान और ईंधन मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५६ और १९५७ में (प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग) प्रत्येक खनिज पदार्थ का उत्पादन और उसका मूल्य बताया गया हो ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९८]**

पुलिस चौकियां और थाने

†२१३२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री निम्न जानकारी बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में पुलिस थाने और चौकियां कहां कहां स्थित हैं;

(ख) क्या किन्हीं पुलिस चौकियों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें पुलिस थाने कर देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी पुलिस चौकियों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या नई पुलिस चौकियां स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इन स्थानों के क्या नाम हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९९]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनरल तिमैय्या की अमेरिका यात्रा

†२१३३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना कर्मचारियों के प्रधान, जनरल के० एस० तिमैया, अमेरिका जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके जाने का क्या प्रयोजन है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां । वे १६ सितम्बर से २८ सितम्बर तक अमेरिका में रहेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे अमेरिका के प्रधान, सेना कर्मचारी के निमंत्रण पर जा रहे हैं जो जनवरी सन् १९५८ में भारत आये थे ।

एक स्विस राष्ट्रजन की गिरफ्तारी

†२१३४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टॉम रोवलैंड जुलिग नामक एक स्विस राष्ट्रजन हाल ही में एक लाख कीमत के चोरी छिपे लाये गये सोने सहित गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या वह अंतराष्ट्रीय चौयार्नयन दल का एक सदस्य है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** (क) जी, हां । टॉम रोंलैन्ड जुलिग नामक एक स्विस राष्ट्रजन २९ मई को पालम हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह ८४,३०७ लाख रुपयों की कीमत का सोना चोरी छिपे ले जा रहा था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निर्वाचन याचिकायें

†२१३५. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघीय राज्य क्षेत्रों में संघ क्षेत्रीय परिषदों के लिये १९५७ में जो चुनाव हुए थे उनके खिलाफ कितनी निर्वाचिन याचिकाये दायर की गई हैं; और

(ख) जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों में कितनी निर्वाचिन-याचिकायें विचाराधीन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) विभिन्न संघीय राज्य क्षेत्रों में संघीय परिषदों के १९५७ में जो चुनाव हुए थे उनके खिलाफ निम्नलिखित निर्वाचन याचिकायें दायर की गई थीं :—

हिमाचल प्रदेश	६
मनीपुर	३
त्रिपुरा	१

(ख) दो निर्वाचन याचिकायें (जिनमें से एक अपील पर वापस ले ली गई है) हिमाचल प्रदेश में विचाराधीन है ।

मनीपुर में चोरी छिपे लाये गये माल की जब्ती

†२१३६. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ जुलाई १९५८ को मनीपुर लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियर की जीप से सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कुछ ऐसा माल जब्त किया है जिसके बारे में पहिले कुछ नहीं बताया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रज़ी में

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हां। ६ जुलाई, १९५८ को मनीपुर लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियर की जीप से (चुंगी-कर मिलाकर) १९०.५० रुपयों का अघोषित माल जब्त किया गया था। जीप को भी जब्त कर लिया गया था।

(ख) मामला विभागीय न्यायनिर्णयन के अधीन है।

त्रिपुरा में भू-विक्रय

†२१३७. **श्री दसरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९४९ से अब तक त्रिपुरा के प्रत्येक डिवीजन में आदिम जाति के व्यक्तियों द्वारा गैर आदिम जाति के व्यक्तियों को भूमि बेचने के कितने मामले हुए हैं;

(ख) आदिम जाति के व्यक्तियों द्वारा और आदिम जाति के व्यक्तियों को इस प्रकार भूमि हस्तांतरण करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में त्रिपुरा की पिछड़ी आदिम जातियों की रक्षा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) आवश्यक सूचना बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १००]**

(ख) पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में खेती की जमीन की मांग काफी बढ़ गई है जिसके फलस्वरूप जमीन की कीमतें असाधारण रूप से बढ़ गई हैं। इससे आदिम जाति के लोगों को अपनी मैदानी जमीन बेचने का लालच हो गया और वे अपनी जमीनें बेच कर पहाड़ी या खेती के अयोग्य क्षेत्रों में चले गये हैं जहां उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है अथवा बहुत ही कम कीमतों पर गैर-सरकारी जमीनें खरीद ली हैं। आदिम जाति के कुछ लोगों ने स्थान बदल बदल कर खेती करने का तरीका अपना लिया है।

(ग) आदिम जाति के लोगों द्वारा गैर-आदिम जाति के लोगों को आदिम जाति के लिये आरक्षित भूमि से भूमि को हस्तांतरित करने के लिये निर्बन्धन पहिले ही से जारी कर दिये गये हैं। इसके सिवाय आगे की कार्यवाही के रूप में स्थानीय प्रशासन द्वारा आदिम जाति के लोगों को उदारतापूर्वक ऋण दिये जाते हैं जिससे कि वे आर्थिक रूप से अपने को जमा सकें और इस प्रकार उन्हें गैर-आदिम जाति के लोगों को जमीनें बेचने की प्रेरणा न मिल सके।

इस्पात का आयात

†२१३८. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में अब तक भारत में कुल कितना इस्पात आयात किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अप्रैल से जुलाई १९५८ तक ४,९७,३९१ टन इस्पात आयात किया गया था जिसमें रेलवे द्वारा विदेशों से सीधे खरीदा गया ५४,४७४ टन इस्पात भी शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाल-अपराध

†२१३९. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल अपराध दूर करने के प्रयोजन से राज्यों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के "देखभाल" कार्यक्रम के अधीन कितनी राशि बांट में दी गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: बाल-अपराध दूर करने के प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के "देखभाल" कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सहायता की जो राशि में बांट दी गई है, उसे बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०१]** अब तक मद्रास की बाल-अपराध से सम्बन्धित योजनायें ही मंजूर की गई हैं और इस राज्य के "देखभाल" कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसमें बाल-अपराध योजनायें भी शामिल हैं, उसे २ लाख रुपये बांट में दिये गये हैं । मध्य प्रदेश और बिहार से भी कुछ योजनायें आई हैं और उन पर विचार हो रहा है । इस मंत्रालय से अन्य किसी राज्य ने बाल-अपराध रोकने की विशेष योजनाओं के सम्बन्ध में कोई लिखा पढ़ी नहीं की ।

विदेशी पूंजी विनियोजन

†२१४०. **श्री वारियर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ और १९५७-५८ में भारत से विदेशों को (निजी हिसाबों के रूप में) विनियोजन से होने वाली आमदनी के कितने विप्रेषण भेजे गये हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९५६–५७ और १९५७–५८ में (निजी हिसाबों के रूप में) विनियोजन आय के विप्रेषण

(लाख रुपये)

चुकान

वर्ष	ब्रिटेन	अमेरिका	स्विटज़रलैण्ड	अन्य देशों को	कुल
१९५६-५७	१३,७८	२,६३	५४	१,९७	१८,९२
१९५७-५८ *	१३,७५	४,३१	५६	१,८२	२०,४४

*आंकड़े अन्तर्कालीन हैं ।

पर्यटकों की गाड़ी

†२१४१. **श्री कुन्हन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बता` की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण से आने वाली एक पर्यटकों की गाड़ी में १ अगस्त, १९५८ की सुबह को दिल्ली मुख्य स्टेशन पर चोरों के एक गिरोह द्वारा चोरी की गई थी ;

(ख) क्या पुलिस ने इस के बारे में कोई जांच की है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उस का क्या नतीजा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) दक्षिण-भारत के तीर्थयात्रियों की रेलगाड़ी के दो डिब्बों में एक छोटी मोटी चोरी हुई थी । उन तीर्थयात्रियों के लिये आरक्षित गाड़ी दिल्ली के मुख्य स्टेशन पर २८ जुलाई की दो पहर का छोड़ दी गई थी और ऐसा लगता है कि उस के बाद शीघ्र ही तीर्थयात्री बिना किसी को सूचना दिये गाड़ी को यार्ड में छोड़ कर दर्शनीय स्थान देखने के लिये चले गये । गाड़ी तीन दिनों तक बिना देखभाल के पड़ी रही ।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा ३७९ के अधीन पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया था और उस की जांच का कार्य विशेष पुलिस कर्मचारी वर्ग को सौंपा गया है ।

(ग) मामले की जांच हो रही है ।

अनुसूचित जातियों और भूतपूर्व अपराधी जातियों के लिये घर

†**२१४२. श्री गणपति राम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में अनुसूचित जातियों और भूतपूर्व अपराधी जातियों के लिये घर बनाने के हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों और भूतपूर्व अपराधी जातियों के लिये पृथक पृथक उपरोक्त सहायता से कितने घर और बस्तियां बनाई गईं ;

(ग) क्या यह सच है कि १९५७-५८ में उत्तर प्रदेश में कुछ धनराशि व्यपगत हो गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बात का ध्यान रखने के लिये कि भविष्य में कोई धनराशि व्यपगत न हो, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिस में हर राज्य के लिये मंजूर की गई रकम और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये मकान/कालोनियों की संख्या दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०२]**

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुस्तकाध्यक्षों का प्रशिक्षण

†**२१४३. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिये संस्था के गठन की रूप रेखा, प्रबन्ध, प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) प्रशिक्षार्थियों के लिये विहित अर्हतायें क्या हैं और प्रशिक्षण अवधि कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या १०३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

चोरी छिपे लाये गये सोने की जब्ती

†२१४४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई १९५८ में जालंधर में चोरी छिपे लाया गया सोना जब्त किया गया था ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ग) कुल कितना सोना जब्त किया गया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में ६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

(ग) कुल १११२ तोला ३ माशा $1\frac{1}{2}$ रत्ती सोना जब्त किया गया था ।

माध्यमिक शिक्षा

†२१४५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिये राज्य सरकारों को जो अनुदान दिया था उस में से प्रत्येक राज्य सरकार ने वास्तव में कितना रुपया खर्च किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

'कन्टम्पोरेरी इंडियन लिटरेचर'

२१४६. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'कन्टेम्पोरेरी इंडियन लिटरेचर (समकालीन भारतीय साहित्य)' नाम की पुस्तक के हिन्दी संस्करण का मूल्य अंग्रेज़ी संस्करण से लगभग तिगुना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस के कारण हैं :—

(१) इस को एक प्राइवेट फर्म ने छापा है (यद्यपि साहित्य अकादमी की ओर से) और बाज़ार की चालू दर के मुताबिक है ।

(२) इस में गत्ते की जिल्द चढ़ी है ।

(३) यह संस्करण संशोधित और बड़ा है, और अंग्रेज़ी के संस्करण से इस में पन्ने भी ज्यादा हैं ।

(४) बाद में जब कागज़ की कीमत बढ़ी हुई थीं, तब यह छपा था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

२१४७. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने हिन्दी के माध्यम से कितना काम किया है ; और

(ख) क्या भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). परिषद् का काम खास तौर पर उन देशों में है जहां लोग आम तौर पर हिन्दी नहीं जानते, जहां मुमकिन होता है यह परिषद् हिन्दी सिखाने की व्यवस्था करती है। इस के अलावा उपयुक्त भाषा या भाषाओं द्वारा भारतीय संस्कृति को अच्छी तौर पर समझाने का काम करती है। विदेशों में हिन्दी सीखने वालों की परीक्षा लेने के लिये परिषद् एक योजना पर विचार कर रही है। परिषद् आशा करती है कि आचार्य काका कालेलकर उपप्रधान के कैरबियन क्षेत्र और अन्य जगहों के दौरे के बाद इन इलाकों में काम करने के लिये एक बड़ी योजना बना सकेगी।

उत्तर प्रदेश की चीनी की मिलें

†२१४८. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर डिवीज़न की विभिन्न चीनी मिलों (प्रत्येक मिल से अलग अलग) से केन्द्रीय सरकार को कितना रुपया लेना है ;

(ख) ऐसी मिलों के नाम क्या हैं ;

(ग) उक्त देय रकमों को वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) से (ग). चीनी मिलों से सरकार को जो रकम वसूल करनी है उस में आयकर, अतिरिक्त लाभकर, रोजगार लाभकर, सम्पत्ति-कर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क शामिल हैं इस स्थिति के सम्बन्ध में (१) आयकर, अतिरिक्त लाभकर, रोजगार लाभकर तथा सम्पत्तिकर और (२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को अलग अलग बताने वाले दो विवरण लोक सभा के पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०४]**

छात्र-वृत्तियां

†२१४९. **श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा मंत्री** एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५८-५९ के लिये मैट्रिक से आगे की कक्षाओं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों की बकाया रकम शीघ्र चुकाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) प्रत्येक राज्य से कितने आवेदन पत्र आये थे ;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को अलग अलग कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) प्रत्येक वर्ग के लिये चालू वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०५**]

न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों में अपीलें

२१५०. { **श्री पद्म देव** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में हिमाचल प्रदेश के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में कितनी अपीलें की गयीं ; और

(ख) इन में से कितनी अपीलों की सुनवाई हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). १९५७ में ६४ और १९५८ में ५४ अपीलें दायर की जाने की रिपोर्ट मिली है । इन में से क्रमशः ५८ और १४ अपीलों की सुनवाई हुई ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की समितियां

†२१५१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से ३१ जुलाई १९५८ तक प्रतिरक्षा मंत्रालय में जो विभिन्न समितियां बनाई गई थीं उन के क्या नाम हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : **स्थायी समितियां**

१. प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास मंत्रणा समिति

२. प्रमापीकरण समिति ।

तदर्थ समितियां

वायु सेना की सरकारी निधियों की व्यवस्था की जांच करने के लिये बनाई गई समिति ।

पंजाब की शिक्षा संस्थायें

†२१५२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में ऐसी कितनी शिक्षा संस्थायें हैं जिन्हें १९५७-५८ और अब तक १९५८-५९ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्री श्रीमाली)** : १९५७-५८—५२.

अब तक १९५८-५९ में—२२.

सहायतार्थ परीक्षण कार्य तथा अकर्म वेतन[1]

†२१५३. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जिन से यह पता लग सके कि १९५४ से १९५७ तक किस राज्य ने सहायतार्थ परीक्षण कार्यों तथा अकर्म वेतनों पर सब से अधिक रुपया खर्च किया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Test Relief and Dry Doles.

(ख) इस में भारत सरकार का अंशदान कितना है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय-मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, नहीं। वित्त मंत्रालय को खर्च के विस्तृत ब्यौरे केवल उन्हीं विहित मदों के अधीन प्राप्त होते हैं जो उन के २-२-५५ के पत्र क्रमांक एफ ३(१)-पी/५३ में वर्गीकृत हैं। इस पत्र की एक प्रति ३ मार्च १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८७ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर रख दी गई थी। इस पत्र में "अकर्म वेतन" या "सहायतार्थ परीक्षण कार्यों" पर किये गये खर्च का विशेष उल्लेख नहीं है।

(ख) दैवी आपत्तियों के बाबत भारत सरकार राज्य सरकारों को जो अंशदान देती है वह केन्द्रीय अनुदान दिये जाने के योग्य सभी मदों के उस कुल खर्च के आधार पर दी जाती है जिस का हिसाब उपर्युक्त पत्र में निर्धारित तरीके से लगाया जाता है।

दार्जिलिंग में विदेशी

†**२१५४. श्री अरविंद घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कितने विदेशी आये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : १९५७ में दार्जिलिंग जिले में (१०,३७० तिब्बती लोगों को मिला कर) कुल १०,६९३ विदेशी आये थे।

तेल शोधन-शालायें

†**२१५५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की तेल शोधन क्षमता लगभग उतनी ही है जितनी कि वर्तमान मांग हैं परन्तु क्या भारतीय खपत की प्रणाली तथा शोधित तेल के उत्पादन की प्रणाली में सन्तुलन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा होने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ;

(ग) जब नई तेल शोधन-शालायें काम करने लगेंगी तब स्थिति कैसी होगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) तेल शोधन-शालाओं का उत्पादन देश की पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। उत्पादन की वर्तमान प्रणाली से मोटर स्पिरिट तथा फरनेस आइल ही बचत में रहता है। कम पड़ने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) जब सरकारी क्षेत्र की दो नयी तेल शोधन-शालायें उत्पादन करने लगेंगी तब कम पड़ने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की आयात की जाने वाली मात्रा में काफी कमी हो जायेगी।

कोटला-मुबारकपुर में शामलात जमीन

†**२१५६. श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोटला-मुबारकपुर की उस शामलात (साधारण) जमीन को लेने का विचार कर रही है जिस पर आजकल व्यक्तिगत लोगों का कब्जा है तथा क्या वह उस का उपयोग सामुदायिक कल्याण कार्यों के लिये करने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी उपक्रमों का लेखा-परीक्षण

†२१५७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों को वाणिज्यिक लेखा परीक्षा का अनुभव कराने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किये जाने वाले औद्योगिक उपक्रमों एवं निगमों की लेखा परीक्षा के लिये जिम्मेदार हैं ; और

(ख) यदि हां तो यह किस प्रकार का है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा विशेष रूप से बनाये गये एक संगठन द्वारा की जाती है जिस में राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों प्रकार के कर्मचारी रहते हैं और उन्हें लागत तथा निर्माण लेखापाल संस्था, कलकत्ता में प्रशिक्षण दिया जाता है। अधीनस्थ अधीक्षण कर्मचारियों को वाणिज्यिक अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास करनी पड़ती है जिस में उच्चतर बुक कीपिंग तथा रोजगार संगठनों की लेखा परीक्षा, सामान्य वाणिज्यिक ज्ञान, और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विधि, लागत लेखे तथा कारखाना संगठन जैसे विषय शामिल हैं। इस परीक्षा में बैठने के पूर्व उन से अपेक्षा की जाती है कि वे चुने हुए सरकारी कारखानों, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों (सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों में) में व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लें।

छात्रवृत्तियां

†२१५८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य सांस्कृतिक योजनाओं के अन्तर्गत १९५९-६० में एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के अभारतीय विद्यार्थियों को भारत सरकार ने कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी हैं ; और

(ख) क्या इन देशों के विद्यार्थियों से आवेदन पत्र मंगाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) १०४ ।

(ख) जी, हां ।

पुरातत्व विभाग के महानिदेशक

†२१५९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) अप्रैल १९५७ से जनवरी १९५८ तक तथा (२) फरवरी और मार्च १९५८ में अलग-अलग पुरातत्व विभाग के महानिदेशक ने विविध आकस्मिकताओं, कार्यालयीन साज-सज्जा, तथा फर्नीचर आदि पर कुल कितना रुपया खर्च किया है ;

(ख) जिस काम के लिये रुपया मंजूर किया गया था क्या वह उसी में खर्च किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** :(क) (१) अप्रैल, १९५७ से जनवरी १९५८ तक का खर्च :—

	रुपये
विविध आकस्मिकतायें	२०,०७३.००
कार्यालयीन साज-सज्जा . . .	६८,७५७.००
फर्नीचर	१,३८२.००

(२) फरवरी १९५८ से मार्च १९५८ तक का खर्च :—

	रुपये
विविध आकस्मिकतायें . . . . . :	१२,४७४.००
कार्यालयीन साज-सज्जा	३८,६७४.००
फर्नीचर	१५९.००

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन नहीं होता ।

पानी की कमी के कारण स्कूलों का बंद किया जाना

†२१६०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ स्कूल पानी की कमी के कारण बन्द कर दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो जो स्कूल बन्द कर दिये गये थे उन के नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोकसभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

नजरबंदों सम्बन्धी नियमों का पुनरीक्षण[1]

†२१६१. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में सरकार से कुछ नजरबन्दों ने यह अभ्यावेदन किया है कि दिल्ली में नजरबन्दों सम्बन्धी नियमों का पुनरीक्षण किया जाय और सारे राज्यों में एक से नजरबन्द नियम लागू किये जायें ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Revision of Detenu Rules.

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). ऐसा एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था परन्तु नियमों का पुनरीक्षण करना जरूरी नहीं समझा गया।

दिल्ली जेल

†२१६२. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब जेल पुस्तिका (पंजाब जेल मैनुअल) के उपबन्धों के अधीन, जो कि दिल्ली पर लागू होते हैं, केवल मुसलमान नजरबंदों तथा 'बी' क्लास के कैदियों को ही मांस के बदले में अंडे लेने का हक है ; और

(ख) यदि हां, तो संविधान के लागू हो जाने के बाद भी केवल मुसलमानों को यह विशेषाधिकार दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जी, हां। पंजाब जेल पुस्तिका में मुस्लिम कैदियों को मांस की जगह अंडे देने का उपबन्ध इसलिये किया गया था क्योंकि विभाजन के बाद पंजाब में हलाल का मांस नहीं मिलता था। दिल्ली के सम्बन्ध में यह मामला विचाराधीन है।

सरकारी नौकरियों में स्नातक और उत्तर स्नातक

†२१६३. **श्री जाधव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन स्नातक और उत्तर स्नातकों की संख्या विनिश्चित कर ली है जो केन्द्रीय सरकार में लोअर डिवीज़न क्लर्क या इसी प्रकार के पदों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो आजकल प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग में उन की संख्या कितनी है ;

(ग) उन के भविष्य को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). २७ दिसम्बर, १९५५ को राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या ४११ के उत्तर में यह बताया गया था कि भारत सरकार में ३३ द्विस्नातक तथा एम० ए० पांच सालों से भी अधिक की अवधि से लोअर डिवीज़न क्लर्कों के पद पर काम कर रहे हैं। स्नातकों और उत्तर स्नातकों के सम्बन्ध में आज तक की ऐसी जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है जो मंत्रालयों या विभागों में लोअर डिवीज़न क्लर्कों या इसी प्रकार के अन्य पदों पर काम कर रहे हैं।

(ग) कोई कार्यवाही नहीं की गई अथवा किये जाने का विचार है।

†मूल अंग्रेज़ी में

औद्योगिक व्यापार संस्थाओं को आय-कर से छूट

†२१६४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की कितनी औद्योगिक-व्यापार संस्थाओं तथा ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों को आय-कर से छूट दी गई है ; और

(ख) छूट देने के क्या कारण हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) केवल पांच को ।

(ख) भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा के अधीन छूट की जो शर्तें निश्चित की गई हैं वे उन्हें पूरा करती हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

†२१६५. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी भारतीय सार्थों ने अब तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को वित्तीय सहायता के लिये अर्जियां भेजी हैं ; और

(ख) कितनी मात्रा की वित्तीय सहायता मांगी गई है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** :(क) और (ख). जैसा कि २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४१ के उत्तर में बताया जा चुका है कि गैर-सरकारी व्यापार संस्थाओं से सीधा लेन देन करने में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का एक विशिष्ट उद्देश्य है । इस दृष्टि से सरकार के लिये इस सम्बन्ध में कोई जानकारी देना असंभव है कि कितनी सार्थों ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को अर्जियां भेजी हैं तथा उन्हों ने कितनी सहायता मांगी है ?

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान

†२१६६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के लिये पुस्तकालय खोलने के हेतु स्वेच्छिक समाज कल्याण संगठनों को कितनी रकम बांट में दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ में कितनी रकम बांट में दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां ।

(ख) अब तक, १९५८–५९ में इस प्रयोजन के लिये पंजाब राज्य की ६ संस्थाओं को २,६९० रूपयों की राशि मंजूर की गई है । १९५८–५९ में अभी तक हिमाचल प्रदेश को इस प्रयोजन के लिये कोई राशि मंजूर नहीं की गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का कर्मचारी-वर्ग

†२१६७. श्री दलजीत सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में कितने असिस्टेंट तथा क्लर्क हैं; और

(ख) इन में से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) अब इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में ८४ असिस्टेंट, ४५ अपर डिवीजन क्लर्क, तथा १४४ लोअर डिवीजन क्लर्क हैं।

(ख) ६ असिस्टेंट, २ अपर डिवीजन क्लर्क और १४ लोअर डिवीजन क्लर्क अनुसूचित जातियों के हैं तथा १ लोअर डिवीजन क्लर्क अनुसूचित जाति का है।

पंजाब में पिछड़े वर्गों को कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण

†२१६८. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों को कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अधीन पंजाब राज्य में पिछड़ी जाति के कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी मांगी गई है और ज्योंही वह राज्य सरकार से प्राप्त होगी, त्योंही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

पंजाब में आय-कर दाता

†२१६९. श्री दलजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री पंजाब के गुरदासपुर जिले के उन लोगों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो आयकर देते हैं ?

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी): पंजाब के गुरदासपुर जिले में ११६२ ऐसे व्यक्ति हैं जिन के नाम एक अप्रैल, १९५८ को आयकर दाताओं के रजिस्टर में थे।

हिमाचल प्रदेश में मंदिर

†२१७०. श्री दलजीत सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जिन मंदिरों को राष्ट्रीय महत्व वाले मन्दिर घोषित किया जा चुका है उन के परिरक्षण और देख रेख के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: संघ पुरातत्व विभाग आवश्यकतानुसार वार्षिक तथा विशेष मरम्मत कराकर और आवश्यक पहरेदारों की नियुक्ति कर ऐसे सभी मंदिरों की उचित देख रेख करता है ।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिये लोहे की नालीदार चादरें

†**२१७१. श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जाब और हिमाचल प्रदेश के कितने आदिवासियों को आदिमजाति गृह-निर्माण योजना के अधीन **१९५७–५८** और १९५८–५९ में अब तक लोहे की नालीदार चादरों का संभरण किया जा चुका है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : पंजाब में अनुसूचित आदिमजातियों के लिये गृह-निर्माण की कोई योजना नहीं है । जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और हिमाचल प्रदेश प्रशासन से मिलते ही यह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों के सैक्शन आफीसर

†२१७२. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :**
श्री ह० ना० सोनुले :
श्री बालासाहब सालुंके :
श्री दिगे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के कुल कितने व्यक्तियों को पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार में सैक्शन आफिसरों के रूप में पदोन्नति दी जा चुकी है; और

(ख) उन में से कितनों को फिर से अपने पदों पर प्रत्यावर्तित किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) केवल कुछ समय के लिये स्थानापन्न सैक्शन आफिसरों के रूप में कार्य करने के लिये पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को छोड़ कर ४४ ।

(ख) इन ४४ में से कोई भी नहीं ।

भारत का जीवन बीमा निगम

†**२१७३. श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २७ के अधीन १९५७–५८ की अवधि के लिये जीवन बीमा निगम का प्रतिवेदन कब तक सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा०गोपाल रेड्डी)**: १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि के लिये जीवन बीमा निगम का पहला प्रतिवेदन सरकार को अभी मिला नहीं है । मिलने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पाकिस्तान को भेजा गया कोयला

†२१७४. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ के अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीनों की तुलना में १९५८ के इन्हीं महीनों में कुल कितने-कितने टन कोयला पाकिस्तान को भेजा गया है!

(ख) १९५८ के अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीनों में पाकिस्तान के दोनों भागों में कोयला भेजने के लिये महीने में कुल कितने माल डिब्बे दिये गये; और

(ग) इसी अवधि में कुल कितने माल डिब्बे वास्तव में लादे और पाकिस्तान भेजे गये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) **पाकिस्तान के दोनों भागों को भेजा गया कुल कोयला (टनों में)**

महीना	**१९५७**	**१९५८**
अप्रैल	७६,९५१	९०,५३८
मई	७५,८४९	१०६,८८८
जून	८३,४८९	६२,०५८
जुलाई	८७,९०६	१०१,००९ +

(+ आवंटन पर आधारित)

(ख) और (ग).

महीना	दिये गये माल डिब्बे	लादे गये माल* डिब्बे
अप्रैल, १९५८	४३५५	४३१५
मई, १९५८	४६२१	४७३१
जून, १९५८	३२८०	३१९५
जुलाई, १९५८	४५०५	४५०४
जोड़	१६७६१	१६७४५

*(१) यह आंकड़े खानों से लादे गये कोयले के वास्तविक भार पर आधारित हैं। एक माल डिब्बे में औसतन २२ टन कोयला लादा जा सकता है।

(२) खानों से लादा गया सभी कोयला सीधे पाकिस्तान नहीं जाता कुछ रेल के रास्ते पाकिस्तान जाता है, कुछ रेल व नदियों पर हो कर जाता है और कुछ रेल समुद्र के रास्ते जाता है। बाद के दोनों तरीकों में यह कोयला खानों से गोदियों पर जाता है और स्टीमर अथवा फ्लैटों के उपलब्ध होने तक वहां जमा रहता है। इसलिये (ग) के अधीन लादे गये कोयले के कुल आंकड़े (क) के अधीन भेजे गये कोयले के आंकड़ों से मिलेंगे नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

उच्चतम न्यायालय

†२१७५. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९५८ को मूल अधिकारों के प्रवर्तन की कुल कितनी याचिकाओं की (बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिये लेख जारी करने की याचिकाओं को छोड़कर) उच्चतमन्यायालय में क्रमशः छः महीने, नौ महीने, १ वर्ष और दो वर्ष से सुनवाई नहीं हुई है; और

(ख) इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) १५ अगस्त, १९५८ को मूल अधिकारों के प्रवर्तन की उच्चतमन्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं की (बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिये लेख जारी करने की याचिकाओं को छोड़ कर) संख्या इस प्रकार है :—

(१) ६ महीने से अधिक लेकिन ९ महीने से कम से	३१
(२) ९ महीने से अधिक लेकिन १ वर्ष से कम से	१३
(३) १ वर्ष से अधिक लेकिन २ वर्षों से कम से	८१
(४) २ वर्ष से अधिक से	२०३

(ख) इन याचिकाओं के विचाराधीन रहने के कारण ये हैं :—

कांस्टीट्यूशन बैंच, जिस के सामने इस प्रकार के मामले लाये जाते हैं, अधिक अविलम्बनीय मामलों की सुनवाई में व्यस्त रही। न्यायालय के दूसरे कार्यों का ध्यान रखते हु ए लेख याचिकाओं[1] को सदैव प्राथमिकता दी जाती है।

इन में से कुछ याचिकाओं की सुनवाई इसी प्रकार के प्रश्नों से सम्बन्धित अन्य अपीलों के साथ करनी पड़ती है। दो वर्ष से भी अधिक समय से जो २०३ याचिकायें विचाराधीन हैं, उन में से १४० समूल याचिकायें हैं और उन के शीघ्र ही निबटा दिये जाने की आशा है।

यह याचिकायें प्रस्तुत करने वाले स्वयं अपने मुकदमों को स्थगित करने की प्रार्थना करते हैं।

असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा

†२१७६. **श्री उ० ल० पाटिल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग असिस्टेंट ग्रेड की और इसी प्रकार की जो अन्य परीक्षायें लेता है उन में बैठने योग्य बनाने के लिये कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग के लिये आयु की सीमा के सम्बन्ध में रियायत की जाती है।

† मूल अंग्रेजी में

[1] Writ Petitions.

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि संलग्न कार्यालयों के कर्मचारियों को इस प्रकार की परीक्षाओं के लिये यह रियायत नहीं दी जाती; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की विभिन्न ग्रेडों में भर्ती के लिये होने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिये सचिवालय तथा ऐसे अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों की आयु की सीमा के सम्बन्ध में रियायत दी जाती है, जो इस सेवा में से अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। अन्य संलग्न कार्यालयों में सामान्य रूप से इन परीक्षाओं के आधार पर भर्ती नहीं की जाती। जो कार्यालय इन परीक्षाओं के आधार पर भी अपने यहां कर्मचारियों को भर्ती करते हैं उन के कर्मचारियों को भी, यदि यह कार्यालय प्रस्ताव करें, तो इसी प्रकार की आयु सम्बन्धी रियायतें दी जा सकती हैं। इस मामले का निर्णय करने का अधिकार भर्ती करने वाले अधिकारियों को होता है।

दो सदस्यों की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक १५ सितम्बर, १९५८ का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है कि :

> "दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेश का उल्लंघन करने के लिये श्री अटल बिहारी बाजपेयी, सदस्य, लोक-सभा को आज लगभग ११ म० पू० बजे भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११७ के अधीन गोंडा जिला कचहरी में गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोग के लिये कचहरी में पेश किया गया।"

मुझे सभा को यह भी सूचना देनी है कि मुझे बाराबंकी के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से दिनांक १२ सितम्बर, १९५८ का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है :—

> "मुझे आप को यह बताना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४८० के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि मैं यह हिदायत दूं कि श्री राम सेवक यादव, सदस्य, लोक-सभा को, मैं जब मुकदमा सुन रहा था तो उस में बाधा डालने के लिये न्यायालय की मानहानि करने के लिये गिरफ्तार कर लिया जाये। तदनुसार उन्हें आज ३-३० म० प० बजे गिरफ्तार कर लिया गया।
>
> श्री राम सेवक यादव, सदस्य, लोक-सभा पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा २२८ के अन्तर्गत आरोप में अभियोग चलाया गया। आधे घंटे तक अभियोग चलने के पश्चात् मैंने उन्हें न्यायालय की मानहानि का दोषी पाया और केवल दो सौ रुपये जुर्माना देने अथवा जुर्माना न देने पर एक मास की साधारण कैद का दण्ड दिया।"

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत छूट की घोषणायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १६३६ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत छूट की निम्नलिखित घोषणाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) संख्या १/२१/५८-एफ० १ दिनांक १२ अप्रैल १६५८ (घोषणायें)

(२) संख्या १/२३/५८-एफ० १ दिनांक १६ अप्रैल, १६५८ (१ घोषणा)

(३) संख्या १/२५/५८-एफ० १ दिनांक ३० अप्रैल, १६५८ (१ घोषणा)

(४) संख्या १/२८/५८-एफ० १ दिनांक २६ मई, १६५८ (५ घोषणायें)

(५) संख्या १/३२/५८-एफ० १ दिनांक २७ जून, १६५८ (२ घोषणायें)

(६) संख्या १/३६/५८-एफ० १ दिनांक ६ अगस्त, १६५८ (१ घोषणा)

(७) संख्या १/३५/५८-एफ० १ दिनांक १८ अगस्त, १६५८ (१ घोषणा)

(८) संख्या २३/२०/५८-एफ० १ दिनांक २७ अगस्त, १६५८ (१ घोषणा)

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—६२१/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) जी० एस० आर० संख्या ७४१ दिनांक ३० अगस्त, १६५८

(२) जी० एस० आर० संख्या ७४२ दिनांक ३० अगस्त, १६५८ जिन के द्वारा सीमा शुल्क प्रत्याहृत (हाथी दांत की चीजें) नियम, १६५७ में कुछ संशोधन किया गया है ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—६२२/५८]

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (पायरेथ्रम का सत) नियम

†**श्री ब० रा० भगत**: मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ३० अगस्त, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४३ में प्रकाशित सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (पायरेथ्रम का सत) नियम, १६५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० —६२३/५८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बीमा एजेंटों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी

†**श्री केशव (बंगलौर-नगर)** : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में की गई कमी तथा जीवन बीमा निगम के नये व्यापार पर उस का प्रभाव ।"

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : सभा को विदित होगा कि बीमा अधिनियम, १९३८ की कुछ धाराओं को कुछ रूपान्तरण के पश्चात् अथवा वैसे ही जीवन बीमा निगम पर लागू कर दिया गया है । ऐसा जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ की उपधारा २ के उपबन्धों के अनुसार किया गया था और इस के बारे में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी । अभी कुछ दिन पहले इस अधिसूचना को सभा-पटल पर रखते समय लोक-सभा में एक वक्तव्य भी दिया गया था । १९३८ के बीमा अधिनियम की एक धारा ४०-क को जीवन बीमा निगम पर लागू कर दिया गया है । इस धारा में एजेंटों को भारत में जारी की गई जीवन बीमा पालिसी के संबंध में दिये जाने वाले कमीशन या पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया है । इस के अनुसार कोई भी बीमा एजेन्ट भारत में जारी की गयी जीवन बीमे की किसी पालिसी के बारे में प्रथम वर्ष के प्रीमीयिम पर ३५ प्रतिशत, द्वितीय और तृतीय वर्ष के प्रीमीयम पर ७½ प्रतिशत और शेष वर्षों के प्रीमीयम पर ५ प्रतिशत से अधिक कमीशन, चाहे किसी भी रूप में, नहीं ले सकता है । बीमा व्यापार का एक प्रमुख सिद्धान्त है कि इस में बीमा कंपनियों का व्यय न्यूनतम होना चाहिये और इसी में बीमा कराने वालों का भी हित है और १९३८ के अधिनियम के उपरोक्त उपबन्ध भी इसी सिद्धान्त के अनरूप बनाये गये हैं ।

बीमा निगम भी इस उपबन्ध में निहित भावना का अनुसरण करते हुए प्रथम वर्ष के प्रीमीयम पर कुल मिला कर लगभग ३५ प्रतिशत कमीशन देता है यद्यपि यह विभिन्न रूप में दिया जाता है; २५ प्रतिशत कमीशन के रूप में दिया जाता है और इस के अलावा किसी एजेन्ट द्वारा दिये जाने वाले नये व्यापार की राशि के अनुसार ५ से १० प्रतिशत तक 'नये व्यापार पर बोनस' के रूप में दिया जाता है । बोनस की प्रथा को इसलिये आवश्यक समझा गया है कि इस से लोगों में नया काम लाने के लिये उत्साह बना रहे । निगम बनने से पहले भी कई कंपनियां नये व्यापार पर अपने एजेंटों को विशेष बोनस देती थीं । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी कर दी गई है ।

परन्तु उपरोक्त उपबन्ध में एक परन्तुक रखा गया था । उस के अनुसार कुछ नई कंपनियां अपने कारोबार के पहले वर्ष में अपने एजेन्टों को प्रथम वर्ष के प्रीमीयम पर ४० प्रतिशत तक कमीशन दे सकती थीं । यह अपवाद इसलिये रखा गया था ताकि शुरू शुरू में नई कंपनियां अपना कारोबार जमा सकें और वे पुरानी कंपनियों के मुकाबिले में आने योग्य बन सकें । किन्तु अब क्योंकि जीवन बीमा का कार्य सिर्फ निगम ही करता है इसलिये इस परन्तुक की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है ।

इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि जीवन बीमा निगम जो कमीशन अब देता है उस से उस को मिलने वाले नये व्यापार में नुकसान हो रहा है । यद्यपि प्रारम्भ में जीवन बीमा के ढांचे में परिवर्तन होने के कारण थोड़ा सा व्यापार कम हो गया था किन्तु अब पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[डा० गोपाल रेड्डी]

से साफ जाहिर होता है कि निगम का व्यापार निरन्तर बढ़ रहा है। इस साल में २५ अगस्त, १९५८ तक पिछले साल की अपेक्षा ५.३ करोड़ रुपये का अधिक व्यापार हुआ है। इस प्रकार यह आंकड़े निगम के व्यापार में निश्चित रूप से प्रगति के द्योतक हैं।

ऐसी स्थिति में यह कहने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि निगम ने बीमा एजेंटों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी की है तथा उस से उस के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा वाणिज्यिक नौवहन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव तथा विधेयक को संयुक्त समिति को पुन: सौंपने के संशोधन पर जिसे श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ने प्रस्तुत किया है, आगे चर्चा करेगी। पंडित ठाकुर दास भार्गव अपना भाषण जारी रखें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): जनाब स्पीकर साहब, कल जब हाउस ऐडजर्न (स्थगित) हुआ तब मैं इंडियन शिपिंग बोर्ड का जिक्र कर रहा था। मैं इंडियन शिपिंग बोर्ड के बारे में दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। अव्वल तो यह कि जैसा श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने और श्री पटनायक ने इस हाउस में इस्तदुआ की कि कम से कम इस बिल में जोकि इस की शुरूआत की चीज़ है उस में नैशनल डिफेन्स का कोई जिक्र नहीं है। नैशनल डिफेन्स का जिक्र होना लाजिमी है। हर एक मेम्बर ने कहा कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि यह हमारी सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स होगी। इस के वास्ते जरूरी है कि इस के प्रिएम्बल (प्रस्तावना) में इस का जिक्र किया जाये। नैशनल डिफेन्स (राष्ट्रीय प्रतिरक्षा) का इस के अन्दर खयाल रक्खा जाना जरूरी है। अमरीका के मर्चेन्ट मैरीन ऐक्ट, १९३६ का जो प्रिएम्बल था, उस में यह दर्ज है कि "राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये यह जरूरी है कि अमेरिका के पास जल मार्गों द्वारा अपना सारा व्यापार करने के लिये अपना सौदागरी बेड़ा होना चाहिये। वह बेड़ा ऐसा हो कि उस को वक्त जरूरत नौ-सेना के सहायक बेड़े के रूप में भी बदला जा सके। उस बेड़े में सब से अच्छी किस्म के व सुरक्षित जहाज़ होने चाहियें आदि।"

हम अपने प्रिएम्बल में क्या देखते हैं कि इस में न तो नैशनल डिफेन्स का जिक्र है और न ही इस के अन्दर जो सब से जरूरी चीज़ है वह ही लिखी गई है कि यह **मैन्ड** होगा **इंडियन पर्सोनेल** से (भारतीय लोगों के संचालन तथा नेतृत्व में काम करेगा)। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस को प्रिएम्बल में दर्ज करना चाहिये और जो प्रिएम्बल से भी ज्यादा जरूरी है, यानी बाडी, उस के अन्दर भी इस के बारे में कोई प्राविजन (उपबन्ध) होना चाहिये था। नैशनल डिफैन्स के वासते अगर कोई प्राविजन है तो उन शिप्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, उन शिप्स (जहाज़ों) की क्या ड्यूटी होगी, उन को किस तरह से बनाया जायेगा और क्या किया जायेगा।

दूसरी चीज़ उस में यह जरूर होनी चाहिये थी, जैसे कि उस के अन्दर कैपिटल के बारे में है, डाइरेक्टर्स के बारे में है, मैनेजिंग एजेन्सी के बारे में है, उसी तरह से जिक्र होना चाहिये था कि जहां तक मुमकिन होगा उन को हम इंडियन सिटिजेन्स से मैन (संचालन) करेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी हम एक नया बिल लाये हैं, यह पहली कोशिश है, इस में दर्ज होना चाहिये कि इन शिप्स का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कम से कम कुछ परसेन्टेज आफ शिप्स का कि अगर कभी नैशनल इमर्जेन्सी का मौका आये तो उन को थोड़े ही अर्से में इस तरह रिफिट (तैयार) कर दिया जाये कि वह वार (युद्ध) के काम में आ सकें जिस से कि नैशनल डिफेन्स को मदद मिले। लेकिन इस बिल में इस का कोई जिक्र नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस हाउस के अन्दर मैंने बहुत बहस सुनी और बहुत अभी सुननी बाकी हैं, जिन के अन्दर शेअर वगैरह का जिक्र आयेगा और ४० परसेन्ट (प्रतिशत), ६० परसेन्ट, २५ परसेन्ट वगैरह की बात कही जायेगी। लेकिन मैंने अब तक इस हाउस में नहीं सुना कि उन का मैनिंग किस तरह से होगा। मुझे मालूम है कि सरकार ने ऐसे शिप्स तैयार कराये हैं जिन में ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, लेकिन वह बहुत थोड़े हैं और उस का प्राविजन इस में नहीं है। दफा २१ के मातहत जो कहा गया है कि जो सीमेन हैं, जो आफिसर्स हैं, जहां तक हमारे इमकान में होगा, हम इंडियन्स रक्खेंगे, उस से मेरी राय में इंडियन शिपिंग बोर्ड का काम पूरा नहीं होगा। इंडियन शिपिंग बोर्ड की पहली ड्यूटी यह होनी चाहिये थी कि आइन्दा के वास्ते जितने भी शिपिंग के आफिसर्स बनायें, वह सब के सब हिन्दुस्तानी होने चाहियें। बिना इस के आप का यह ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा कि यह हमारी सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स होगी। आज, परमात्मा न करे, अगर पाकिस्तान से झगड़ा हो जाय तो जो २० हजार सीमेन पाकिस्तान के हैं वह क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। अगर आप इस को सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स बनाना चाहते हैं तो शेअर कैपिटल (अंशपूंजी) के पहले आप का फर्ज है कि आप इस चीज को रक्खें कि इस का पर्सोनेल (कर्मचारी) इंडियन होमा चाहिये। इस से अनएम्प्लायमेंट भी कम होगा। लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा और उस का जो पर्सोनेल है वह दुनिया में जा कर अपना नाम पैदा करेगा और उस को काबिलियत हासिल होगी, जिस का फायदा मुल्क को होगा। इसलिये निहायत जरूरी है कि पर्सोनेल इंडियन हो। मैं ने अमरीका का मर्चेन्ट मैरीन ऐक्ट, १६३६ को पढ़ कर सुनाया। उन्हों ने प्रिएम्बल (प्रस्तावन) में ही लिखा है। आप प्रिएम्बल में लिखें या न लिखें, लेकिन बाडी में इस का आना निहायत लाजिमी है। स्ट्रक्चर (संगठन) के बारे में कुछ प्राविजन इस बिल में नहीं हैं, उसे होना चाहिये। जिसे हम सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स कहते हैं, उस का इस के अन्दर कोई प्राविजन (उपबन्ध) नहीं है। अगर आप पन्द्रह दिन के वास्ते भी पर्सोनेल को ट्रेन करने का इन्तज़ाम करेंगे तो वह किस तरह से लड़ाई के वास्ते काम कर सकेंगे? क्या जिस दिन जरूरत होगी उस दिन उन को तैयार कर लिया जायगा? मैं जानता हूं कि सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स का मतलब असली यह होता है कि हमारी कम्यूनिकेशन्स फ्री (स्वतंत्र) रहें, दुनिया के अन्दर वह तेजी से जा सकें और अपना काम पूरा करें, लेकिन मान लीजिये कि काश्मीर आपरेशन्स के समय आप ने सारे ऐअरोप्लेन्स को बुला लिया, लेकिन सब समय तो यह मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिये यह जरूरी है कि जितने जहाजी लोग हैं उन को किसी न किसी तरह की मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाय ताकि हमारा सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स का मतलब पूरा हो सके। जब मैं बिल देखता हूं तो उस के अन्दर मैं कोई ऐसा प्राविजन नहीं देखता। जहां तक हिन्दुस्तान के प्राइवेट शिप्स का सवाल है, उन में और गवर्नमेंट के शिप्स में कोई तमीज नहीं होनी चाहिये। अगर गवर्नमेंट शिप्स प्राइवेट काम के वास्ते एम्प्लाय हो जायें, या प्राइवेट शिप्स गवर्नमेंट के काम के लिये एम्प्लाय हो जायें तो मैं समझता हूं कि डिफेन्स हो सकता है। लेकिन जो यह सोचा गया है कि प्राइवेट शिप्स अपने आप कम्पिटीशन (मुकाबले) में आयें और उन के लिये जो यह उसूल रक्खा गया है कि किसी किस्म की उन में तमीज न हो, उस का इस बिल के अन्दर दर्ज होना जरूरी है।

इसी तरह मैं चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट किसी शिपिंग कंसर्न (कम्पनी वगैरह) को कर्जा दे और उस के अन्दर जो बहुत जरूरी शरायतें हैं जैसे यह कि डाइरेक्टर गवर्नमेंट हो, जैसे सब इंडस्ट्रीज में रखते हैं, तो उस में कोई नुक्सान नहीं है। लेकिन ऐसी शरायतें न रक्खें कि आडिट भी आप का और अकाउंटिंग भी आप का। ऐसी शरायत लगाने से देश के लोग उसे ठीक नहीं समझ सकेंगे। साथ ही उस में इस किस्म का एलिमेंट आ जायगा जिस से कम्पनियां पूरी तरह से काम नहीं कर सकेंगी।

अभी मैंने आप की खिदमत में यह अर्ज किया था कि इस बिल के अन्दर जो मेन (मुख्य) चीज है वह शेअर कैपिटल का सवाल है। मैंने अर्ज किया कि अच्छा होता कि इसमें हमारे देश का

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कैपिटल होता, और इस में बाहर के किसी आदमी का हिस्सा न आता, लेकिन चूंकि हमारे पास रकम नहीं है, इंडस्ट्री (उद्योग) के पास पैसा नहीं है, इसलिये लाजिमी है कि हमें बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। सन् १६४७ के स्टेटमेंट (वक्तव्य) में और ज्वाइंट कमेटी (संयुक्त समिति) की रिपोर्ट में २५ परसेन्ट का जिक्र है, पटनायक साहब ने दूसरे देशों की बात पढ़ कर सुनाई। पढ़ कर ही नहीं जबानी भी बतलाया कि अमरीका के अन्दर प्राईवेट कैपिटल को जुदा किया है। फिल-वाकया यह दुरुस्त नहीं है। और अगर दुरुस्त भी हो तब भी अपनी हालत में हम इस को फौलो नहीं कर सकते। मैंने अमरीका के मर्चेन्ट मैरीन ऐक्ट, १६३६ का उल्लेख किया, जिस में लिखा गया है कि अमेरिका का सौदागरी बेड़ा अमेरिका के नागरिकों की देखरेख व संचालन में ही काम करेगा। यह तो उन के प्रिएम्बल में लिखा गया है और इस के बारे में जो अहकाम हैं वे सफा १८८ पर दर्ज हैं। जहां तक अमरीका का सवाल है उन के प्रिएम्बल में प्राइवेट सिटिजेन्स के बारे में भी लिखा गया है। अमरीका में भी यह है कि जो सिटिजेन्स हैं, वह ओन कर (मालिक हो) सकते हैं। लेकिन यहां जो लिखा गया है वह यह नहीं है जैसाकि हम सफा १८८ पर पाते हैं कि कोई भी निगम या एसो-सियेशन या पार्टनरशिप कम्पनी तब तक अमेरिका की नागरिक कम्पनी नहीं मानी जायेगी जब तक कि उस का नियंत्रण अमेरिका के रहने वाले नागरिकों के हाथ में न होगा। जैसा कि हमारे यहां दफा २५ में दर्ज है। जब तारीफ (परिभाषा) की गई कि कंट्रोलिंग इन्टरेस्ट क्या होता है तो उन्होंने पार्ट बी में लिखा कि जब तक अधिकतर स्टाकों के मालिक अमेरिका के नागरिक नहीं होंगे तब तक किसी कम्पनी आदि का नियंत्रण अमेरिका के नागरिकों के हाथ में नहीं माना जायेगा।

मैं अर्ज़ करूंगा कि ्इटेड स्टेट्स में जो रूल है कि मैजारिटी हिस्से उस के होंगे ४९ और ५१ हों, इस के लिये यह कहना गलत है कि उन से कैपिटल का फारेन पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसी तरह से आप विलायत में मुलाहजा फरमायें कि सेंट पर सेंट रक्खा हुआ है कि फारेन कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जापान को लीजिये जो बड़ा भारी हिस्सा शिपिंग में रखता है और जहाज़रानी व जहाज बनाने में अव्वल दर्जे का मुल्क बनता जा रहा है। उस में यह तो जरूर लिखा है कि डाइरेक्टर वहां का होगा लेकिन कैपिटल के वास्ते कोई कड़ी शर्त नहीं है। हमारे सामने सवाल यह था कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। जब मैनिंग हमारा है तो यह कहना कि एक्स्क्लू-सिवली (एकमात्र) इंडियन कैपिटल हो, यह मुनासिब नहीं मालूम होता। सवाल यह रह जाता है कि क्या लोन्स के जरिये हम रुपया हासिल करें या इक्विटी कैपिटल के जरिये। रिअल क्रक्स आफ दि क्वेश्चन (मुख्य प्रश्न) यह बन जाता है। इस में कोई शक नहीं कि जैसे मैं ने पहले फिगर्स दिये, उन की रू से हम जो अपनी पालिसी बनायें वह ज्यादा लोन्स लेने पर इन्हेसार न करे। बल्कि ईक्विटी कैपिटल पर तवज्जह दें। भले ही हम ६० और ४० का रेशियो रक्खें। इस के अन्दर कई सवाल पैदा होते हैं . . . .

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : क्या माननीय सदस्य यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशी पूंजी का अनुपात अमरीका और विलायत में क्या है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दरअसल यह सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि किस का कैपिटल कितना हो यह हमारे अखत्यार की बात नहीं है यह तो दूसरों के अखत्यार की बात है। सवाल तो यह है कि जहाज़रानी के व्यापार में फ़ारेन पार्टिसिपेशन (भागीदारी) हो कि नहीं, उसकी इजाज़त हो कि नहीं और मैं समझता हूं कि हमें फ़ारेन कैपिटल के पार्टिसिपेशन की इजाज़त देनी चाहिए और उसको हमें जहां से मिले लेना चाहिए। अमरीका में, विलायत में और दूसरे तक़रीबन

३६ मुल्कों में फ़ारेन कैपिटल के पार्टिसिपेशन की इजाज़त है। वहां पर जो शर्त है वह इस क़दर है कि उनके कितने डाइरेक्टर्स रखे जायेंगे। हमारे डाइरेक्टर्स का परसेंटेज ७५ परसेंट है। यह शंका की गई है। अब अगर कोई ब्रिटिश डाइरेक्टर अगर हमारे डाइरेक्टर्स (संचालक) में आकर बैठ जायेगा तो हम उसके सामने यह नहीं कह सकेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, कम से कम मेरा एस्टिमेट इंडियन कैरेक्टर के बारे में यह नहीं है। मैं जानता हूं कि जब से इस देश में स्वराज्य आया है, "ऐन इंडियन इज़ सेल्फ़ एसर्टिंग"। "वी विल हैव अवर ओन वे"। अगर ७५ परसेंट या ६५ परसेंट डाइरेक्टर्स हमको नहीं बचा सकते तो मेरे खयाल में फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। अगर ६० परसेंट जो हमारा इसके अन्दर शेअर कैप्टिल है और इस क़दर हमारी मेजारिटी है और यह सब होते हुए भी अगर "वी कैन नौट होल्ड अवर ओन", तो मुझे डर है कि किसी सूरत में भी हम इस जहाज़रानी के व्यवसाय को अपने क़ाबू में नहीं रख सकेंगे। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी यह हरगिज़ तजवीज़ नहीं है कि जितना फ़ारेन कैपिटल का पार्टिसिपेशन हो उसके मुताबिक़ उनको डाइरेक्टर्स दे दिये जायें, प्रपोरशनली (उस अनुपात से) एक परसेंटेज उनको दे दिया जाये। मैं तो सिर्फ़ कैपिटल के वास्ते कहता हूं। कैपिटल इस देश के अन्दर बहुत शाई है और उसका इस देश में मिलना मुश्किल है। इसके अन्दर मैं चाहता हूं कि ६० और ४० का परसेंटेज़ हो जाये। मैं कल यह अर्ज़ कर रहा था कि यह शौर्ट साइटेड विज़न नहीं रखना चाहिए। मुझे शुबहा नहीं है आनरेबिल (माननीय) मिनिस्टर ने ६ लाख का जो टार्गेट बताया है वह पूरा हो जायेगा और उसमें बहुत देर नहीं लगेगी। सन् १६६१ में ६ लाख का शिपिंग का टार्गेट (लक्ष्य) हमारा पूरा हो जायेगा। लेकिन ताहम सन् १६६६ तक थर्ड फ़ाइव ईयर प्लान के आख़िर तक, यह २० लाख का टार्गेट जो हम ने अपने सामने रखा है अगर उसको सन् ६६ तक पूरा करना है तो सिवाय इसके कि फ़ारेन कैपिटल को हम यहां पर बुलायें और कोई दूसरा चारा नहीं है। फ़ारेन कैपिटल को यहां बुला कर उससे फ़ायदा उठायें और अपने जहाज़रानी व्यवसाय की तरक्की करें। अब आप अंदाज़ा लगाइये कि ११ लाख टन सन् १६६१ से ६६ तक हमें बढ़ाना है और उसके लिए यह अंदाज़ लगाया गया है कि १५० करोड़ रुपये की आपको ज़रूरत होगी। उसके बिना आप यह ११ लाख टन सन् १६६१ से ६६ तक नहीं बढ़ा सकते जिसके कि मानी यह हुए कि हर साल ३० करोड़ रुपये की हम को ज़रूरत होगी। गवर्नमेंट ने इस फ़ाइव इयर प्लान में ४५ करोड़ का कर्ज़ा शिपिंग कंसर्नस को दिया है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट चूंकि खुद अपनी गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट है इसलिए यह अगले थर्ड फ़ाइव ईयर प्लान में अगर ज्यादा नहीं तो ५० करोड़ रुपया शिपिंग कंसर्नस को दे देगी लेकिन फिर भी यह जो १०० करोड़ रुपया बाक़ी रह जाता है उसको यह हिन्दुस्तान के कैपिटेलिस्ट कैसे पूरा करेंगे। हिन्दुस्तान के कैपिटेलिस्ट्स के मैं बरखिलाफ़ नहीं हूं। मैं उनके सहयोग की क़द्र करता हूं और पैटरेआटिक फ़ील्ड में रह कर उन्होंने बहुत सफ़र (नुकसान उठाया) किया है और मैं उनकी इसके लिए तारीफ़ करता हूं। उन्होंने पैटरेआटिक फ़ील्ड में जितना सफ़र किया है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। उनको पूरा मौक़ा और दावत है और उनके लिए खुली फ़ील्ड है कि वे इस में आयें और अपना कैपिटल लगायें। वे लोग जितना चाहें कैपिटल लगायें, सूद की दर हम ने ६ परसेंट रखी हुई है लेकिन साथ ही मैं यह नहीं चाहता कि महज़ इस वजह से कि वह इंडियन कैपिटल है, उसको सैक्रोसेंट समझा जाये और यह चीज़ साफ़ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि देश की प्राग्रेस सब चीज़ों से ऊंची है। मैं उनकी इस पैटरेआटिज्म (देशभक्ति) की तो ज़रूर क़द्र करता हूं कि वह चाहते हैं कि जहाज़रानी में इंडियन कैपिटल (पूंजी) हो और उनका यह कहना ठीक भी है लेकिन ताहम मैं रिएलिटीज़ को देखते हुए यह कहने में ज़रा भी ताम्मुल नहीं करता कि उनको इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वे इस तरह का बहाना लेकर देश की प्राग्रेस में बाधा डालें। सवाल असली जो पैदा होता है वह यह है कि आया यह क़रीब १०० करोड़ रुपया भी हमें हिन्दुस्तानी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कैपिटल मिल सकता है या नहीं। वह यहां इंडिया में हमें मिल सकता हो तो फिर हमें यहां पर किसी भी फ़ारेन कैपिटल के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे यह डर है कि वह यहां हमें नहीं मिल सकेगा। इस जहाज़रानी के धंधे में हमारे देश ने किस स्नेल पेस से तरक्की की है इसको हर कोई जानता है। मुझे पूरा यक़ीन है कि आयन्दा हम और ज्यादा तेज़ी से तरक्की करेंगे लेकिन इतने ज़ोर से हम तरक्की नहीं कर सकते कि यह १०० करोड़ की बड़ी रक़म हम इन ५ सालों के अन्दर पूरी कर सकें। अब सवाल यह उठता है कि ५० करोड़ तो गवर्नमेंट दे देगी लोन की तौर पर तब भी १०० करोड़ रुपये की और ज़रूरत रहती है। जितना शिपिंग में फ़ारेन एक्सचेंज में मुनाफ़ा होता है वह सारा का सारा भी यदि इसमें प्लाऊ बैक कर दिया जाय तो भी काम पूरा नहीं हो सकेगा। मैंने उस बारे में फ़ीगर्स देखे जिससे मालूम होता है कि ७ करोड़ रुपये साल से ज़्यादा हम इसके अन्दर प्लाऊ बैक नहीं कर सकेंगे और जिसके कि मानी यह हुए कि ३५ करोड़ रुपये का हम इस तौर पर बंदोबस्त कर सकेंगे लेकिन उसके बाद भी तो ६५ करोड़ रुपये का सवाल बाक़ी रहता है। मुझे तो सिवाय इसके कि फ़ारेन कैपिटल को शामिल किया जाये और कोई अन्य तरीक़ा नज़र नहीं आता। अब इसके वास्ते कई मेरे दोस्त यह कहते हैं कि उतना फ़ारेन कैपिटल आयेगा ही नहीं। अब अगर फ़ारेन कैपिटल जितना हमें चाहिये उतना नहीं आयेगा तो उसके लिए हम दूसरे देशों को मजबूर तो नहीं कर सकते कि वह अधिक धन लगायें। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों से यह ज़रूर पूछना चाहूंगा कि जब ऐसी बात है तो वे यह क्यों कहते हैं कि फ़ारेन कैपिटल (विदेशी पूंजी) इनवाइट न किया जाये और उस हालत में तो उनको इसके लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह ज़रूर आयेगा। हमारे सामने सवाल यह है कि यह जो फ़ारेन कैपिटल आयेगा वह ६ परसेंट इंटरेस्ट (व्याज) से कम पर नहीं आयेगा और हमें यह देखना होगा कि उस लोन को इंटरेस्ट के साथ पांच, सात साल के अर्से में पे आफ़ (चुकाना) करने की हमारे मुल्क के अन्दर कहां तक गुंजाइश होगी। मुझे यह डर है कि इस तरह लोन पर लिया हुआ कैपिटल हमको मजबूर कर देगा और हम अपने काम को अच्छे तरीक़े से नहीं चला सकेंगे और जैसी कि हमारे मुल्क की रिसोर्सेज़ (साधन) हैं उनको देखते हुए इस पांच, सात साल के अर्से में हम उनको लोन का रुपया वापिस नहीं कर सकेंगे और जिसका कि नतीजा यह होगा कि कितने ही हमारे शिप्स डिस्ट्रेस्ड सेल हो जायेंगे। अब लोन के अन्दर होता क्या है? आज अमरीका से हमें ट्रैक्टर्स के वास्ते लोन की शक्ल में रुपया मिलता है और बाद में होता यह है। जो लोन देता है वह उसके साथ अपनी पहले कुछ कंडिशंस रखता है कि मेरी चीज़ मेरी शरायत पर खरीदो। मैं लोन लेने के बरखिलाफ़ नहीं लेकिन मुझे यह दिखाई देता है कि यह लोन हमको तबाह कर देगा। अगर इक्विटी कैपिटल होगा तो इस में शक़ नहीं कि वे उसमें से फ़ोरेन्र्ज़ मुनाफ़ा ले लेंगे लेकिन हम उनके रुपये को शामिल करके ज्यादा रुपया कमायेंगे। २० लाख टन रखने वाले मुल्क ६ लाख टन रखने वाले मुल्क से अपनी टन की प्रोपोर्शन (अनुपात) से कहीं ज्यादा रुपया कमायेगा। सारी इन्डस्ट्रीज में बड़ी पूंजी वाले ज्यादा मुनाफ़ा कमाते हैं।

मैं निहायत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमें मैरिटाइम कंट्री बनने के लिए और दुनिया के मुल्कों में हिन्दुस्तान के स्टेटस को उस लिहाज़ से ऊंचा करने के लिए और यह २० लाख टन का टार्गेट पूरा करने के लिए जिसके कि बाद हमारा मुल्क एक मैरिटाइम पावर हो जाये, उसके वास्ते हमें क़र्ज़े की ज़रूरत पड़ती है और मैं पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा अनडेवलप्ड मुल्क है जिसने कि क़र्ज़ा नहीं लिया। हमारी गवर्नमेंट सावरन बौडी है और आज हमको यह अख़्त्यार है कि जब चाहें हम फ़ोरेन कैपिटल को कम कर दें और जब चाहें ज्यादा कर दें। लड़ाई के ज़माने में हम ने देखा है कि सारी जितनी भी विदेशी जायदाद होती है वह सारी की सारी

गवर्नमेंट अपने क़ब्ज़े में कर लेती है और उनके आदमियों को पकड़ लेती है। जब हमें यह अखत्यार हासिल हैं तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट यह ६० और ४० के रेशियो को रखे। कई मेम्बरों ने इस रेशियो को ७५ और २५ पर रखने का सुझाव दिया है। लेकिन मेरा कहना है कि यह ६० और ४० का रेशियो रखा जाये और गवर्नमेंट को अखत्यार दिया जाय कि वह जो मुनासिब समझे कर सके और ज़रूरत समझे तो उसको बढ़ा दे। मैं तो आगे चल कर कहने के लिए तैयार हूं कि किसी इमरजेंसी (आपातकाल) में उसको बढ़ा देना भी नुक़सानदेह है। आखिर गवर्नमेंट हमारी अपनी है और इस गवर्नमेंट से ज्यादा और किसी को इस मुल्क की हिफ़ाज़त की फ़िक्र नहीं हो सकती। इसलिए अगर हमें तरक्की करना है तो यह ६० और ४० का रेशियो (अनुपात) ही मुनासिब है और इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके अन्दर मैं इस तरमीम को ज़रूर मानने को तैयार हूं कि अगर आप इसको इतना फ्लक्सेबुल (लचीला) रखना चाहें और गवर्नमेंट को यह अखत्यार देना चाहे तो मुझे इस में कोई ऐतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट जब ज़रूरत महसूस करेगी उसको बढ़ा देगी।

असली सवाल जो कि हमारे सामने है वह क़र्ज़े का सवाल है और उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि गवर्नमेंट के कामों का कोई ठिकाना नहीं है। जब मैं उन तमाम क़र्ज़ों की तरफ़ देखता हूं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ कामों के लिये फ़ारेन कंट्रीज़ (विदेशों) से लिये हैं तो मेरा दिल दब सा जाता है। फूड के वास्ते जो हमारी गवर्नमेंट करोड़ों रुपये का क़र्ज़ ले रही है उसको देख कर मुझे तो डर लगता है कि यह गवर्नमेंट इन क़र्ज़ों में हमको इतना रेहन कर देगी कि पता नहीं आने वाली नस्लें उन क़र्ज़ों को कब पूरा कर सकेंगी। मैं सच कहता हूं कि मेरे दिल के ऊपर यह असर होता है कि न मालूम हम कितने क़र्ज़े ले रहे हैं और आया यह कि हम कभी इनके भार से उभर भी सकेंगे या नहीं। हम आज क़र्ज़ों के बोझ से दब चुके हैं और हम इस क़र्ज़े के भार को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। यह अच्छा है कि इक्विटी कैपीटल में से वे थोड़ा सा मुनाफ़ा सूद से ज्यादा ले जावेगी। लेकिन उस हालत में आपको कैपिटल को ज्यादा और कम करने का सारा अख्तियार रहेगा। आप चाहें तो उसको बढ़ाने की इजाजत दें या न दें। सब चीज़ें आपके अख्तियार में रहेंगी। इन सब हालात को देख कर मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी राय में मुनासिब होगा अगर गवर्नमेंट इस वक्त ६० और ४० के रेशियो को मान ले। और अगर वह ऐसा नहीं करना चाहती तो दूसरे अमेंडमेंट को मान ले और २५ और ७५ का रेशियो रहने दे और गवर्नमेंट को यह पावर्स दे दी जायें कि जिनकी रूस से गवर्नमेंट जब मुनासिब समझे तो इस रेशियो को कम ज्यादा कर सके।

इन अल्फाज के साथ मैं आनरेबिल मिनिस्टर (माननीय मंत्री) साहिबान को फिर मुबारकबाद देता हूं कि वे इस बिल के जरिये से हिन्दुस्तान को दुनिया की दूसरी मैरीटाइम पावर्स के बराबर लाना चाहते हैं। परमात्मा करे कि हम फिर उतने ही बड़े मैरीटाइम पावर (समुद्री ताकतें) हो जायें जैसे कि किसी जमाने में थे और उस से भी आगे बढ़ जायें और दुनिया में बड़ा नाम और जगह हासिल करें।

†**श्री महन्ती** (ढेकानाल) : श्रीमान्, इस समय भारतीय नौवहन कंपनियों की बड़ी बुरी दशा है। यह उद्योग न तो गैर-सरकारी क्षेत्र में है और न सरकारी क्षेत्र में। इसलिये सब से पहले सरकार को यह निश्चय करना होगा कि वह इस उद्योग को किस क्षेत्र में रखना चाहती है।

इस उद्योग में इस समय ३० कम्पनियां हैं जिनमें से २ सरकारी क्षेत्र में हैं शेष २८ निजी पूंजीपतियों के हाथ में। इस उद्योग में प्राइवेट कम्पनियों को पिछले वर्ष बड़े लाभ हुए हैं जबकि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

उनके मुकाबले में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को बहुत थोड़ा लाभ हुआ है। यह स्थिति बड़ी शोचनीय है।

कुल टन भार की दशा में भारतीय नौवहन की स्थिति संसार के देशों की तुलना में बहुत ही खराब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले हमारे यहां के व्यापारी जहाज़ों का बेड़ा ३.६० लाख टन भार का था। योजना के पांच वर्षों के बाद बड़ी मुश्किल से यह ४.७६ लाख टन तक पहुंच सका जो कि संसार के कुल जहाज़ों का केवल ०.५ प्रतिशत मात्र है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम इस दिशा में कहां तक अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके हैं या कर सकेंगे?

बड़े खेद की बात है कि हमारी योजनाओं में नौवहन की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। द्वितीय योजना में भी केवल ६ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि संसार के छोटे छोटे देशों में भी इससे ज्यादा टन भार है।

इस क्षेत्र में इतने लाभ के उपरान्त भी गैर-सरकारी क्षेत्र का रिकार्ड बड़ी असफलता तथा लापरवाही का रिकार्ड है। यद्यपि उसने काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है किन्तु युद्धोत्तर काल में उसने इतनी सुविधाओं के रहते हुए भी कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई है। इन वर्षों में इस उद्योग में बहुत कम निजी पूंजी का विनिमय हुआ है। नौवहन उद्योग के महत्व को देखते हुए तथा इस उद्योग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार को भली भांति ग़ौर करना होगा कि क्या इस उद्योग को ऐसे लोगों के हाथ में छोड़ना चाहिये अथवा नहीं जिनके पास कि इस उद्योग में लगाने के लिये न तो पर्याप्त साधन हैं और न जिनके पास कोई प्राविधिक जानकारी है। आज हमें इस विषय पर विचार करना होगा कि क्या इस उद्योग को राष्ट्रीयकरण कर लेना उचित नहीं होगा? जब रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ऐसी दशा में नौवहन के राष्ट्रीयकरण में क्या आपत्ति है?

हमारे देश को आज एक मज़बूत सौदागरी बेड़े की बड़ी आवश्यकता है। हमारे नौ-सेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी के शब्दों में "किसी देश के लिये केवल लड़ाकू बलों का होना ही आवश्यक नहीं है प्रत्युत उसके लिये—उसे एक समुद्री ताकत बनाने के लिये—एक सशक्त तथा दक्ष सौदागरी बेड़े का होना भी बड़ा आवश्यक है"। इस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से देखने पर भी भारतीय नौवहन का राष्ट्रीयकरण बड़ा जरूरी हो जाता है।

श्रीमान् १६४७ में एक संकल्प पारित किया गया था उस समय यह निश्चित किया गया था कि भारतीय नौवहन में विदेशी कम्पनियां २५ प्रतिशत तक पूंजी विनियोजित कर सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम आज तक इतनी पूंजी को आकर्षित करके समर्थ हो सके हैं? यदि हम इसमें सफल नहीं हो सके हैं और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस में भारतीय पूंजीपति भी पूंजी लगाने में संकोच कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में हम इन पांच वर्षों में ६ लाख टन के निर्धारित लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकेंगे? यह बड़ी विचारणीय बात है।

हमारी नौवहन विकास निधि भी बड़ी अपर्याप्त है। यह एक छोटे से क्लर्क के बैंक एकाउन्ट की भांति है जिसे वह बड़ी आशाओं से खोलता है मगर जिसमें उसको तुरन्त ही बड़ी निराशा होने लगती है। हमें नौवहन के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत ४५ करोड़ रूपये के अतिरिक्त इतनी ही और राशि चाहिये। यह राशि कहां से आयेगी? जब कि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है? श्रीमान् मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को

आज की परिस्थिति देखते हुए इस उद्योग के लिये विदेशी पूंजी का अधिक अनुपात निर्धारित करना चाहिये । हम ने तेल जैसे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ५१ : ४६ के अनुपात में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दे रखी है । और साथ में यह प्रत्याभूति भी दी है कि हम २५ वर्ष तक उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे । नौवहन उद्योग के विकास के लिये भी हमें ऐसे कदम उठाने चाहियें ।

श्रीमान् मैं इस विधेयक में विदेशी पूंजी सम्बन्धी उपबन्धों का विरोध करता हूं । शेष खंडों के बारे में मैं खंडशः विचार के समय अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् इस विधेयक के बारे में और कुछ कहने से पूर्व मेरा यह निवेदन है कि जहां तक संसद् के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है इस सभा के सदस्यों की संख्या ५ से ६ कर दी जाये क्योंकि अभी तक यही व्यवस्था अपनाई जाती रही है कि समितियों में राज्य-सभा के सदस्यों से लोक-सभा के सदस्य दुगने होने चाहिएं । मैंने इसके लिये एक संशोधन भी दिया है । हाल में ही राजघाट समाधि विधेयक में भी यही सिद्धान्त मान कर राज्य-सभा के सदस्यों से लोक-सभा के सदस्यों की संख्या दुगनी रखी गयी है । मेरा निवेदन है कि इसमें भी ऐसी ही व्यवस्था रखी जानी चाहिए ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने यह प्रश्न उठाया कि हमें नौवहन के महानिदेशक को कार्य-पालिका के अधिकार देने के बजाये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को यह अधिकार देने चाहिएं । संविधान के अनुसार कार्यपालिका अपने कामों के लिए इस सभा के प्रति जिम्मेदार है । परन्तु राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में संसद् के पांच अथवा छः सदस्य हैं और जहाज मालिकों तथा नाविकों के प्रतिनिधि भी इस में हैं और यदि इसको वह अधिकार दे दिये गये तो वह बोर्ड सभा के प्रति जिम्मेदार किस प्रकार होगा । ऐसा किया जाना असंभव है । श्री चौधरी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के समान ही बोर्ड बनाया जा सकता है । परन्तु रेलवे बोर्ड में सभी सरकारी व्यक्ति हैं और गैर-सरकारी व्यक्ति इस में कोई भी नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि १६४७ की नीति असफल हो गई है । हमें ऐसे निर्णय एकदम नहीं करने चाहिएं । इस सम्बन्ध में श्री रामस्वामी मुदालियर द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य में बताया था कि "स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् दो तीन मुख्य समवायों में पाकिस्तानी तथा बर्मी लोगों के भी कुछ अंश थे । इसीलिये शत प्रतिशत भारतीय रखने के स्थान पर कुछ अवधि के लिए ७५ प्रतिशत हमें निश्चित कर लेना चाहिए ।" इसीलिए विभाजन के पश्चात् ऐसी व्यवस्था करने की समिति ने सिफारिश की थी ।

भारत सरकार ने अपने १६४७ के नीति सम्बन्धी संकल्प में स्वीकार किया था कि भारतीय नौवहन की परिभाषा यह है कि जहाजों पर स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबन्ध भारतीय राष्ट्रजनों का ही होना चाहिए । परन्तु इस समय इसका परिपालन कठोरता से नहीं किया जा सकता है । इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का मतलब यह नहीं था कि ७५ : २५ अनुपात में विदेशियों द्वारा इस में हिस्सा लेने से भारतीय नौवहन में विदेशी पूंजी अधिक लग जायेगी । इस प्रकार यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि हमारी नीति असफल रही है । १६४७ की नीति के अधीन २५ प्रतिशत विदेशी पूंजी लगने पर भी कोई विदेशी निदेशक नहीं बन सकता था परन्तु हम ने अपने प्रतिवेदन में ऐसी व्यवस्था रखी है कि २५ प्रतिशत विदेशी पूंजी नौवहन समवाय में लगने पर उनको उसके अनुपात में बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बर्मन]

एक और आपत्ति के आधार पर हमारे प्रतिवेदन की आलोचना की गई है। हमें यह सुझाव दिया गया कि यदि हम विधेयक में ऐसी व्यवस्था कर दें कि ४० प्रतिशत विदेशी पूंजी लगे तथा ६० प्रतिशत भारतीय, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है अर्थात् भारतीय नियंत्रण भी रहता है और विदेशी पूंजी भी हमारे समवायों में लग जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि समिति के समक्ष जिन लोगों ने गवाहियां दी हैं उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। अखिल भारतीय निर्माता संगठन के कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके विचार से ५१ : ४९ का अनुपात रखा जाना चाहिए क्योंकि डच नौवहन समवाय द्वारा इन्डोनेशिया में माल ले जाने पर पाबंदी लगा दिये जाने के कारण अमेरिका में बहुत माल पड़ा है। इसी प्रकार यदि यह अनुपात रखा गया तो अमेरिका, इंगलैंड, अरब, बेल्जियम, स्विटजरलैंड तथा जापान आदि देश भारतीय समवायों में बहुत धन लगायेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त समिति ने जो अन्य लाभ, जैसे समवाय का मुख्य कार्य स्थल भारत होगा, इसके तीन-चौथाई निदेशक भारतीय नागरिक होंगे, निदेशक बोर्ड का सभापति, तथा प्रबन्ध निदेशक भारत का नागरिक होगा, तथा प्रबन्ध अभिकर्ता भी भारतीय होंगे, आदि इसी प्रकार रख कर विदेशी पूंजी का अनुपात ५१ : ४९ कर देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पूरी तरह भारतीय समवायों के लिये कुछ और भी लाभ रखे गये हैं; जैसे तटीय व्यापार कम सूद पर, ऋण, अग्रिम धन आदि पूरी तरह से भारतीय समवायों को ही दिया जायेगा। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना था कि इन सभी लाभों का फायदा सभी प्रकार के समवायों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। इससे यह पता लग जाता है कि संगठन की यह मांग है कि ४९ प्रतिशत विदेशी पूंजी की व्यवस्था रख कर पूरी तरह से भारतीय नौवहन समवायों को दिये गये लाभ सभी समवायों को दिये जाने चाहिए।

मैं सभा से जानना चाहता हूं कि क्या संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा मांगी गई इन रियायतों को अर्थात् ४९ प्रतिशत विदेशी पूंजी का लगाया जाना तथा पूरी तरह से भारतीय समवायों को दिये गये लाभ का दिया जाना आदि सभी समवायों को दे देनी चाहिए। मेरा अपना विचार है कि यद्यपि हमें विदेशी सहायता चाहिए परन्तु वह ऐसी मिलनी चाहिए जिससे उद्योग का विकास इस प्रकार से हो कि अन्त में यह सभी समवाय पूर्णतः भारतीय नौवहन समवाय हो जायें।

नौवहन उद्योग में यह होता है कि जिस दिन से एक जहाज़ समुद्र में उतारा जाता है उसी दिन से उससे आय होने लगती है। जो गवाही दी गई उसमें हमें बताया गया कि यदि किसी जहाज़ को २० से २५ प्रतिशत नक़द मूल्य देकर खरीदा जाये तो शेष ७५ प्रतिशत पांच सात वर्षों में उसके द्वारा हुई आय से खर्चा निकाल लिया जा सकता है, जिसका अर्थ हुआ कि पांच अथवा सात वर्ष में ७५ प्रतिशत लाभ बिना किसी कष्ट के हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि इस उद्योग में हम ऋण दें तो आठ वर्षों में वह हमको वापस मिल जाता है। ऐसा अन्य किसी उद्योग में नहीं हो सकता। इसलिये इस उद्योग के लिए ऋण लेने में हमें डरना नहीं चाहिए। इसके लिए विदेशी ऋण लेने में हमें कोई हानि नहीं है।

एक तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि जब हमने अन्य उद्योगों में ५० प्रतिशत से शत प्रतिशत तक विदेशी पूंजी लगाये जाने की अनुमति दे दी है तो भारतीय नौवहन में ४९ प्रतिशत विदेशी पूंजी लगाये जाने की अनुमति देने में इतनी आना-कानी क्यों की जा रही है। मेरा निवेदन है कि यह उद्योग, अन्य उद्योगों की तुलना में भिन्न प्रकार का है। हम ने इन उद्योगों में ७५ : २५ का अनुपात, निदेशक बोर्ड के सभापति के बारे में नियंत्रण, आदि व्यवस्था भी तो रखी है जबकि अन्य उद्योगों को समवाय अधिनियम के उपबन्धों पर छोड़ दिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ

कि अन्य देशों के नौवहन उद्योग में भी अन्य उद्योगों से भिन्न प्रकार की व्यवस्था रखी गई है। जो नियंत्रण हम ने इस विधेयक में रखे हैं यदि अन्य उद्योगों में भी रखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो विदेशी सहायता हमें अन्य उद्योगों में मिल रही है वह नहीं मिली होती।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हम इस पर नियंत्रण रखते हैं कि नाविक कौन हों, प्रशिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, सर्वेक्षकों की अर्हता किस प्रकार की होनी चाहिए। जहाज के मास्टर का नाविकों से किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। इससे पता लग जाता है कि इस उद्योग तथा अन्य उद्योगों में बड़ा अन्तर है।

अन्त में, मेरा यही कहना है कि १९४७ में नियुक्त समिति ने इस प्रश्न पर पूरी तरह जांच की थी और संयुक्त समिति का भी यही मत था कि हमें उस समिति द्वारा निर्धारित नीति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। माननीय मंत्री ने बताया है कि द्वितीय योजना काल में ९ लाख टन का लक्ष्य पूरा हो जायेगा इसलिये हमें विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं भी उन सदस्यों में से एक हूं जो इस विधेयक की संयुक्त समिति में थे। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम में से कोई भी इसके पक्ष में नहीं था कि इस उद्योग में विदेशी पूंजी लगे। जैसाकि श्री बर्मन ने बताया, १९४७ का संकल्प इसलिए रखा गया था कि विभाजन के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रजनों पर कुप्रभाव न पड़े। अब भी जो २५ प्रतिशत की व्यवस्था रखी गई है वह उन व्यक्तियों के लिये जो रहते तो हैं लंका, बर्मा और अन्य देशों में परन्तु हैं भारतीय उद्भव के। यदि १९४७ के संकल्प की व्यवस्था को ही बनाये रखने वाला संशोधन सरकार ने स्वीकार कर लिया तो मुझे उसकी बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे यह जान कर बड़ा दुख हुआ था कि कुछ इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं जो यह चाहते हैं कि विदेशी पूंजी इस उद्योग में अवश्य लगे। माननीय मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में यह बता कर ठीक ही किया कि यदि विदेशी पूंजी लगाने का प्रश्न सामने आया तो निश्चित रूप से मामला सभा के समक्ष लाया जायेगा।

अब मैं दो तीन बातें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। खण्ड ४५६ को लीजिये। इसमें स्वदेश व्यापार के प्रमाणपत्र रखने वाले अधिकारियों के बारे में बताया गया है कि कुछ पदाधिकारियों को छूट देने के अधिकार कार्यपालिका के होंगे। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि एक जहाज़ में विदेश जाने वाली वस्तुओं के लादे जाने पर इस जहाज़ के पदाधिकारियों को विदेश जाने के प्रमाण-पत्र लेने होते हैं। तो जब इन पदाधिकारियों को परिवहन मंत्रालय द्वारा क्षमता के प्रमाणपत्र दिये जाते हैं तो और परीक्षण की क्या आवश्यकता रह जाती है। जहाज़ों के अधिकारियों के लिये १९५२ में इलैक्ट्रोनिक तथा नौवहन के आधुनिकतम तरीकों का पाठ्यक्रम रखा गया था इसलिये १९५२ से दिये गये प्रमाणपत्रों को इस से छूट दी जानी चाहिए। और इसके लिए खण्ड ४५६ में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

यह कहा गया कि हमारे बहुत से नाविक विदेशी जहाजों में नियुक्त हैं। इसलिये हमें ऐसे नियम बनाने चाहियें जिनसे उनकी सेवा की शर्तें आदि निर्धारित हो सकें। मैं बताना चाहता हूं कि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि नाविकों की भरती ठीक प्रकार से हो तथा उनकी काम की शर्तें ठीक बनाई जायें। अभी ऐसा होता है कि अंग्रेजी जहाजों पर जो अंग्रेज नाविक होते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

उनको ३० पौंड दिये जाते हैं जबकि भारतीय नाविक को १० पौंड दिये जाते हैं । इसलिये हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये और सेवा की शर्तें बनानी चाहियें क्योंकि यह तो संभव नहीं है कि वह हमारे नाविकों को नियुक्ति न दें ।

खण्ड १५० नाविकों तथा मालिकों के सम्बन्ध में है । इस खण्ड के अधीन औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा और न्यायाधिकरण फैसला देगा । फैसले पर कार्यवाही के लिये सरकार को विशेष अधिकार दिये गये हैं । मैं चाहता हूं कि विशेषाधिकार के परन्तुक को हटा देना चाहिये क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

पदाधिकारियों के बारे में मैं आपका ध्यान २७–३–५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४८ की ओर दिलाना चाहता हूं । उसमें बताया गया है कि पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त सुविधायें न होने के करण प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं है । हमें उचित प्रशिक्षण देने पर विचार करना चाहिये । "डफ़रिन" जहाज में अगस्त १९५६ में ५० से ६० व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और १९५८ में इस संख्या को ७५ कर देने का विचार है । इनको १ ½ वर्ष तक अपरेंन्टिस रखा जाता है उसके पश्चात् परीक्षा ली जाती है । इस प्रकार आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे पास पर्याप्त व्यक्ति प्रशिक्षित हो जायेंगे ।

इंजीनियरिंग पदाधिकारियों के लिये कलकत्ते में एक संस्था है । इसमें प्रतिवर्ष ५० लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है । १९५८ में इनकी संख्या ६५ कर देने का विचार है । मेरा सुझाव है कि आसाम, बंगाल तथा मद्रास सरकार के समान सभी राज्यों की सरकारों को इन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

नाविकों के प्रशिक्षण के लिये विज़ाग में मेखला, कलकत्ते में भद्रा तथा नवलाखी में नौ-लक्षी संस्थायें हैं । तीन महीने के पाठ्यक्रम में १४० छात्रों को शिक्षा दी जाती है । ऐसा प्रस्ताव है कि एक महीने में १८० लड़कों को लिया जाये । मेरी अपील है कि इन संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों की संख्या बढ़ा दी जाये । हमें यह भी देखना चाहिये कि नाविकों में कार्मिक संघों के बारे में उच्च प्रकार की भावनायें पैदा हैं । ऐसा भी पता लगा है कि जब कोई व्यक्ति जहाज पर पहले-पहल काम करने आता है तो उससे ७० रुपये जबरदस्ती लिये जाते हैं । इस प्रकार की प्रथा हमें बन्द करनी चाहिये ।

पाल वाले जलयानों के लिये विधेयक में एक विशेष धारा रखी गई है । इसलिये हमें भी इस पर विशेष रूप में विचार करना चाहिये । इन जलयानों का हमारे राष्ट्र से बड़ा गहरा सम्बन्ध रहा है और १८०७ में अंग्रेजों से बड़ी कठिन लड़ाई हमने लड़ी है । इस शताब्दी के प्रारम्भ में तमिलनाद के चिदाम्बरम पिल्ले ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये क्योंकि उनका मत था कि तटीय नौवहन पर एक मात्र भारतीय जलयानों का एकाधिपत्य रहना चाहिये । इसलिये हमें जलयानों को तो अवश्य रखना है ।

अन्त में मैं डैक यात्रियों की बुरी दशा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आज भी मद्रास से सिंगापुर तथा कलकत्ते से पोर्ट ब्लेयर तक चलने वाले जहाजों में डेंक यात्री भेड़ों के समान भरे हुए देखे जा सकते हैं जो हम भारतीयों के लिये बड़े शर्म की बात है । क्या हज यात्रियों के लिये जाने वाले जहाजों के समान हम इन जहाजों में भी छोटे-छोटे कमरे नहीं बना सकते हैं । हमें यह पद्धति समाप्त कर देनी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान देंगे ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : वास्तविकता यह है कि वाणिज्यिक नौवहन को आज केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जा सकता, वह तो राष्ट्र की आर्थिक और सैन्य शक्ति का प्रतीक होता है। कोई देश भी इसे अपने नियंत्रण से बाहर रहने की अनुमति नहीं दे सकता। अतः इस मामले में हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिये अर्थात् सरकार का भी पर्याप्त नियंत्रण रहे और हम उसे बिल्कुल मुक्त भी न छोड़ दें। इस सम्बन्ध में दो पहलू विचारणीय हैं, एक यह कि, वर्तमान समय और आने वाले दस वर्षों में हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की आवश्यकतायें क्या होगीं। दूसरा यह कि अच्छे और स्वस्थ्य राष्ट्रीय नौवहन सेवा के निर्माण का लक्ष्य रखा जाना चाहिये। जो कि हमारी अर्थ व्यवस्था और सैनिक बल का एक महत्वपूर्ण अंग हो।

प्रथम बात के सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है कि यदि हम अभी वाणिज्यिक नौवहन के निर्माण में असमर्थ हैं, तो हमें अपने समुद्र तटों पर विदेशी जहाजों को व्यापार करने की अनुमति देनी चाहिये। यह तो वही अवस्था होगी जो कि भूमि होते हुए भी उसकी सिंचाई करने के असमर्थ हो। देश की अर्थ व्यवस्था के निर्माण में समुद्र का सहयोग या महत्व भी कुछ कम नहीं होता। जो बात भूमि पर लागू होती है, वही समुद्र पर भी लागू होती है। तट पर होने वाला व्यापार देश की अर्थ व्यवस्था का निर्माण करता है। हमारा माल विदेशों में जाये, इससे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति की वृद्धि ही होती है, इस कारण इस अंग को बहुत देर तक उपेक्षित नहीं रखा जा सकता। आज की अवस्था में हमें इस दिशा में विदेशी सहयोग से लाभ उठाना चाहिये। इसके लिये जैसा कि श्री बर्मन ने कहा है निम्न बातें ठीक रहेंगी कि जहाज का मालिक कोई भारतीय व्यक्ति हो, यदि कोई समवाय हो तो उसे निम्न शर्तें पूरी करनी चाहियें। प्रथम यह कि उस समवाय के व्यापार का प्रमुख केन्द्र भारत हो, दूसरा यह कि कम से कम ७५ प्रतिशत अंशधारी तथा तीन चौथाई संचालक भारतीय हों। इसके अतिरिक्त संचालक बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबन्ध संचालक भारतीय नागरिक हों। इन हालतों में यदि कुछ लोग बाहर के भी होंगे तो वे हमें कुछ नहीं कर सकेंगे।

संशोधन प्रस्तुत करने का मेरा तात्पर्य यही है कि परिवर्तन मानवीय स्वभाव का एक आवश्यक अंग है और इस सिद्धांत के अनुसार हमारा निर्णय भी समयानुसार बदल जाना चाहिये। मुनाफाबाजी और पूंजीपति की जो शिकायतें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा निवदन यह है कि मुनाफा कमाने वाला तो मुनाफा चाहता ही है, चाहें वह किसी प्रकार भी क्यों न हो। परन्तु निम्न श्रेणी के आरोप लगाने और गलत समालोचना करना भी ठीक नहीं है। नौवहन के सम्बन्ध में खंड ४०६ में कहा गया है कि इस धारा के अन्तर्गत महानिर्देशक के द्वारा दिये गये लाइसेंस के बिना, भारत का अथवा किसी भारतीय का कोई जहाज किसी पत्तन से भारत अथवा भारत से बाहर समुद्र में नहीं उतरेगा। इस प्रकार की धारा के होते हुए, यदि विदेशी पूंजी अधिक मात्रा में भी हो या विदेशी अंशधारी बहुसंख्या में हों, तो भी कोई विशेष अन्तर नहीं आता। यह भी कहा गया है कि यह हमारी प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति है। मेरा निवेदन है कि जो भी आज की स्थिति है उसके अनुसार मेरा मत यह है कि अभी २० वर्ष युद्ध का कोई खतरा नहीं। स्वेज नहर, मध्य पूर्व का संघर्ष और दूर पूर्व की स्थिति, ये सभी हमने देखे हैं। आज लोग रोटी के लिये तरस रहे, युद्ध का विचार कहीं भी नहीं पाया जाता। इसलिये आगामी दो दशाब्दियों तक युद्ध असम्भव है। इन २० वर्षों में अवस्था बिल्कुल बदल जायेगी अणुशक्ति का भाग बड़ा महत्वपूर्ण हो जायेगा और जीवन के प्रत्येक अंग में इसका पदार्पण हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ७५ : २५ के खंड में एक अतिरिक्त परन्तुक जोड़ने में कोई हानि नहीं कि सरकार जब चाहे उसमें परिवर्तन कर ले।

†मूल अंग्रेजी में

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा इस बिल पर बोलने की तो नहीं थी लेकिन . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : तब फिर आप माफ करें ताकि मैं किसी और साहब को बोलने का मौका दे दूं ।

श्री झुनझुनवाला : मैं जो कुछ कहूंगा उससे मेरी इच्छा प्रकट हो जायेगी । मैं केवल बोलने के लिये नहीं बोल रहा हूं । हमारी सरकार ने एक कनफ्यूशन (गलतफहमी) सा पैदा कर दिया है । जिस तरह का बिल सरकार लाई थी और बाद में जिस तरह से बीच बीच में बातें होती रही हैं, उससे एक प्रकार का मन में कनफ्यूशन पैदा हो गया है, जिसका मैं चाहता हूं निवारण होना आवश्यक है । इसी कनफ्यूशन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

हमारे माननीय मंत्री पाटिल साहब जब भी कोई बात कहते हैं, चाहे वह संसद् में कहते हों या अन्यत्र, बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं । मैंने उनको यहां पर भी और बाहर भी सुना है । वह बहुत ही दृढ़ता से अपनी बात को कहते हैं और चाहते भी हैं कि वह होनी ही चाहिये । मैंने उनका व्याख्यान पढ़ा और उसमें उन्होंने कहा कि २५ और ७५ की रेशो जो मैं कर रहा हूं यह तो केवल कम्प्रोमाईज के लिये ही कर रहा हूं । परन्तु यह बहुत महत्व की बात है । उन्होंने इस तरह से कुछ बताया कि यह हमारी सेकिंड लाइन आफ डिफेंस है । इस वास्ते मैं समझता हूं कि हमें इस चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा । पहली बात तो यह है कि यह सेकिंड लाइन आफ डिफेंस है । दूसरी बात जोकि कम महत्व की नहीं है यह है कि भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति जिस तरह की आज है उसमें यदि हम १५० करोड़ रुपया सालाना फ्रेट के रूप में बाहर भेजते रहे तो वह भी हमारे इंटिरेस्ट में नहीं होगा । हमारी इकोनोमिक पोजीशन दिन पर दिन खराब न होती जाये इसका भी हमें पूरा खयाल रखना है । तीसरी बात यह है कि उस वक्त जबकि किसी के दिमाग में शिपिंग का खयाल भी नहीं था और न ही कोई खयाल कर सकते थे, जिन लोगों ने इसका खयाल किया और इसमें पूंजी लगाई और जो रिस्क इनवाल्वड् (खतरा शामिल) था उसकी भी परवा नहीं की उनका भी हमें खयाल रखना है । उस वक्त कोई भी रुपया लगाने के लिये राजी नहीं था । एक बात यह भी है कि उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी जो कि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को मारना चाहती थी और इसको तरक्की देने के खिलाफ थी । ऐसी हालत में आगे आकर जिन लोगों ने इस काम को किया, उनका भी खयाल रखना हमारे लिये जरूरी है । हमारे भाई जो उस तरफ बैठे हैं उनको उन लोगों का खयाल नहीं है । मैं समझता हूं कि ग्रेटफुलनेस और अन-ग्रेटफुलनेस भी कोई चीज होती है । उस वक्त इन लोगों ने कितना अधिक रिस्क उठा कर काम किया और कितनी दिक्कतें इन लोगों के रास्ते में आईं, इन सभी बातों को हमें अपने सामने रखना होगा ।

ये जो तीन चार बातें मैंने बतलाई हैं ये बहुत जरूरी बातें हैं और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ही हमको इस बिल पर विचार करना होगा । असल बात यह है कि फारेन पार्टिसिपेशन होना चाहिये या नहीं होना चाहिये और इसी चीज पर मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा । जब शिपिंग की हमारी सेकिंड लाइन आफ डिफेंस (रक्षा की दूसरी पंक्ति) है तो हमें देखना होगा कि इसमें किसी प्रकार की भी त्रुटि न आने पावे । इस सम्बन्ध में हमारे बुजुर्ग ठाकुर दास भार्गव जी ने बहुत अच्छी तरह से जो त्रुटियां आ सकती हैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचा है । उन्होंने बताया है कि जो लोग हमारे जहाजों पर काम करें, उनके बारे में हमें देखना होगा कि वे कौन लोग हैं । हमारे पटनायक साहब ने कहा कि यह जो सेकिंड

लाइन ग्राफ डिफेंस है इसमें यदि कोई भी इस प्रकार के ग्रादमी हों जोकि हमारी चीज को किसी भी वक्त धक्का लगा कर सेबोटाज (गड़बड़ी फैला) कर सकते हो, तो उनकी तरफ हमारा ध्यान भी ग्रवश्य जाना चाहिये। हमारे भाई ठाकुर दास जी ने कहा कि इसमें बहुत से फोरेनर (विदेशी) हैं, पाकिस्तानी हैं ग्रौर ग्रन्य ग्रन्य लोग हैं जो कि हम को कभी भी धोखा दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस बिल में जो भी इस से सम्बन्ध रखने वाली क्लाजिज हैं उनको ऐसा बना दिया जाये जिस से इस प्रकार की घटनायें न हो सकें ग्रौर उन लोगों का पूरा ध्यान रखा जाये। यह भी देखा जाये कि जो भी ग्रादमी काम करें, वे हमारे ही ग्रादमी हों ताकि यह जो हमारी सेकिंड लाइन ग्राफ डिफेंस है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न ग्राने पावे।

मेरी राय है कि यदि हम ग्रपने रुपये से काम कर सकें तो उससे सुन्दर बात ग्रौर कोई नहीं हो सकती है। लेकिन ग्रगर ऐसा नहीं कर सकते हैं ग्रौर हम लोन ले कर सकते हैं तो वैसा भी हमको करना चाहिये। लेकिन एक बात मैं ग्रवश्य कहना चाहता हूं कि चाहे ग्राप कर्जा ले कर करें, चाहे ग्रपने पैसे से करें ग्रौर चाहे किसी ग्रौर तरीके से करें, लेकिन जिस तरह से ग्राप दूसरे फील्ड्स में डिवेलेपमेंट कर रहे हैं, उससे इसको किसी भी हालत में कम नहीं समझा जाना चाहिये। यह सेकिंड लाइन ग्राफ डिफेंस है ग्रौर यह हमारे लिये बहुत जरूरी है। केवल सेकिंड लाइन ग्राफ डिफेंस की दृष्टि से ही नहीं बल्कि ग्रार्थिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। ग्रतः सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि चाहे वह प्राइवेट सैक्टर हो, चाहे पब्लिक सैक्टर हो, इसको हमें बढ़ाना है। हम यह सहन नहीं कर सकते हैं कि १५० करोड़ रुपया हर साल हम बाहर भेजते चले जायें। यह सरकार का ही काम है कि वह इन चीजों को देखे ग्रौर देख कर के ग्रच्छी तरह से तोले ग्रौर फिर जो मुनासिब हो करे। सरकार के पास ही हर प्रकार के ग्रांकड़े इत्यादि रहते हैं ग्रौर वही इन सब चीजों को देख सकती है ग्रौर उसे देखना चाहिये।

प्राइवेट सैक्टर ने जो इस फील्ड में काम किया है, उसकी ग्रोर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। उसने उस वक्त यह काम किया है जबकि कोई दूसरा किसी किस्म का रिस्क इसके बारे में लेने के लिये तैयार नहीं था। उनको प्रोत्साहित करने के लिये हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं, करें ग्रौर इसके लिये यदि ग्रवश्यक हो तो हम उनको रुपया भी दें लेकिन इतना होने पर भी यदि वे लोग काम ठीक से न करें तो उनके हाथ में इस चीज को छोड़ना, मेरी राय में, गलत होगा। ग्रगर हम उनके द्वारा उनको लोन दे कर के या ग्रन्य जरियों से उनकी सहायता कर के उन से काम ले सकें ग्रौर ग्रपनी शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ा सकें, तब तो ठीक है लेकिन यदि वे इस काम को न बढ़ा सकें ग्रौर कुछ न कर सकने की स्थिति में हों तो भी हम यही पीटते जायें कि वे पुराने लोग हैं ग्रौर उस समय उन्होंने काम किया जबकि कोई भी ग्रागे नहीं ग्राता था तथा इन्हीं को इसलिये किसी भी तरह रहने दिया जाये तो यह गलत चीज होगी। ऐसी हालत में ग्रगर हमारे पास रुपया है, ग्रगर हम कर्ज ले कर रुपया लगा सकते हैं ग्रौर कर्ज ले कर हम शिपिंग कर सकते हैं, ग्रौर यदि प्राइवेट सैक्टर इस को ग्रपने हाथ में न ले सके, तो मैं कहूंगा कि सरकार को इस काम को ग्रपने हाथ में ले कर करना चाहिये। लोग इस चीज के ऊपर बहुत महत्व देते हैं कि हमारे देश का जो डेढ़ सौ करोड़ रुपया बाहर जाता है, वह न जाये। उस को हमें किसी तरह से बन्द करना है। हम उसे किस तरह से बंद कर रहे हैं, यह सब बातें सरकार देखे। ग्रतएव मैं यही कहूंगा कि जो २५ ग्रौर ७५ का रेशियो रक्खा गया है वह मेरी समझ में नहीं ग्राता कि किस नीति से किया गया है। पाटिल साहब ने कहा कि हम ने यह एक कम्प्रोमाइज कर लिया है। मेरी समझ में नहीं ग्राया कि यहां कम्प्रोमाइज का क्या मतलब होता है। किस से कम्प्रोमाइज किया?

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : देशी विदेशी पूंजीपतियों से कम्प्रोमाइज।

श्री झुनझुनवाला : देशी विदेशी पूंजीपतियों से कम्प्रोमाइज कर के अगर उन्होंने २५ और ७५ का रेशियो रक्खा, यानी ७५ देशी और २५ विदेशी, तो यह विदेशों से कम्प्रोमाइज क्या हुआ ? मैं इस कम्प्रोमाइज के महत्व को नहीं समझता । मैं तो यह समझता हूं जैसा कि हमारे भाई कृष्ण चन्द्र शर्मा ने कहा है कि यह कोई चीज नहीं है कि कौन पैसा दे और कितना दे। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में जिन की आवाज अधिक होगी उन्हीं की चलेगी । इसलिये मैं सरकार से यह कहूंगा कि आप ने जिस प्रकार ७५ और २५ परसेन्ट रख कर उस में फारेनर्स को पूरा अधिकार दे दिया है, उन्हें मैनेजिंग एजेंसी में भी २५ परसेंट दे दिया है, यदि उसी प्रकार से ४९ और ५१ रख कर उतना ही अधिकार दे देंगे फारेनर्स को, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप फारेनर्स को इतने अधिकार दें । ६० और ४० परसेन्ट रख कर भी आप उन को उतने ही अधिकार दें जिस से कि हमारे देशी भाइयों की आवाज वहां न रहे तो भी वह ठीक नहीं होगा । अतएव में यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने पहले बिल पेश किया और फिर जिस रूप में वह उसे यहां पर लाई है उस से तो मैं यही देखता हूं कि सरकार का माइन्ड किसी खास सिद्धांत पर चल कर नहीं बना है । यद्यपि जब पाटिल साहब ने स्पीच दी तो ऐसा मालूम हुआ कि शायद उन के मन में कोई ठीक सिद्धांत बैठा हुआ है इसीलिये उन्होंने यह चीज कही कि हम कम्प्रोमाइज की तरह पर यह चीज कर रहे हैं । तो मैं तो यही सिफारिश करूंगा कि फारेन कैपिटल के रेशियो के सवाल को कि कितना लिया जाये, कहां लिया जाये और किस समय लिया जाये, यह सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिये । बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत से विदेशियों में फारेन कैपिटल की कोई मनाही नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट पढ़ कर सुनाई, लेकिन इस देश की इस समय की स्थिति देखिये और उन देशों की उस समय की स्थिति को देखिये । पूरी स्थिति को देख कर के हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस समय फारेन कैपिटल लेने से क्या नुक्सान हो सकता है । कितना वह लोग हमें दबा सकते हैं और कहां तक सेकिन्ड लाइन आफ डिफेंस का हमारा नुक्सान होता है । हम को सब चीजें विचारनी होंगी । यह सब चीजें विचारने के लिये अगर हम सरकार को पावर न दें, तो यह ठीक नहीं होगा । उस को निश्चय करना चाहिये कि कितना रेशियो रक्खा जाये और कितना न रक्खा जाये । मैं तो यह कहूंगा कि यह सब सरकार के हाथ में रहे कि जैसे देश की स्थिति हो उस के अनुसार गैजेट में नोटिफाई कर के इस काम को करे ।

मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आप का बहुत समय नहीं लेना चाहता, इसलिये अब इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : यह विवाद अधिकतर भारतीय जहाज़ की परिभाषा पर ही केन्द्रित हो गया और विधेयक के अन्य महत्वपूर्ण अंगों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया । भारतीय नौवहन का इतिहास यही है कि विदेशी शक्तियों ने अपने लाभ के लिये इस उद्योग को दबाने और इसकी उपेक्षा करने की नीति अपनाई । इस बात को अनुभव करते हुये भी इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सका । दस वर्ष पूर्व १० लाख टन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह भी पूरा नहीं किया जा सका । योजना के आरम्भ होने पर हमारा टनभार संसार में एक-चौथाई के लगभग था ।

मेरा मत यह है कि इस विधेयक की चर्चा करते हुये हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वाणिज्यिक नौवहन हमारी प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति है । इसी के सहारे हमने ३,३०,००० ब्रिटिश और अन्य सैनिकों का जीवन बचाया था । मैं चाहता हूं कि आप इस दृष्टि से इस समस्या पर विचार करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय जहाज की परिभाषा के अतिरिक्त विधेयक में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड, और नौवहन विकास निधि के निर्माण की भी व्यवस्था की गई है । प्रशासन का सारा भार नौवहन महानिर्देशक के हाथों में होगा । इसके अतिरिक्त और सम्बद्ध बातों के लिये समुचित उपबन्ध कर दिये गये हैं । प्रथम बात यह है कि भारतीय नौवहन का उद्देश्य क्या होना चाहिये । आज की अवस्था में हमें यह देखना होगा कि विदेशी पूंजी का हमारे भारतीय हितों पर अनुचित प्रभाव न हो । हमारा इस दिशा में विकास बड़ा ढीला रहा है, परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा कर लें । मेरे विचार में हम १,००,००० टनों से पीछे रहेंगे, परन्तु इसके अतिरिक्त हमारा यह भी उद्देश्य है कि तटीय व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करें और समुद्र पार के व्यापार में अधिक भाग लें ।

१९६१ में यदि हमारा द्वितीय योजना का लक्ष्य पूरा भी हो गया तो भी तटीय व्यापार में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी । समु पार के व्यापार की अवस्था भी लगभग यही होगी । अतः वर्तमान स्थिति में हमारा लक्ष्य १० लाख टन का होना चाहिये, जो कि बहुत अधिक नहीं है । क्या सरकार अपने वित्तीय साधनों से अथवा नौवहन समवाय इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये आवश्यक आर्थिक व्यवस्था कर सकते हैं ? नहीं कर सकते । इसके लिये लगभग ३०० करोड़ ० चाहिये । इसके वापिस करने के लिये १५ करोड़ की वार्षिक किश्त का आयोजन करना होगा । सब मिल कर भी नौवहन समवाय इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते । इस लिये विदेशी सहयोग लेना ही होगा । १० वर्ष तक लेना चाहिये, और इसको शनैः शनैः बढ़ाना चाहिये । इस दिशा में सरकार का १/३ विदेशी और २/३ भारतीय का सूत्र ठीक ठोस आधार पर ही निर्माण किया गया है । २५ प्रतिशत से कोई विशेष उत्साहजनक उत्तर नहीं प्राप्त हो सका । इसलिये इस प्रश्न को भावुकता के आवेश में आकर नहीं देखना चाहिये, और विदेशी सहयोग का स्वागत करना चाहिये । इस बात का विचार नहीं करना चाहिये-कि इससे हमारे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचेगी अथवा हमारा शोषण होगा । तेल के मामले में भी तो ६६ प्रतिशत विदेशी पूंजी की अनुमति हमने दी ही है ।

एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड जिसमें ५ सदस्य इस सदन से लिये जाने हैं, और १६ सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी है । परन्तु इसके कुछ अधिकार नहीं होंगे । अतः मेरा सुझाव है कि विधेयक का संशोधन कर मंत्रणा और प्रशासन के दो कार्यों की जिम्मेदारी बोर्ड पर डाली जानी चाहिये । इसको केवल मंत्रणा समिति न रख कर तत्सम्बन्धी प्रशासन के सभी कार्य भी सुपुर्द कर दिये जाने चाहिये ।

अब मैं नौवहन विकास निधि की ओर आता हूं । इसका उद्देश्य यही होगा कि लोग सरकार से क़र्ज़ा लेकर जहाज खरीदें । परन्तु अभी तो यह भी नहीं पता कि इस कोष में कितनी राशि होगी । यदि इसे वास्तव में बनाना ही है तो इसके लिये राजस्व के साधनों का उपबन्ध करना होगा । इसके लिये माल भाड़े अथवा यात्रा भाड़े पर कुछ कर लगाना होगा । इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि झगड़े न्यायाधिकरण को दिये जायेंगे और औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं किया जायेगा । नौवहन कर्मचारियों और मालिकों के विवादों के सम्बन्ध में ऐसा कभी नहीं किया जाता । परन्तु यहां प्रश्न यह भी है कि पंचाट में परिवर्तन करने का सरकार को अधिकार रहेगा । यह खतरनाक बात है और इसके दो पहलू हैं एक तो यह कि यह न्यायिक निकाय के निर्णय को भंग करने वाली बात होगी और सरकार को यह भी देखना होगा कि अन्य उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव होगा । मेरा मत तो यह है कि खंड १५० और १५१ को निकाल देना चाहिये । आशा है कि सरकार इन बातों की ओर ध्यान देगी ।

श्री ग्रासर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय यहां इस सदन में कल से व्यापारिक जहाज़रानी विधेयक पर चर्चा चल रही है और मैंने, जो स्पीचेज़ दी गई हैं उनको ध्यानपूर्वक सुना है।

मुझे बहुत दुःख होता है कि सेलिंग वैसिल्स और कंट्रीक्रैफ्ट्स (छोटी देशी नावों) के बारे में कोई विचार नहीं आ है और उधर हमारा ध्यान नहीं गया है। हमारे देश के अन्दर यह शिपिंग की इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है और करीब २ हज़ार से ३ हज़ार तक यह वैसिल्स हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है और उस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है और उनकी हालत को सुधारने के लिये इस बिल में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

शिपिंग वैसिल्स (नौवहन जलयान) की स्थिति के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की गई थी, शिपिंग वैसिल्स कमेटी, १६४६ और उसने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ सिफारिशें की हैं वह मैं पढ़ कर बतलाता हूं। उन सिफारिशों पर सरकार ने अभी तक कोई अमल नहीं किया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है

> "समिति का मत है कि यातायात का संचालन व नवीकरण करने तथा सामान्यतया उद्योग का लाभप्रद आधार पर संगठन करने के लिये एक सरकारी नियंत्रित संस्था की नियुक्ति हमारा आखिरी कदम होना चाहिये; इस अवान्तर में अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिये उद्योग को निदेश देने तथा सहायता देने के लिये सरकार एक सरकारी संस्था की व्यवस्था कर सकती है और ज्यों ज्यों उद्योग प्रगति करता जाये त्यों त्यों सरकारी नियंत्रण कम कर लिया जाये।"

और इन लोगों ने दूसरी भी बात बतायी है। हमारे कई आफिशियल्स की तरफ से यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंटें जो अपना कारगो लाना चाहें वह ज्यादातर इंडियन कम्पनियों को दिया जाये। पर यह काम करने के लिये हमारे यहां कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन की ज़रूरत है जो कि नहीं रहता है। यह कोआर्डिनेशन की बात बहुत महत्व की है। गत साल यहां पाटिल साहब ने भाषण किया था और बताया था कि हमारी विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ में कोआर्डिनेशन न होने के कारण बहुत सी बातों में हम प्रगति नहीं कर सकते। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यहां बताया था कि मरचेंट शिपिंग की प्रगति हम कर सकते हैं लेकिन हमारे यहां पूरा को आर्डिनेशन और कोआपरेशन नहीं है। इसके कारण यह होता है कि फुड मिनिस्ट्री माल मंगाती है तो शिपिंग मिनिस्ट्री से कोई खास सहयोग नहीं लेती। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे बहुत से वैसिल्स खाली पड़े रहते हैं। तो महत्व की बात यह है कि हमको अपने सेलिंग वैसिल्स को संरक्षण देना चाहिये। उनकी हालत खराब हो गयी है। १६४६ की रिपोर्ट में बताया गया है कि हालत यह है कि हमारे बहुत से वैसिल्स खराब न होते हुये भी स्वदेशी व्यापार में काम में नहीं लाये जाते। इस वजह से जो प्रगति हो सकती थी वह नहीं हो रही और यह इंडस्ट्री मर रही है।

यहां पर फारिन पारटिसिपेशन की विशेष रूप से चर्चा चल रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारी इस इंडस्ट्री में फारिन पारटिसिपेशन (विदेशी सहयोग) नहीं होना चाहिये। इसका कारण यह है कि हम अपने मरचेंट शिपिंग को सैकिंड लाइन आव डिफेंस मानते हैं। जब हम इसको सैकिंड लाइन आव डिफेंस मानते हैं तो इस इंडस्ट्री में किसी फारिनर को रखना गलत बात है। हमारे कई भाइयों ने कहा कि इसमें डाइरेक्टर तो हमारे ही रहेंगे और हमारा ही मैनेजमेंट रहेगा। लेकिन आप देखें कि ईस्ट इंडिया कम्पनी तो यहां केवल व्यापार करने ही आयी थी लेकिन वह बाद में हमारे

राजा बन गये । हमारा जो देश प्रेम है वह सब से ऊपर होना चाहिये । एक समय हमने स्वदेशी को लेकर प्रचार किया था, बहुत नारे लगाये थे । आज उसकी क्या हालत है । आज हम स्वदेशी लोगों को छोड़ कर विदेशी लोगों को यहां लाने की बात करते हैं । यह गलत है । सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने एक भाषण में कहा था :

> "भारत अपने तटीय यातायात को अपने भारतीय नौवहन के लिये सुरक्षित रखना चाहता है । परन्तु हमारे देश में ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो थोड़े से लाभ के लिये विदेशी हितों की वकालत करते हैं ।"

यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की राय थी जो कि हमारे देश के बड़े नेता थे । इसलिये मैं कहता हूं कि यहां पर फारिन पारटिसिपेशन नहीं रहना चाहिये ।

दूसरी बात यह कही जाती है कि हमें अपने मरचेंट शिपिंग के लिये फारिन कैपीटल की आवश्यकता है । इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । आज हमारे बहुत से भारतवासी भाई विदेशों में पड़े हैं । उन देशों में उनकी सम्पत्ति पड़ी है । मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रयत्न किया जाये कि हम उनकी सम्पत्ति को यहां ला सकें और इस व्यवसाय में लगा सकें । ये लोग विदेशों में रहते हैं जहां इनकी सम्पत्ति है । इस सम्पत्ति को अपने देश में लाने का हमें कुछ प्रयत्न करना चाहिये । अगर ऐसा किया जा सके तो हमारी फारिन एक्सचेंज की कठिनाई भी दूर हो सकती है । इस तरफ ध्यान दिया जाये ।

एक ज़माना था जब कि हम स्वदेशी का नारा लगाते थे । उस समय हमारे देश की कुछ कम्पनियों ने नुक़सान उठाकर भी शिपिंग का काम शुरू किया और परदेशी कम्पनियों के कम्पिटिशन में खड़ी रहीं । पर आज हम उन लोगों को छोड़ रहे हैं । ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई अच्छा खाना बनावे और जब वह बन जाये तो बन्दर आकर उसे उठा ले जाये । आज हम इन लोगों को छोड़ रहे हैं, जबकि यह इंस्डट्री बढ़ रही है, और विदेशियों को बुला रहे हैं कि आओ और यहां मुनाफ़ा कमाओ । बहुत से भाइयों ने यहां बताया कि हम जो प्रबन्ध कर रहे हैं उसमें डाइरेक्टर हमारा होगा, और सारी सत्ता हमारे हाथ में रहेगी । लेकिन मैं पूछता हूं कि मुनाफ़े का क्या होगा । जो मुनाफ़ा होगा वह तो विदेशों को चला जायेगा । तो इस तरफ़ भी ध्यान दिया जाये । हम इसी लिये फारिन पारटिसिपेशन का विरोध करते हैं ।

दूसरी कम्पनियों ने जो प्रगति की है वह अच्छी है । पर वह काफी नहीं है । लेकिन इन कम्पनियों ने बड़ी कठिनाइयों के मुक़ाबले में अपना काम किया है । और फिर भी प्रगति की है । आप देखें कि सन् १६३६ में हमारे यहां ५३ जहाज थे जिनका टनेज १,२६,५६८ था, फिर सन् १६४५ में हमारे पास ४२ जहाज़ हो गये जिनका टनेज ६८,२८६ था, फिर आप देखें कि १ अप्रैल सन् १६५६ को हमारे पास १३७ जहाज़ हो गये जिनका टनेज ६,११,६५२ था, और अब ३१ मई सन् १६५८ को हमारे पास १४० जहाज़ हो गये जिनका टनेज ६,२३,५५४ है । और भी कुछ सैकिंड फाइव इअर प्लान में हमको कुछ जहाज़ मिलने वाले हैं जिनको मिलाकर हमारा टनेज ८,२२,००० के लगभग हो जायेगा । हम इस टनेज को और बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं । हमारे लोगों ने जो यह प्रगति की है यह अच्छी है और ऐसा करने में उनको बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ीं । हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें प्रगति करनी है और जल्दी करनी है । लेकिन इस प्रगति को करते समय हमें यह भी देखना होगा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है । हमारे पास पैसा नहीं है । इसलिये हम दूसरों से पैसा लेकर यह काम करना चाहते हैं । लेकिन इसमें देश के लिये खतरा हो सकता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस पर भी विचार करें ।

[श्री आसर]

हमारे जो सेलिंग वैसिल्स हैं उनमें सीमैन की स्थिति बहुत खराब है। हमें इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये। इस तरफ सरकार अच्छी तौर से ध्यान दे। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल कर स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। अच्छे सीमैन नहीं मिलते हैं और इस कारण यह बिजनेस मर रहा है।

दूसरी चीज़ मैं वही कहना चाहता हूं जोकि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कही है। जब हम इसको सैकिंड लाइन आफ डिफेंस मानते हैं तो हमको यह ख्याल रखना चाहिये कि इसमें विदेशों को नौकर न रखा जाये। इससे देश को खतरा पैदा हो सकता है। हमारे यहां इस समय तीन लाख पाकिस्तानी इस इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। और हमारे लोग दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं। हमको चाहिये कि पहले इस काम पर अपने देश के लोगों को लगायें और बाद में अगर कमी रह जाये तो दूसरे देशों के लोगों को रखें। आज हमारे ४० हज़ार आदमी दूसरी विदेशी कम्पनियों में काम कर रहे हैं। इन लोगों को हमें अपने यहां लगाना चाहिये। इस ओर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। जहां तक हो सके हमें अपने देश के आदमियों को रखना चाहिये और हमें विदेशियों को रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। जो हमारे आदमी विदेशों में काम कर रहे हैं उनको उचित सुविधायें दी जायें ताकि वे यहां पर काम करना स्वीकार करें। यही मेरा कहना है।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : श्रीमान्, मैं इससे एकदम सहमत हूं कि खण्ड २१ में जिन परित्राणी की व्यवस्था की गई है उनके आधार पर सरकार को २५ प्रतिशत विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति देने का अधिकार देने में कोई हानि नहीं है। परन्तु साथ ही मेरा यह भी विचार है कि जब व्यापारियों के संगठन के प्रतिनिधि यह चाहते हैं कि इन सुरक्षाओं के आधार पर विदेशी पूंजी का अंश ४९ प्रतिशत किया जा सकता है तो सरकार क्यों डरती है जब निदेशक बोर्ड में ७५ प्रतिशत भारतीय होंगे। इसका सभापति, प्रबन्ध निदेशक आदि सभी भारतीय होंगे तो हम क्यों डरते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कठिनाई है। इस सम्बन्ध में, मैं अपने मित्र श्री रघुनाथ सिंह से सहमत हूं और आशा करता हूं कि सरकार उनके संशोधन को स्वीकार कर लेगी क्योंकि श्री बर्मन के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि इतने परित्राणों के कारण विदेशी अपनी अधिक पूंजी लगाना नहीं चाहेंगे और २५ प्रतिशत से अधिक की व्यवस्था करना व्यर्थ होगा।

मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र पंडित कृ० चं० शर्मा ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया था कि वाणिज्यिक नौवहन का, नौसेना के पश्चात् दूसरा स्थान आता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रत्येक देश में वाणिज्यिक नौवहन को यही स्थान प्राप्त है। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि इस समय युद्ध की सी परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर कभी देश के सामने महान संकट आ जाये तो वाणिज्यिक नौवहन और वाणिज्यिक जहाज़ों से हमें महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। अपने नौवहन का विकास करके हम विदेशी व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं जिससे अन्ततः हमारे देश का आर्थिक विकास सुचारु रूप से हो सकता है और हम अपने देश की गरीबी को दूर सकते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि उचित परिस्थितियों में काम करने के लिये सरकार को अधिक अधिकार दिये जायेंगे।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसाट) : इस विधेयक का स्वागत लगभग सभा में सभी पक्षों ने किया है क्योंकि इसके द्वारा सरकार ने वाणिज्यिक नौवहन के सभी विधानों को एक जगह मिला कर ४६१ खण्डों का एक विशाल ग्रन्थ तैयार किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिकांश सदस्यों ने खण्ड २१ के बारे में चर्चा उठाई है। मैं नहीं समझता कि हमें ६ अप्रैल, १९४९ को की गई नीति सम्बन्धी घोषणा में क्यों कोई परिवर्तन करना चाहिये। १९४९ में जो नीति सम्बन्धी घोषणा की गई थी उसमें बताया गया था कि भारतीय पूंजी में विदेशी पूंजी का लगाया जाना इसलिये अधिक आवश्यक है क्योंकि उससे पूंजी के साथ-साथ वैज्ञानिक प्रविधिक तथा औद्योगिक सहायता भी हमें मिल सकेगी। इस नीति पर ध्यान रखते हुये हमें मालूम होता है कि हमें इसमें और विदेशी पूंजी लगा देनी चाहिये। मेरा अपना विचार है कि सरकार को भारतीयों के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त अधिकार अपने हाथ में लेकर विदेशी पूंजी की प्रतिशतता बढ़ाने में हिचकना नहीं चाहिये।

जहां तक नाविकों का सम्बन्ध है, मेरा अपना अनुभव है कि कलकत्ते में भर्ती होने वाले नाविकों में से ८० प्रतिशत नाविक भारतीय नहीं होते। मुझे खेद है कि इस विधेयक में भारतीय नाविकों के रखे जाने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

कलकत्ते में नौवहन इंजीनियरिंग कालिज है जिसमें युवकों को प्रशिक्षित किया जाता है। परन्तु इन प्रशिक्षित युवकों में कोई भी नाविक नहीं बन पाता है क्योंकि जो पहले से नियुक्त होते हैं वह यह पसन्द नहीं करते कि कोई नया, पढ़ा लिखा प्रशिक्षार्थी व्यक्ति उनमें आकर मिले। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे जिससे समस्त वाणिज्यिक नौवहन में सभी कर्मचारी भारतीय हो जायें।

यह कहा जाता है कि वाणिज्यिक नौवहन का नौसेना के बाद दूसरा स्थान होता है। परन्तु इसको इस उच्च स्थान के योग्य बनने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे यहां जहाज बनाने के उद्योग का भी विकास हो। इसके अतिरिक्त इन वर्षों में वाणिज्यिक नौवहन में जो प्रगति हुई है उसको सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। १९४७ में हमारा लक्ष्य २० लाख टन था और १९५० की नीति घोषणा में भी इसकी पुष्टि की गई थी। परन्तु अब हमें आठ वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया है।

द्वितीय योजना की अवधि के लिये ९ लाख टन का लक्ष्य है। मैं समझता हूं कि द्वितीय योजना काल में अपना लक्ष्य पूरा करने के लिये हमें विदेशी पूंजी के लगाये जाने से डरना नहीं चाहिये। और खण्ड २१ का संशोधन इस प्रकार कर देना चाहिये जिससे द्वितीय योजना का हमारा लक्ष्य पूरा हो जाये।

खण्ड ४ के द्वारा २१ सदस्यों का जो राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड बनाया जा रहा है मैं समझता हूं कि उसको कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। यह भी नहीं बताया गया है कि इसकी कितनी बैठकें हुआ करेंगी। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि महानिदेशक को अधिक अधिकार दे दिये गये हैं परन्तु मैं यह चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे नौवहन बोर्ड और महानिदेशक का सम्पर्क बना रहे और इसके लिये बोर्ड को कुछ अधिकार दिये जाने आवश्यक हैं।

नौवहन विकास निधि के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि नौवहन विकास निधि समिति का व्यय इस निधि में से नहीं किया जाना चाहिये। यह व्यय सरकार को करना चाहिये और इसलिये मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इससे सम्बन्धित उपबन्धों का संशोधन कर दें। साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि यात्री कल्याण निधि का प्रयोग यात्रियों के कल्याण के लिये ही हो माननीय मंत्री को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये।

[श्री अ० च० गुह]

मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है कि पालवाले जलयानों को इस विधेयक के अन्तर्गत रखा गया है । मैं समझता हूं कि श्री पाटिल जानते हैं कि पश्चिमी तट पर कुछ लोग तटीय व्यापार करते हैं और कुछ समाज विरोधी कार्य भी करते हैं लेकिन सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है । इसलिये यह एक उत्तम व्यवस्था की जा रही है जिससे तटीय व्यापार भारतीयों के हाथ में आ जायेगा ।

१९५० की नीति घोषणा में बताया गया था कि निकटस्थ देशों का ७५ प्रतिशत तथा दूर देशों का ५० प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाज़ों के द्वारा किया जाया करेगा । परन्तु अब हम १२ से १५ प्रतिशत विदेशी व्यापार भारतीय जहाज़ों द्वारा करने जा रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे शीघ्रता से बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार करेंगे जिससे विदेशी समवायों को जो १५० करोड़ रुपये वार्षिक मिल जाता है उसको बचाया जा सके । इन शब्दों में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : श्री नौशीर भरुचा ने इस विधयक पर चर्चा का समय बढ़ाने की मांग करते हुये यह कहा था कि यह विधेयक ऐतिहासिक महत्व का विधेयक है । निसन्देह यह विधेयक ऐतिहासकि और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अन्तर्गत कई पहिले अधिनियम शामिल किये गये हैं ।

श्री त्रि० कु० चौधरी ने विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ करते हुये कहा कि प्रस्तावना अधिक व्यापक होनी चाहिये थी । उसमें इस बात का संकेत रहना चाहिये था कि हम नौवहन के विकास और विस्तार के लिये क्या कर रहे हैं और हमारी तत्सम्बन्धी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षायें क्या हैं । हमारे विधेयकों में प्रस्तावना नहीं होती है । विधेयकों के पूरे नाम में वे सभी बातें नहीं आ सकती हैं जो प्रस्तावना में आ सकती हैं । तथापि विधेयक के पूरे नाम से नौवहन के सम्बन्ध में हमारी महत्वकांक्षा का आभास हो जाता है और यह हमारी महत्वाकांक्षाओं का सच्चा प्रतीक है ।

उन्होंने कहा है कि हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्सम्बन्धी विधेयक से कुछ संकेत लेना चाहिये था । अमेरिका की सरकार नौवहन सम्बन्धी दो तीन अनुदान यथा निर्माण अनुदान इत्यादि देती है । उनकी विधि के अनुसार कुछ विशष प्रकार का सामान ५० प्रतिशत तक उनके अपने जहाज़ों में ही ले जाया जा सकेगा । हम इस स्थिति में न होने के कारण ऐसे अनुदान नहीं दे सकते हैं ।

उन्होंने यह भी कहा कि महानिदेशक के द्वारा किये जाने वाले कार्यकारी कार्य राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को सौंप देने चाहिये । उन्होंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने भी यह कहा कि महानिदेशक को 'तानाशाही' शक्तियां प्रदान की गई हैं । वस्तुतः महानिदेशक इन कार्यों को सरकार के आदेश पर करेगा प्राधिकार वस्तुतः सरकार को दिया गया है । खंड ७ (२) के अनुसार केन्द्रीय सरकार, इस विधेयक के अधीन प्राप्त शक्ति क्षेत्राधिकार या प्राधिकार को, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा महानिदेशक को दे सकती है । इससे स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार अपने स्वविवेक के अनुसार कुछ शक्तियां महानिदेशक को प्रत्यायोजित करेंगी । कुछ टेक्नीकल बातों से सम्बन्ध रखने वाले खंडों को छोड़ कर उन्हें बहुत थोड़ी शक्तियां प्रदान की गई हैं और उन्हें 'तानाशाही' या इस अधिनियम की भावना का विरोधी नहीं कहा जा सकता है । अतः यह कहना गलत है कि महानिदेशक को अनुचित शक्तियां प्रदान की गई हैं ।

दूसरे हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को प्रशासन सम्बन्धी कार्य सौंपना उचित होगा ? महानिदेशक को कौन सा कार्य करना होगा ? उसके कार्य को

---

†मूल अंग्रेजी में

हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहिला वाणिज्यिक और विकास सम्बन्धी और दूसरी टेक्नीकल और प्रशासकीय। टेक्नीकल और प्रशासनिक कार्यों के अन्तर्गत उन्हें जहाज़ों की जांच, नाविकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण तथा वाणिज्यिक जहाज़ों के अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का कार्य करना होगा। उक्त मामलों के सम्बन्ध में भी परिवहन मंत्रालय नीति बना सकता है। उक्त नीतियों को महानिदेशक तथा उसके सहकारी खंड ७(२) के उपबन्धों के अनुसार क्रियान्वित करेंगे। यह कार्य राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नहीं कर सकता उन्हें उक्त कार्यों को करने के लिये किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। वे प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं। अतः स्वयं हमें ही इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इन बातों को राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड पर छोड़ना उचित होगा।

उक्त कार्यों के अलावा महानिदेशक को न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक प्रकार के कार्यों को भी करना होगा। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में जहाज़ों के मालिक, नाविक तथा संसद् सदस्य और तत्सम्बन्धी हितों से सम्बन्ध रखने वाले लोग होंगे। निसंदेह जहाज़ों के मालिक तो किसी कार्यकारी या टेक्नीकल अधिकारी द्वारा जहाजों की जांच करवा सकते हैं। क्या यह कार्य उनके द्वारा निर्देशित नीति के आधार पर किया जा सकता है इसके अलावा नाविकों के प्रशिक्षण, जांच व टेंडर इत्यादि का कार्य करना भी इन लोगों के लिये बहुत कठिन है। इसके अलावा वित्तीय सहायता ऋण इत्यादि देने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में भी बोर्ड के सदस्य का कार्य पक्षपात रहित हो कर विचार करना है न कि स्वयं कार्य करना। इसलिये हमने कार्यपालिका कार्यों को कार्यकारी अधिकारी को सौंपना ठीक समझा।

संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली से तुलना करने के दौरान संयुक्त राष्ट्र समुद्री जहाज़ आयोग और संयुक्त राष्ट्र समुद्री बोर्ड का उल्लेख किया गया है। यह सर्व विदित है कि १६४६ के पूर्व संयुक्त राष्ट्र समुद्री जहाज आयोग उक्त कार्यों के अलावा कुछ न्यायिक कार्य भी करता था। तत्पश्चात् वे इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रशासक होना अनिवार्य है। उस प्रशासक को आयोग के अधिकांश कार्य सौंप दिये गये। समुद्री जहाज बोर्ड की स्थापना के पश्चात् उसे उसका भी सभापति बना दिया गया। कार्यपालिका कार्यों के लिये वहां भी एक पृथक् अधिकारी है जो अल्पाधिक बड़ी कार्य करता है जो इस विधेयक में नौवहन के महानिदेशक को दी गई है।

यह कहा गया है कि नौवहन विकास निधि समिति प्रभावशाली नहीं है। खंड १६(२) में कहा गया है कि समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों तथा शर्तों के अनुसार ही वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। निसन्देह किसी विशेष समय में वित्तीय तथा अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुये सरकार जो नियम तथा शर्तें विहित करेगी उनके अन्तर्गत ही नौहवन विकास निधि समिति कार्य कर सकेगी।

†**श्री गोरे** (पूना): नौवहन बोर्ड और नौवहन के महानिदेशक के बीच क्या सम्बन्ध रहेगा?

†**श्री राजबहादुर**: मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि विभिन्न संस्थाओं के कार्यों के बीच कोई संघर्ष या हस्तक्षेप की नौबत नहीं आयेगी। यह कहना भी गलत है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड शक्तिहीन और दुर्बल संस्था होगी। खंड ५ के अधीन बोर्ड को नौवहन के विकास तथा इस अधिनियम से उत्पन्न अन्य बातों के सम्बन्ध में बोर्ड को समग्र शक्तियां प्रदान की गयी हैं। अतः यह भ्रम मिथ्या है कि यह संस्था दु ल है या हम इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। हमने इसे भार-

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री राज बहादुर]

तीय नौवहन के विकास तथा विस्तार में सहायक समझ कर ही इसे विधेयक में सर्वप्रथम स्थान दिया है ।

श्री पटनायक, श्री बर्मन प्रभ्रत्ति सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर डाला है कि नौवहन को प्रतिरक्षा के सहायक अंग के रूप में विकसित करना चाहिये । इस सम्बन्ध में हमने प्रतिरक्षा मंत्रालय से परामर्श किया है और उनकी सलाह के अनुसार कार्य किया है । वस्तुतः यह उपबन्ध, कि जल सेना के किसी अधिकारी को इस ओर आने पर भी परीक्षा से छूट न दी जाये उनके परामर्श पर रखा गया है ।

प्रतिरक्षा के इस सहायक अंग की क्षमता और कुशलता इसके प्रवर्तन और आकार पर निर्भर है । हम अभी आकार व टनभार के मामले में बहुत पीछे हैं । इस सम्बन्ध में कुशल और प्रभावशाली होने के लिये हमें बहुत आगे बढ़ना होगा ।

श्री परुलेकर ने वर्तमान विधेयक के खंड २१ के सम्बन्ध में, जो पहिले विधेयक के खंड १२ से बहुत कुछ मिलता जुलता है, आरोपों की झड़ी लगा दी । उन्होंने इसे राष्ट्र द्रोह का कार्य कहा है । मैं इसकी कुछ पृष्ठभूमि बताऊंगा । नौवहन के वर्तमान १९२३ के अधिनियम में रजिस्ट्रेशन या भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर इस विधेयक के लागू होने का कोई उपबन्ध नहीं था। अतः इस मामले में हमें ब्रिटेन के १८६४ और १९३८ के अधिनियम का अनुकरण करना पड़ा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि हमें स्वयं अपना विधान बनाना चाहिये । अतः यह काम प्रारम्भ कर दिया गया लेकिन यह कार्य सरल नहीं था क्योंकि इसमें हमें कई अधिनियमों को समावेत करना पड़ा एवं उनका पुनरीक्षण करना पड़ा जिसमें पर्याप्त समय लग गया ।

निसन्देह इस विशेष खंड को शामिल करने का दायित्व हमारे ऊपर है । यह अचानक या किसी विशेष प्रयोजन से वहां नहीं रखा गया । हमने इसमें ब्रिटेन के अधिनियम का अनुकरण किया । उसका पहिला उपबन्ध इस प्रकार था कि राष्ट्र मंडल का कोई भी सदस्य अपना जहाज रख सकता है जहां शतप्रतिशत राष्ट्रमंडलीय देश का होना चाहिये । दूसरा यह कि उसका रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन में हुआ हो । तथा उसका मुख्य व्यापार स्थान ब्रिटेन हो । तथापि मूलविधेयक के खंड १२ में कहा गया है कि ३३% अंश भारतीय जहाजमालिकों के होने चाहिये । इस प्रकार ऐसा किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से या विदेशी भागिता को अनावश्यक रूप से सहायता करने के लि े ऐसा नहीं किया गया । दूसरी शर्त यह रखी गई है कि जहाज़ हमारे देश की समवाय विधि के अधीन परिभाषा के अनुसार किसी समवाय का हो । तथापि इसकी बहुत प्रकार से व्याख्या की गई और चर्चा में बहुत गर्मागिर्मी हो गई, जिसका सरलता से निराकरण किया जा सकता था । इस पर शांति से भी विचार किया जा सकता था अतः हमें सारी रूपरेखा पर विचार कर सारी चीज़ का विश्लेषण करना चाहिये ।

१९४७ के नीति सम्बन्धी संकल्प में भी भारतीय नौवहन के सम्बन्ध में चार बातें कही गई हैं । उसमें कहा गया है कि भारतीय नौवहन समवाय कहलाने के लिये निम्न बातों को पूरा करना आवश्यक होगा ।

(क) कि जहाज़ ब्रिटेन के शासन के अधीन भारत के किसी बन्दरगाह में कहीं भी रजिस्टर हुये हों और कम से कम ७५ प्रतिशत अंश या ऋण पत्र भारतीयों के हों । सभी निदेशक भारतीय हों प्रबन्धक एजेन्ट भा रतीय हों । इसके अलावा आगे यह कहा गया है कि भारत सरकार ह भी चाहती है कि जो कम्पनी विहित शर्तों को पूरा न कर सके वह भी भारतीय जहाज़ कहलाने के लिये

आवेदन कर सकती है। सरकार कारणों को ध्यान में रखते हुये उस प्रश्न पर विचार करेगी इत्यादि। उसमें भी सरकार को विदेशी सहभागिता स्वीकार की गई है। उस में भी पहिला उपबन्ध रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में था। अन्य तीन उपबन्ध सहायता देना, भरतीय नौवहन समवायों की सहायता करने, रियायतें देने, वित्तीय सहायता देने तक को सुरक्षित रखने और ऋण इत्यादि देने के सम्बन्ध में थे। अन्यथा शत, प्रतिशत विदेशी पूंजी से संचालित 'मुगल लाइन' यहां नहीं होती। अतः खंड १२ में भारतीय जहाज की जो परिभाषा की गई है वह पंजीयन के प्रयोजन के लिये ही है, सहायता इत्यादि के सम्बन्ध में नहीं।

विधेयक के निर्माताओं पर यह आरोप लगाया गया है कि वे विदेशी हितों से सम्बन्धित हैं। एक सच्चे भारतीय के लिये यह कल्पना करना भी असंभव है कि वह किसी विदेशी की सहायता करने के लिये अपने राष्ट्रीय हित का सौदा करेगा। ऋण, सहायता व रियायतें इत्यादि तभी मिल सकती हैं जब वह कम्पनी अन्य तीन शर्तों को पूरा करती है। अतः हमारी नीति में जरा भी ढिलाई नहीं है। सहायता व ऋण के सम्बन्ध में हम ने वही नीति अपनाई है। इस विशेष खंड में भी सहायता व रियायतें देने का प्रयोजन नहीं है।

इस का एक कारण और भी वह यह कि भारतीय झंडा उड़ाने वाला जहाज हमारे नियंत्रण में रहता है। उसे हमारे कानूनों का पालन करना होता है। हमारी इच्छानुसार उसे केवल भारतीय अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करने होंगे तीसरे आपात काल के समय हम किसी भी विदेशी संधि का उल्लंघन किये हुए उसे अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। वस्तुतः विधि निर्माताओं ने इन तीन लाभों पर विचार किया है और उन्होंने इस के रजिस्ट्रेशन पहलू को संवर्दन पहलू से पृथक रखा है। अतः उन पर आरोप लगाना अनुचित है।

अगला प्रश्न नाविकों के सम्बन्ध में है। वस्तुतः १९४८ में ही हम ने जहाजों में नाविकों को दिये जाने वाले स्थान में सुधार से सम्बन्धित अभिसमय के लागू करने की कोशिश की थी। तत्पश्चात् जितने भी जहाज खरीदे गये हैं उनमें अभिसमय द्वारा निहित मापदंड के अनुसार जगह देने की व्यवस्था की गई है। पुराने जहाजों में भी हम नाविकों के लिये दिये जाने वाले स्थान में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः यह कहना गलत है कि हमने उन के कल्याण की उपेक्षा की है। विधेयक के अनुसार सरकारी अधिकारी जहाज के कर्मचारियों के स्थान की जांच कर सकेंगे। उपयुक्त व्यवस्था न होने पर जहाज को रोका जा सकता है। खंड १६८ उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखता है।

जहां तक श्रम के मामलों में रायल कमीशन का सम्बन्ध है, उस की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड भी नाविकों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों का पथ प्रदर्शन करता है और उन के कल्याण का संरक्षक है। इस के अलावा अन्य कई समितियां हैं जो नाविकों के स्वास्थ्य बीमे तथा अन्य बातों से सम्बन्ध रखती हैं।

द्वि-दलीय समुद्री जहाज बोर्ड भी, भोजन इत्यादि के सम्बन्ध में, उन सभी बातों का निपटारा करता है। जो उसे निर्देश दिये जाते हैं। मेरे विचार से सरकार यथासंभव जो कुछ कर सकती है वह किया गया है।

पाकिस्तानी नाविकों को बहुत बड़ी संख्या में अपने देश के जहाजों में रखने का भी जिक्र किया गया है। नियुक्ति की दृष्टि से हमारा देश न केवल अपने जहाजों में अपितु विदेशी जहाजों में भी नियुक्तियों के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्र समझा जाता है। हमारे यहां ६०,००० नाविक हैं जिन में से हमारे जहाजों को केवल ५,००० नाविकों की आवश्यकता है। अन्य लोगों को विदेशी जहाजों में काम ढूंढ़ना पड़ता है। हमें इसे बहुमूल्य धरोहर को कायम रखने का प्रयत्न करना है।

[श्री राज बहादुर]

नाविकों के प्रशिक्षण के लिये हमारे यहां तीन संस्थायें हैं, मेखला, नौ लक्षी और भद्रा जो नाविकों को प्रशिक्षण देती हैं। हम १०,००० नाविकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। १०,००० नाविक इस वर्ष नियुक्त हो चुके हैं।

श्री गुह ने कहा है कि कलकत्ते में जो नाविक नियुक्त किये जाते हैं उन में ८० प्रतिशत विदेशी होते हैं, उन का आशय पाकिस्तानियों से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यह प्रतिशत ९० था अब घट कर ५५ रह गया है। निसन्देह हम अधिकाधिक अपने नाविक नियुक्त करना चाहते हैं तथापि हमें इस प्रश्न को मानवतावादी दृष्टिकोण से विचार करना होगा। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी होगी जिस से लोगों में किसी प्रकार की उत्तेजना फैले।

साथ ही मैं यह भी निर्देश कर देना चाहता हूं कि यद्यपि हम पाकिस्तानी नाविकों को हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं तथापि पाकिस्तान में हमारे नाविकों को इस प्रकार की सुविधायें आदर तथा स्थान नहीं दिया जाता है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी मामलों में भी एक विसा प्राप्त करने में उन्हें बहुत कठि-नाई का सामना करना होता है और अक्सर सर्वोच्च स्तर पर ही इन मामलों का निपटारा संभव होता है।

बम्बई में हमें नाविक तथा इंजिन कर्मचारी मिलने लगे हैं अतः हम कलकत्ता में भी इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं।

जहां तक ऐसे यात्रियों का प्रश्न है जिन के लिये पृथक कमरा या स्थान रक्षित नहीं कियाजाता, डेक यात्री जांच समिति १९४७ में नियुक्त की गई थी जिस में यात्रा सुविधाओं में सुधार और लम्बी यात्रा के लिये छोटे कमरे देने का उपबन्ध किया। अब १२० घंटे से अधिक लम्बी यात्रा के लिये शत प्रतिशत यात्रियों को छोटे कमरे दिये जाने की व्यवस्था कर दी गई है। ४८ घंटे से १२० घंटे की यात्रा वाले यात्रियों में से २५ प्रतिशत को छोटे कमरे दिये जायेंगे। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और विशाखापटनम में ऐसे यात्रियों जिन के लिये पृथक कमरा रक्षित नहीं होता, की सुविधाओं की देखभाल के लिये चार परामर्शदाता समितियां बनाई गई हैं।

जहां तक औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों को इन विधेयक में शामिल करने का प्रश्न है, विधेयक में उपबन्धों तथा उक्त अधिनियम के तत्सम्बन्धी खंडों में मुख्यतः तीन बातों में अन्तर है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में बिना दूसरे पक्ष की स्वीकृति के वकील पैरवी नहीं कर सकता है। इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। उक्त अधिनियम के अधीन पंचाट कम से कम १२ महीनों के लिये लागू हो सकता है। पत्पश्चात् दोनों पक्षों द्वारा दो महीने का नोटिस दिये जाने तक अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। उक्त दोनों उपबन्ध मेरे द्वारा रखे गये संशोधन संख्या १८५ और १८६ के द्वारा इस विधेयक में शामिल कर दिये गये हैं।

तीसरा अन्तर यह है कि यदि सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय में परिवर्तन करती है तो तत्सम्बन्धी पत्र सभा-पटल पर रखने होते हैं। ऐसा उपबन्ध इस विधे-यक में नहीं है। इस का कारण यह है कि हमारे यहां विवादों का निपटारा करने के लिये राष्ट्रीय समुद्री जहाज बोड हैं। यदि वहां मामले का समझौता नहीं होगा तो महानिदेशक की सहायता मे समझौता किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हमें विदेशी नौवहन हितों के सम्पर्क में आना होगा, इसलिये मामल को आगे बढ़ाना वांछनीय नहीं होगा। घरेलू व्यापार सीमा के सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान नाविक अधिग्रहण समझौता अभिसमय के अनुच्छेद २(ख) की ओर दिलाऊंगा, जिसे हम ने

संशोधित किया है। इस में घरेलू व्यापार जहाज की परिभाषा यह की गई है कि जो जहाज अपने देश और राष्ट्रीय विधि के अधीन भौगोलिक रूप से निश्चित पड़ौसी देशों के बीच व्यापार करता है। इस अनुच्छेद से राष्ट्रीय सरकारों को बाहर जाने का बहुत कम क्षेत्र रहता है। लेकिन अब हम ने अपने संशोधनों से इस में बर्मा और मलाया प्रायः द्वीप भी जोड़ दिया है। परिभाषा सुरक्षा के विचार से बनाई गई है क्योंकि आज कल के विशाल आधुनिक जहाजों में बहुत बड़ी संख्या में उपकरण रहते हैं। अतः यह निश्चय किया गया कि विदेशों में जहाज ले जाने वाले अधिकारी ही इन का संचालन करें।

मैं आशा करता हूं कि सभा द्वारा रखे जाने वाले संशोधनों और यथावश्यक परिवर्तनों के पश्चात् यह विधेयक शीघ्र पारित हो जायेगा।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के कार्यों का वर्णन करते समय यह बताया है कि इस विधेयक की परिभाषा के अनुसार महानिर्देशक (डायरेक्टर जनरल) के कार्यों तथा उस के बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्यों में कोई विरोध नहीं उपस्थित होगा। वह दोनों कार्य भली भांति निभा सकेगा। मेरा निवेदन है कि अगर हम बोर्ड को अधिक प्रजातांत्रिक ढंग पर संगठित करना चाहते हैं तब हमें किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को ही इस का चेयरमैन बनाना चाहिये। इस के लिये हमें अखिल भारतीय सेवाओं का कोई व्यक्ति नियुक्त करना आवश्यक नहीं हमारे देश में प्रशासन से बाहर भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो नौवहन के क्षेत्र में बड़े अर्ह तथा अनुभवी हैं। यदि हमें प्रशासन का कोई व्यक्ति ही नियुक्त करना है तो उसे हम बोर्ड के सचिव के रूप में रख सकते हैं। चेयरमैन अवश्य गैर-सरकारी व्यक्ति ही होना चाहिये।

नौवहन विकास निधि के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री राज बहादुर ने कहा है कि उस के कार्यों तथा शर्तों के बारे में सरकार निश्चय करेगी। मैं समझता हूं ऐसे उपबन्ध से सारा वातावरण विषाक्त बन जाता है। मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा सरकार यह शर्त रख सकती है कि बोर्ड द्वारा निश्चित की जाने वाली शर्तों का सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिये। सरकार को यह शर्तें स्वयं नहीं निर्धा- रित करनी चाहियें।

नौवहन उद्योग के बारे में हमारा योजना आयोग बहुत बुरी तरह से विफल सिद्ध हुआ है। योजना आयोग इस उद्योग की आवश्यकताओं तथा महत्व के बारे में आज तक ठीक अनुमान नहीं लगा पाया है। हमारे यहां केवल चाय से ही १३०करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई है। यदि आयोग केवल इस आमदनी को नौवहन उद्योग में लगा देता तब भी हमारे यहां इन वर्षों में ६ लाख टन के और जहाज बन सकते थे जिन से हमारे विदेशी मुद्रा के व्यय में ५० प्रतिशत बचत हो सकती थी। और इस तरह हम काफी सीमा तक इस संकट का सामना कर सकते थे। किन्तु आज हो क्या रहा है १९५४–५५ से १९५६–५७ तक हम ने फलों, सब्जियों, तेल, तम्बाकू वगैरह में १०० करोड़ रुपये से भी अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय कर के जघन्य अपराध किया है।

नौवहन उद्योग राष्ट्रीय रक्षा के लिये दूसरे दर्जे का प्रमुख उद्योग है। उस के प्रति इस प्रकार की नीति अपना कर सरकार ने घोर अपराध किया है।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को इस उद्योग में कतई विदेशी पूंजी नहीं लगाने की इजाजत देनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : श्रीमान् जी, यह कहा गया है कि यह विधेयक एक स्मारक विधेयक है। मैं समझता हूं कोई विधेयक स्मारक नहीं होता है हां इस विधेयक से सम्पन्न होने वाले कार्यों को अवश्य स्मारक कार्य कहा जा सकता है। मैं इस विधेयक को केवल एक महत्वपूर्ण विधेयक समझता हूं।

कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को अपने देश का एक महान समुद्री ताकत बनाने वाले विधेयक की नजर से देखा है। उन्हों ने वणिक् नौवहन को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की दूसरी सफ समझा है। मुझे इस सब में कोई आपत्ति नहीं। मगर फिर भी मैं इस संबंध में एक बात अवश्य कहूंगा कि हमें "दौड़ना सीखने से पहले चलना सीखना चाहिये।" मैं समझता हूं अगर हम इस विधेयक से एक ऐसा सौदागरी बेड़ा तैयार कर सके जिस से हमारे देश का सभी तटीय व्यापार तथा समुद्र पार का व्यापार अपने देश के जहाजों में हो सके तो हमारे लिये यह बड़ी प्रसन्नता व सन्तोष का विषय होगा। हमें धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना चाहिये। मेरे मित्र श्री तंगामणि ने भारत की समुद्री परम्पराओं का बड़े भावुक शब्दों में वर्णन किया है। मैं उन के भावों से सर्वथा सहमत हूं। किन्तु प्रश्न यह है कि इन परम्पराओं को फिर से कैसे स्थापित किया जाये ?

मैं समझता हूं जहां पर माननीय नौवहन मंत्री ने प्रतिरक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों से इस सम्बन्ध में परामर्श किया है वहां पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय से भी इस संबंध में बातचीत करनी चाहिये थी। देश की परम्पराओं को हम तभी कायम रख सकते हैं जब प्रारम्भ से ही बच्चों को उन के अनुसार शिक्षा दी जाये। मैं चाहता हूं पहले हमारे देश में स्वस्थ समुद्री परम्पराओं की स्थापना होनी चाहिये। फिर हम अपने आप किसी दिन समुद्री ताकत बन जायेंगे। अभी से हमें कल्पना की ऊंची उड़ानें भरने से कोई लाभ नहीं हो सकता।

अब मैं विधेयक के कुछ विशेष उपबन्धों को लेता हूं। सब से पहले मेरा यह निवेदन है कि सारे देश के लिये केवल एक नौवहन बोर्ड पर्याप्त नहीं है। हमें नौवहन उद्योग का प्रादेशिक आधार पर विकास करना चाहिये। इस के लिये हमें राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के साथ साथ अन्य सहायक रीजनल बोर्डों की स्थापना भी करनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि बोर्ड के कार्यों का उल्लेख करते हुए विधेयक में यह कहा गया है कि बोर्ड "ऐसे अन्य विषयों पर विचार करेगा जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उस के पास भेजे जायें।" इस से यह प्रकट होता है कि बौर्ड अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकेगा यह उपखंड बड़ा खतरनाक है। इस से बोर्ड का कोई महत्व नहीं रह जाता। मेरा निवेदन है कि बोर्ड को स्वतः कार्य करने का अधिकार होना चाहिये।

विदेशी पूंजी को साथ मिलाने के संबंध में कई सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि हमें नौवहन उद्योग में किसी विदेशी को साथ नहीं मिलाना चाहिये। भावनात्मक दृष्टि से मैं भी ऐसे लोगों से सहमत हूं परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर मैं समझता हूं कि हमें देश के हित में तथा वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ सीमित सीमा तक विदेशी पूंजी मिलाने में कोई भय नहीं करना चाहिये। इस से हमारे देश की प्रतिष्ठा में कोई आंच नहीं आयेगी।

इस विधेयक के अन्तर्गत एक नौवहन महानिदेशक नियुक्त करने का उपन्बन्ध किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्राधिकारी के क्या कर्तव्य तथा कार्य होंगे और यह प्राधिकारी अपना कार्य कैसे सम्पन्न करेंगे ? दूसरी बात यह है कि इस अधिकारी की क्या अर्हतायें आदि हों। इस संबंध में हमें कोई प्रविधिक अर्हताओं वाला तथा नौवहन के अनुभव वाला व्यक्ति ही नियुक्त करना चाहिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वह प्रशासकीय सेवा का ही व्यक्ति हो।

†मूल अंग्रेज़ी में

नौवहन विकास निधि के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है किन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह निधि कहां से आयेगी तथा इस में कौन कौन सी राशियां सम्मिलित होंगी ? मेरा निवेदन है कि इस के लिये निश्चित उपबन्ध किया जाना चाहिये कि अमुक अनुक तथा इतनी राशि इस निधि में डाली जायेगी । इस निधि के लिये ऋण आदि लेने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि इस निधि पर ही नौवहन उद्योग के विकास का दारोमदार है ।

विधेयक में समुद्री कर्मचारियों के लिये एक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड बनाने का भी उपबन्ध किया गया है । मैं चाहता हूं कि यह बोर्ड असली मानों में उन का कल्याण करने वाला बोर्ड साबित हो जिस से उन के जीवन में वास्तविक आकर्षण तथा सुविधायें पैदा की जा सकें ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि किसी भी देश का समुद्री बेड़ा केवल मात्र गैर-सरकारी लोगों के प्रयत्नों से ही नहीं बनाया जा सकता । उस के लिये सरकार को उदारता से राजकीय सहायता, सस्ते सूद पर ऋण तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता देनी जरूरी है । हम जहाजरानी के विकास को केवल प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं । सरकारी सामान देने के लिये केवल देशीय जहाजों का ही प्रयोग किया जाना चाहिये । सरकार को जहाजों के क्रय विक्रय के लिये उचित सुविधायें तथा व्यवस्था करनी चाहिये तथा जहाजी कंपनियों को करों से उद्धार छूटें आदि देनी चाहियें जिस से हमारे जहाज देश का सारा तटीय व्यापार तथा अधिक से अधिक समुद्र पार के व्यापार का भार अपने कंधों पर लेने के लिये आगे बढ़ सकें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : वाणिज्यिक नौवहन विधेयक के बारे में सदस्यों ने बड़ा तीव्र मत भेद प्रकट किया है । केवल इतना ही नहीं सरकार ने स्वयं भी इस विधेयक के संबंध में और विशेषकर विदेशी पूंजी को हिस्सेदार बनाने में, अपनी धारणाओं में आमूल चूल परिवर्तन कर लिया है । जब यह विधेयक प्रारम्भ में अपने मूल रूप में इस सभा में रखा गया था और संयुक्त समिति के बाद इस विधेयक की नीति में बड़ा अन्तर आ गया है । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने किन कारणों से अपनी नीति में इतना परिवर्तन किया है ? मैं समझता हूं मंत्री महोदय अवश्य इस विषय में इस सभा को अपने विश्वास में लेने का प्रयत्न करेंगे ।

वास्तव में संयुक्त समिति में भी हम को विदेशी पूंजी को हिस्सेदार बनाने के विरोध में तथा पक्ष में बड़े तर्क सुनाई दिये । प्रत्येक व्यक्ति यह कहता था कि उसका मत राष्ट्रीय हित की भावनाओं से प्रेरित है । इस प्रकार दोनों प्रकार की विचारधाराओं का लगातार प्रोपैगण्डा चल पड़ा और प्रत्येक विचारधारा वाला व्यक्ति दूसरी विचारधारा को बड़ा घातक तथा भयावना बताने लगा । इस तरह हमारे सामने कई भूत खड़े हो गये । मैं समझता हूं जब तक बिल्कुल ही आवश्यक न हो हमें विदेशी पूंजी को साझेदार नहीं बनाना चाहिये ।

मैं इस बात की अधिक चिन्ता नहीं करता कि क्या हमें विदेशी लोगों को साथ मिलाना चाहिये अथवा नहीं । किन्तु मुझे इस बात की बड़ी चिन्ता है कि हम अपने आन्तरिक साधनों से इस उद्योग की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पायेंगे ? योजना आयोग की अन्तिम रिपोर्ट में इस की जो दशा बताई गई है वह बड़ी शोचनीय दशा है । उस दशा को देखते हुए मुझे सन्देह उत्पन्न होने लगता है कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा कर पायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

हम ने निश्चित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को अपनाया है । उसके अनुसार मैं समझता हूं सरकार को प्राइवेट क्षेत्र के लोगों के साथ मिल कर इस उद्योग की उन्नति का प्रयत्न करना चाहिये। सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण भले ही न करे किन्तु उसे इस उद्योग का नियंत्रण अवश्य अपने हाथ में ले लेना चाहियें । उसे इस उद्योग के लिये एक निगम की स्थापना करनी चाहिये। इस से उस उद्योग की प्रगति में बड़ी सहायता मिल सकती है ।

आज कल जहाजरानी के उद्योग में बड़ी मंदी है। सरकार इस उद्योग का ऋणों द्वारा विकास कर के इस अवसर का बड़ा लाभ उठा सकती है क्योंकि इस समय इस उद्योग में कोई नया व्यक्ति पूंजी लगाने के लिये आगे नहीं बढ़ रहा है। इस लिये अब अगर सरकार आगे बढ़ती है तो लोगों को बड़ा हौसला हो जायेगा और शेष पूंजी स्वयमेव आगे आने लगेगी ।

विकास निधि के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह अधिक सन्तोषजनक नहीं है । मैं चाहता हूं कि हम इस निधि का अधिक अच्छा उपयोग कर सकें। मैं समझता हूं अगर हम इस निधि का सरकारी क्षेत्र में ही प्रयोग करें तो अधिक बेहतर रहेगा ।

संयुक्त समिति में मैं ने भी यह बात उठाई थी कि नौवहन बोर्ड का चेयरमैन गैर-सरकारी सदस्य होना चाहिये। किन्तु अब मैं समझता हूं कि अगर नौवहन महानिर्देशक भी इस के चेयरमैन रहें तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। क्योंकि बोर्ड नीति निर्धारण में पूर्णतया स्वतन्त्र रहेगा और महानिर्देसक उस की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी रहेंगे। इस तरह दलों के कार्यों में कोई विरोध नहीं उत्पन्न होता। मैं समझता हूं हमें अपने प्रशासकीय सेवाओं के व्यक्तियों तथा अपने आप पर पूरा विश्वास करना चाहिये । बोर्ड के चेयरमैन के लिये मैं किसी संसद्-सदस्य को नामनिर्देशित करने का भी समर्थन नहीं करता। हां अगर उस के लिये चुनाव हो तब मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

†**श्री बासप्पा** (तियतुर) : श्रीमान् कुछ समय पहले हम ने नौसेना विधेयक पारित किया था। अब हमें अपने देश में वाणिज्यिक जहाजों के विनियमन के लिये ऐसा विधेयक लाना उचित ही था ।

हमारे देश की प्राचीन समुद्री परम्परायें बड़ी गौरवपूर्ण रही हैं। हमारा बहुत प्राचीन काल में अरब और मिस्र से समुद्र द्वारा व्यापार होता रहा है। अंग्रेज़ी हकूमत में इन परम्पराओं को बहुत आघात पहुंचा है । हमें फिर से अपनी परम्परायें कायम करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

आज हमारे देश के विदेशी व्यापार का केवल ६ प्रतिशत व्यापार ही हमारे अपने जहाजों के द्वारा होता है। शेष व्यापार के लिये हमें भाड़े के रूप में प्रति वर्ष १६० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। यदि हम अपने नौवहन उद्योग का ठीक प्रकार से विकास कर लें तो हम प्रति-वर्ष इतनी राशि बचा सकते हैं ।

हमारे देश में जहाज़ निर्माण के उद्योग का ठीक विकास नहीं हुआ है। इस समय हमारे देश में विशाखापटनम में केवल एक ही कारखाने में जहाज़ बनते हैं। योजना आयोग ने दूसरा कारखाना बनाने की बातचीत की है। मगर अभी तक उस के लिये कोई ठोस काम नहीं हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी लोगों को हिस्सेदार बनाने के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि यदि सरकार वर्तमान एकाधिकारिक प्रवृत्ति को समाप्त कर के इस उद्योग का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले तो फिर २५ प्रतिशत तक विदेशी पूंजी को भी शामिल करने में कोई हानि नहीं है।

सरदार इकबाल सिंह (फ़ीरोज़पुर) : साहबेसदर, इस बिल पर बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है उस को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं एक दो चीज़ों के बारे में ही अपने विचार आप के सामने रखूंगा।

सब से पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह नैशनल शिपिंग बोर्ड (राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड) के सिलसिले में है। मैं ने कुछ अमेंडमेंट्स मूव करने का नोटिस भी दिया है जिन को मैं बाद में मूव करूंगा। इसलिये इस के बारे में मैं अधिक न कह कर के दो तीन बातें ही कहूंगा। ये बातें मैं जनरल पालिसी के सिलसिले में ही कहूंगा। आप इस बिल में नैशनल शिपिंग बोर्ड बनाने जा रहे हैं। यह जो खयाल है यह बहुत अच्छा है। लेकिन जिस ढंग से आप कर रहे हैं, जिस तरह की पावर्स (अधिकार) आप इस को देने जा रहे हैं, उस में मैं समझता हूं कि इस को बहुत कम पावर्स दी जा रही हैं। इस सूरत में मैं समझता हूं कि यह एक इफैक्टिव बाडी (प्रभावी संस्था) नहीं होगी और न ही हो सकती है। इस बोर्ड को आपने डिवेलेपमेंट के सिलसिले में अवश्य कुछ अखत्यारात दिये हैं। इस के साथ ही साथ आप ने कहा कि इस बोर्ड को उन मामलात पर राय देने का भी हक़ होगा जोकि इस को रेफर किये जायेंगे। मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड को ज्यादा रिप्रिजेंटेटिव (प्रतिनिधि) बनाया जाय, ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाय और इस को और ज्यादा पावर्स दी जायें ताकि यह अपना काम अच्छी तरह से कर सके। इस के जो अखत्यारात हैं उन को वसीह किया जाना चाहिये। हिन्दुस्तान में शिपिंग को सही रास्ते पर डालने के लिये इस से, मैं समझता हूं, और कोई इफैक्टिव और बेहतरीन बाडी दूसरी नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि इस के अखत्यारात को वसीह (बढ़ाया) किया जाय।

आप ने नैशनल डिवेलेपमेंट फंड (राष्ट्रीय विकास निधि) भी बनाया है। यह जो खयाल है यह ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बाकी फंड काम करते हैं उसी तरह से कहीं यह फंड भी काम न करे, इस तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि इस का चेयरमैन या इनचार्ज ही मुकर्रर न हो, और अगर वह मुकर्रर हो, तो कमेटी न बने और अगर कमेटी बने तो एक साल या दो सालों तक इस के रूल ही न बनें। मुझे शक है कि जिस तरह से दूसरे फंड चलते हैं उसी तरह से कहीं यह फंड न चले। इसमें कहा गया है कि आडिटर जनरल जिस वक्त चाहेगा, जितने सालों के लिये चाहेगा, और जितने सालों के बाद चाहेगा, रिपोर्ट देगा। हो सकता है कि पांच पांच साल के बाद रिपोर्ट आये। इस सिलसिले में मैं ने एमेंडमेंट भी दी है और मैं आशा करता हूं कि उस पर गौर किया जायेगा और उस में मैं ने चाहा है कि इस बोर्ड को ज्यादा इफैक्टिव बनाया जाय और हर साल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, वह पार्लियामेंट के सामने आये ताकि हम को तथा देशवासियों को पता लग सके कि शिपिंग के सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है, कितनी प्रगति हो रही है और क्या कुछ किया जाना चाहिये।

हमारे मुल्क में एक तो डिवेलेपमेंट का सवाल है और दूसरा सवाल यह है कि जो डिवेलेपमेंट हो रही है वह बहुत धीमे हो रही है, बहुत आहिस्ता हो रही है। जो लोग इस प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से डिफर करते हैं उन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हो सकता है कि उन का व्यू ठीक हो और यह भी हो सकता है कि जो दूसरों का व्यू प्वाइंट है वह दुरुस्त साबित हो। लेकिन एक बात जरूर है कि जो प्रगति हो रही है वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। हम ने देखा है कि पिछले सालों में शिपिंग इंडस्ट्री की डिवेलपमेंट बहुत ही कम हो पाई है। जो टारगेट

[सरदार इकबाल सिंह]

(लक्ष्य) सन् १९४७ के रेज़ोल्यूशन में मुकरर्र किये गये थे उन को पूरा नहीं किया जा सका। वे सब ख्वाब बन कर रह गये। इस के बाद पहले प्लान में जो टारगेट रखे गये थे वे भी पूरे नहीं हो सके। दूसरे प्लान में अब जो टारगेट रखा गया है, उस में भी शक है कि वह पूरा हो सकेगा। इस वास्ते सब से जरूरी बात यह है कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा जहाज़ आयें और ज्यादा से ज्यादा फारेन ट्रेड हमारे जहाज़ों में हो। इस पालिसी के साथ और उस पालिसी के साथ जोकि इस बिल में रखी गई है, अगर आप चलें तो शायद आप टारगेट को अचीव (लक्ष्यप्राप्त) कर लें। आप ने बिल में कहा कि ७५ परसेंट इंडियन कैपिटल हो और २५ परसेंट बाहर का कैपिटल हो। मैं समझता हूं कि इस स्कीम को लागू कर के शायद आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। यह मैं पिछली तारीख के आधार पर कह रहा हूं। अगर आप यह देखें कि पिछले सालों में कितने जहाज़ खरीदे गये हैं और दूसरे लोगों ने कितना कैपिटल लगाया है तो इस की पुष्टि हो जायगी। आप जहाज़ खरीदने के लिये कर्ज़ लेने की भी बात करते हैं और इक्विटी कैपिटल (सामान्य पूंजी) उन को लगाने की इजाज़त भी देते हैं। कर्जे लेने की आप ने कोशिश की है और कम से कम जहाज़ खरीदने के लिये तो हिन्दुस्तान को बाहर से कर्ज़ा नहीं मिल सका है। जहां तक इक्विटी कैपिटल का सम्बन्ध है, इस को आप कम से कम अगर परसंटेज बेसिस पर करेंगे, तो शायद कुछ कैपिटल आप को मिल जाय और हो सकता है कि आप को उस सूरत में कम कर्ज़े की ज़रूरत पड़े। इस तरह से शायद आप की जरूरत पूरी हो जाय। ऐसा करने से आप का जो टनेज (टनभार) का टारगेट है वह शायद पूरा हो जाय। अगर यह भी नहीं हुआ तो कम से कम एक ऐसा माहौल पैदा हो सकता है, ऐसा वायुमंडल पैदा हो सकता है कि ज्यादा लोग हिन्दुस्तान में शिपिंग के फील्ड में इनवैस्ट (पूंजी लगाने) करने के लिये तैयार हों।

अगर आप को कर्ज़ा नहीं मिलता है तो आप के पास कौन सा चारा है, इस पर भी आप को विचार करना है। कर्ज़े में आप को गारंटी भी करनी पड़ती है। शिपिंग एक इंटरनैशनल एंटरप्राइज़ (अन्तर्राष्ट्रीय उपक्रम) है। इस पर गारंटी भी आसानी से नहीं की जा सकती है। एक जहाज़ जो आज बीस लाख का लिया जाता है उस से हो सकता है उतना ही प्राफिट कल न हम को मिले जितना आज मिलता है--फ्रेट रेट्स (भाड़ा दर) कम हो सकते हैं, हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हालात के मुताबिक। हो सकता है कि जब प्राफिट ज्यादा न रहे तो आप लोन को रिटर्न न कर सकें। हिन्दुस्तान की जो फारेन ट्रेड है या जो कोस्टल ट्रेड है, हो सकता है वह टारगेट अचीव करने के बाद भी बहुत अधिक न हो। इस वास्ते इन दोनों बातों में आप को कम्प्रोमाइज़ करना होगा। आप को देखना होगा कि हिन्दुस्तान में ही ज्यादा जहाज़ खरीद सकने की ताकत हो और साथ ही साथ लोन्स को रिपे करने की ताकत हो। आप को इसे भी ध्यान में रखना होगा कि जहाज़रानी के कुछ बेहतरीन साल थे। एक साल तो वह था जब कोरिया की लड़ाई हुई थी। उस के बाद स्वेज़ का ब्लाकेड हुआ। ये दोनों साल जहाज़रानी के प्वाइंट आफ व्यू से बेहतरीन साल थे। अब उस के बाद इंटरनैशनल मार्किट में डिप्रेशन '(मंदी) आया है। जो जहाज़ पहले ३७ लाख में मिल सकता था आज वही २०-२५ लाख में मिलता है। इंटरनैशनल ट्रेड में आज डिप्रेशन आया हुआ है, इसलिये आप यह भी कह सकते हैं कि शायद आप को जहाज सस्ते मिल जायेंगे। लेकिन सस्ते जहाजों के साथ आप का वर्ल्ड कम्पिटीशन होगा। इस के साथ ही यह है कि हम ने हिन्दुस्तान में तीन रिफाइनरीज़ लगाई हैं। उन के लिये आप को टैंक्स की जरूरत होगी। शायद वह आप दूसरे देशों से न खरीद सकें। एक ओर तो यह कम्पिटीशन की स्पिरिट पैदा होती है। पहले तो लोगों को लोन दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि सस्ता लोन दिया जाय। कहा जाता है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स (व्यापारिक समझौते) ठीक से किये जायें। यह ठीक है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स ठीक ढंग से किये जायें। लेकिन इस के बावजूद सवाल यह है कि अगर हमारे

पास टनेज नहीं होगा तो फारेन एक्स्चेंज नहीं आ सकेगा। फारेन एक्सचेंज नहीं आ सकेगा तो हमारे लिये और भी बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप के पास रुपये की कमी है तो जहां से रुपया मिल सकता है, जिस इंडस्ट्री के पास सर्प्लस (अतिरिक्त) रुपया है, उन से रुपये ले कर आप जहाजों को क्यों नहीं लेते ? आज सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में बहुत से ऐसे काम हैं जिन को हम रुपये की कमी के कारण नहीं कर रहे हैं। जहां से रुपया मिल सकता है वहां से हम रुपया नहीं लेना चाहते और जहां से नहीं मिल सकता है वहां से लेना चाहते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह हमारा सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स है। मैं तो आप से पूछना चाहता हूं कि जब जंग हुई तो फ्रांस के पास कितने जहाज़ थे। यहां भी लोगों ने कहा है कि हमें जहाज ऐसे बनाने चाहियें कि उन को हम वक्त पड़ने पर जंगी जहाज़ों में तब्दील कर सकें। यह चीज़ जंग के नक्शे के मुखालिफ है, उसके माहौल के मुखालिफ है। हम इस को सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स तो कहते हैं, यहां पर भी हमने इस को सुना लेकिन आज के जमाने में नेवी बिल्कुल आब्सोलीट (पुरानी) हो चुकी है। आज जो भी प्वाइंट आफ व्यू सामने रक्खा जाय लेकिन यह ठीक है कि मर्चेन्ट नेवी के अलावा जो दूसरी नेवी है वह भी आब्सोलीट साबित हो सकती है।

श्री ब्रज राज सिंह : सभापति महोदय, अरब राष्ट्रों में क्रान्तिकारी भावनायें पैदा हो रही हैं। स्वेज संकट के समय जो बातें दिखाई दीं वे भी हमारे सामने हैं। ऐसे वक्त हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा बिल आया है जिस में विदेशी पूंजी को निमंत्रण है। २५ परसेन्ट के एक्स्टेंट तक निमंत्रण है। मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। हमने देखा है कि किस तरह अरब राष्ट्रों में विदेशी पूंजी ने वहां की राष्ट्रीयता को कुचलने की कोशिश की है। मुझे खतरा है कि हम जिस तरह से विदेशी पूंजी को निमंत्रण दे रहे हैं, उस इंडस्ट्री में जिस को खास तौर से देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति कहा जाता है, उस में विदेशी पूंजी को निमंत्रण देकर हम भविष्य के लिये खतरा मोल ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि निकट भविष्य में हमारे लिये लड़ाई का कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी एक खतरा हो सकता है कि हमारे देश में पहले से जो विदेशी पूंजी मौजूद है और जो हमारे देश के नागरिकों का शोषण कर रही है वह चलता रहे। उस शोषण को देखते हुए हम इस मौके पर क्या यह उचित समझेंगे कि और विदेशी पूंजी को यहां पर निमंत्रण दें। कहा गया कि इसमें सिर्फ २५ प्रतिशत उन के डाइरेक्टर होंगे, वे सिर्फ २५ फीसदी हमारी नीति को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न केवल इतना ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश में इस समय पूंजीपतियों के दो गुट हैं। एक तरफ हमारे देश के पूंजीपतियों का गुट और दूसरी तरफ विदेशी पूंजीपतियों का गुट। ७५ प्रतिशत पूंजी में हमारे देश के पूंजीपतियों का हिस्सा होगा। एक समय आ सकता है कि जब वे पूंजीपति विदेशी पूंजीपतियों से मिल कर हमारे राष्ट्र की नीति के खिलाफ काम करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस चीज़ पर गम्भीरता से विचार करें। हम विदेशी पूंजी को ही अपने देश में निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के एक ऐसे उद्योग में उन को बुला रहे हैं जिसको हम रक्षा की दूसरी पंक्ति कहते हैं। भले ही हम उन को दूसरे उद्योगों में हिस्सा देने को सहन कर सकें, लेकिन रक्षा की दूसरी पंक्ति में विदेशी पूंजी को सहन करने का मतलब होगा कि हम अपने देश के लिये खतरा ही नहीं पैदा करेंगे बल्कि उन के शोषण को भी बढ़ावा देंगे। एक तरफ तो हम राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, समाजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम विदेशी पूंजी को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज वक्त आ गया है, कि हमें चाहिये कि हम अपनी मर्चेन्ट नेवी को पूरी तरह से नैशनलाइज कर दें और यदि उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता है तो हम कम से कम उसको एक पब्लिक निगम के हाथ में दे दें। हमारे यहां जो शिपिंग इंडस्ट्री है, मर्चेन्ट नेवी में जो उद्योगपति हैं, उनको हमने कितना कर्ज दिया है। ८०, ८५ प्रतिशत और कहीं कहीं पर तो ९० प्रतिशत तक दिया गया है। सरकार विदेशों से कर्ज लेती है सवा ६ प्रतिशत पर मुल्क से लेती है सवा ४ प्रतिशत पर, लेकिन इन उद्योगपतियों को कर्ज देने जा रही है ३ प्रतिशत पर। मैं निवेदन करना चाहता हूं

[श्री ब्रज राज सिंह]

कि जब ऐसी स्थिति है, जब हमारे अपने खर्च के लिये रुपया चाहिये, जब हमें रुपया चाहिये ताकि हमारा उद्योग पनपे, ऐसी सूरत में यह कहां तक उचित होगा कि हम इस उद्योग को प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथ में बनाये रखें, चाहे वे देशी पूंजीपति हों या विदेशी। यहां जो चर्चा चल रही है उससे लगता है कि यहां पर दो गुट हैं, एक गुट चाहता है कि देशी पूंजीपतियों का उत्थान हो, दूसरा जो वर्ग है वह समझता है कि देशी पूंजीपतियों के ज्यादा आने से उन की मोनोपली नहीं रहेगी। वह चाहता है कि विदेशी पूंजी भी आ जाये।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : हम लोग दोनों को चाहते हैं।

श्री ब्रज राज सिंह : इन दोनों की लड़ाई में हम अपने मुल्क के फायदों को, मुल्क के नागरिकों का जो उत्थान है, उसको नहीं रख सकते। कहा जाता है कि हमारे मुल्क का डेढ़ सौ करोड़ रुपया फ्रेट में चला जाता है। जैसे जैसे मुल्क का उत्थान होता है, वैसे वैसे हमारा व्यापार दूसरे देशों से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मुल्क का व्यापार बढ़ता है, वैसे वैसे यह रुपया बढ़ता ही चला जायेगा ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि वह डेढ़ सौ करोड़ के बजाय दो सौ करोड़ हो जाय, दो सौ करोड़ से बढ़ कर ढाई सौ करोड़ हो जाय। यानी इस तरह से जो रुपया आप पैदा करेंगे उसे आप पूंजीपतियों को दे देंगे। इसी रुपये से आप इस उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं और वह चलता चल सकता है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या आज मुल्क में इस प्रकार के साधन हैं, जिससे कि हम इस उद्योग को पनपा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साधन पैदा करने से हो सकते हैं। इस मुल्क में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जिस उद्योग में हम आज पिछड़े हुए हैं उस में बहुत आगे बढ़ जायें। सात साल के अन्दर हमारे शिप्स और हमारे जहाज़ इतने बढ़ जा सकते हैं कि हम दूसरों पर निर्भर न करें। क्यों नहीं ऐसे साधन पैदा किये जा सकते ? मुख्य कार्य यह है कि हम लोगों को बतायें कि वे अपनी पूंजी निकालें। हमें मुल्क के लोगों के पास से धन निकालना चाहियें। वह धन आकर हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में लगे, जहाज़रानी के उद्योग में लगे। इस तरह की भावना आज देश के नागरिकों में फैलाने की ज़रूरत है ताकि हमारे देशवासी शिपिंग के व्यवसाय को उन्नत करने के लिए अपना पैसा दें और हम उसका कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए पबलिक निगम बनायें, एक कारपोरेशन बनायें। हम उसके लिए क़र्जा लें और जहां तक मैं समझता हूं बहुत आसानी से वह क़र्जा लिया जा सकता है। अब इसके लिए यह बात कही जा सकती है कि हम अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए मुल्क से क़र्जा नहीं ले पाते हैं और जिसके कि कारण आज हमारे मुल्क में संकट की एक लहर सी आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि यह संकट जो आ रहा है यह सरकार की ग़लत नीतियों के कारण से आ रहा है मुल्क में पैसे की इस रूप में कमी नहीं है जैसाकि ख़याल किया जाता है क्योंकि जिस देश ने आज़ादी प्राप्त करने के रास्ते में इतनी कुर्बानियां कीं और जिस देश के नागरिकों ने अनेकों कठिनाइयां झेल कर और कुर्बानियां देकर इस मुल्क की आज़ादी प्राप्त की, वे राष्ट्र निर्माण के लिये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सवाल तो यह उठता है कि आखिर हम कुर्बानी करें तो किस के लिए करें ? क्या हम यह कुर्बानी उन थोड़े से देशी और विदेशी पूंजीपतियों के लिये करें जोकि मिल कर इस काम को चलाना चाहते हैं ? जब यहां के लोगों को इस बात का विश्वास हो जायगा कि इस में मदद करना और अपना योग प्रदान करना राष्ट्र की और देशवासियों की भलाई करनी है तो वे सहर्ष इस में अपना योग प्रदान करेंगे और इसको उन्नत बनायेंगे। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस विषय में एक निश्चित नीति निर्धारित करे। हम साफ़ तौर पर यहां यह कहें कि मर्चेंट शिपिंग में क़तई प्राइवेट उद्योगपतियों का कोई हाथ नहीं रहेगा चाहे वे देशी उद्योगपति

हों या विदेशी उद्योगपति हों। इसका समाजीकरण होगा, राष्ट्रीयकरण होगा और इस व्यवसाय को सरकार अपने हाथ में लेकर सुचारू रूप से इसका संचालन करेगी। अगर सरकार इसको अपने हाथ में नहीं ले सकती तो कम से कम एक पबलिक कारपोरेशन बना कर उसके ज़रिये यह काम किया जाय। फिर हमारे सामने जो दूसरी दिक्कतें हैं चाहे वह रुपये की दिक्कत हो और चाहे किसी और तरह की दिक्कत हो, उन सब को हल किया जा सकता है। जब तक इस तरह की कोई एक निश्चित नीति नहीं बनती है और वही ढिलमुल नीति चलती रहती है कि विदेशी पूंजी १०० फ़ीसदी हो, ७५ फ़ीसदी हो, ६६ २।३ हो या ५१ फ़ीसदी हो, जब तक इस तरीक़े की गड़बड़ चलती रहेगी तब तक यह शिपिंग व्यवसाय ठीक से चलने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कि मुल्क के देशी पूंजीपति इस बात के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरीक़े से उनका शिपिंग इंडस्ट्री पर एकाधिकार बना रहे और विदेशी पूंजीपतियों को कोई हिस्सा न मिल जाय जबकि कुछ लोगों की यह राय है और मांग है कि राष्ट्र के उत्थान के लिए और शिपिंग इंडस्ट्री को उन्नत करने के लिए हमें विदेशी पूंजी को निमंत्रण देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह दोनों ही बातें खतरनाक हैं। मैं तो चाहता हूं कि शिपिंग इंडस्ट्री के काम को चलाने के लिए पबलिक कारपोरेशन बनना चाहिए अथवा उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और इसके अलावा शिपिंग जिसको कि रक्षा की दूसरी पंक्ति कहा जाता है उसकी सुरक्षा आप कर नहीं सकते।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा में माननीय सदस्यों ने जो रुचि दिखाई है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। जैसा कि विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने बताया था हमारे देश में पहली बार पोतों का एक रजिस्टर खोला जा रहा है। सभा में जो भावुकतापूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं, उनका उत्तर न दे कर मैं आलोचनाओं का उत्तर दूंगा।

जो आलोचना की गयी है वह रचनात्मक है और उसका उद्देश्य यही है कि भारत का राष्ट्रीय नौवहन यथासंभव विशाल तथा शक्तिशाली हो। अतः मैं आलोचना में कही गयी बातों का उत्तर बहुत मनोयोग से दूंगा।

सब से पहले श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का संशोधन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधेयक को फिर से संयुक्त समिति को सौंपा जाये क्योंकि इस में अभी अनेक त्रुटियां हैं और उन्होंने कहा कि नौवहन का कार्यकारिणी प्राधिकार राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को, जिसे बनाने की बात विधेयक में कही गयी है, सौंपा जाना चाहिए। उन्हें पता है कि जब यह विधेयक सभा के सामने रखा गया था उस समय राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का उसमें कोई उल्लेख नहीं था। देश की जनता की आकांक्षा थी कि यदि नौवहन का विकास हो तो केवल सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त किये गये किसी अधिकारी का ही उस पर नियंत्रण न हो और नौवहन नीति का निर्धारण देश के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाये। जनता की यह भावना समुचित थी और सरकार ने उस पर विचार करके देखा कि इस प्रकार माननीय सदस्यों के उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी।

नौवहन का निर्माण एक दिन में नहीं किया जा सकता उसी प्रकार कार्यकारिणी या कार्यसंचालक प्राधिकार का निर्माण भी एक दिन में नहीं किया जा सकता। इस कार्य में समय तथा अनुभव दोनों लगते हैं। कुछ समय व्यतीत होने पर जब हमारे नौवहन का निर्माण हो जायेगा, जब हम नौवहन का कार्यसंचालन सीख जायेंगे, तब ऐसा समय आयेगा कि हम एक बोर्ड को इसका अधिकार सौंपें। पर अभी तो हम कार्य आरम्भ कर रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन दे रहा हूं कि सरकार की इच्छा है कि वाणिज्यिक नौवहन के नीति सम्बन्धी सभी मामलों में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के परामर्श को

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री स० का० पाटिल]

आवश्यक माना जायेगा। अतः यह सोचना गलत है कि चूंकि यह एक परामर्श देने वाली संस्था है अतः इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कई माननीय सदस्यों ने कई कड़ी बातें कही हैं कि यह एक निःशक्त संस्था है और इसको निर्माण करना बेकार है। जब माननीय सदस्यों को यह बताया जायेगा कि हम किस प्रकार इस काम को करना चाहते हैं, तो उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जायेंगी।

मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने खण्ड ५ के उपखण्ड (ख) की कड़ी आलोचना की। खण्ड ५ के उपखण्ड (ख) में कहा गया है :

"इस अधिनियम द्वारा उत्पन्न होने वाले ऐसे अन्य मामलों पर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार उसके पास परामर्श के लिए भेजेगी।"

शायद मेरे माननीय मित्र ने खण्ड ५ के उपखण्ड (क) की ओर ध्यान नहीं दिया। उपखण्ड (क) में कहा गया है :

"बोर्ड भारतीय नौवहन के मामलों में, तथा उसके विकास सम्बन्धी मामलों में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देगा।"

इसका अर्थ यह है कि इस अधिनियम के अधीन आने वाली प्रत्येक बात के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को अधिकार होगा कि वह नीति निर्धारित करे और नौवहन के महानिदेशक तथा सरकार को तदनुसार परामर्श दे। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम ऐसी परम्परा बना देंगे कि नौवहन बोर्ड द्वारा दिये गये परामर्श को सरकार सभी प्रयोजनों के लिये स्वीकार करेगी। कुछ विषय तो ऐसे हैं, जो बोर्ड के क्षेत्राधिकार के भीतर हैं। खण्ड ४६१ में उन का वर्णन है। पर कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर बोर्ड विचार नहीं कर सकता, वे केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में हैं। ऐसे मामलों के सम्बन्ध में भी सरकार ने उपखण्ड (ख) के अधीन बोर्ड को अधिकार दिया है। जो मामले विधेयक की व्याप्ति में नहीं हैं, उन्हें भी हम बोर्ड के पास विचारार्थ भेजेंगे। अतः यह सोचना गलत है कि हम ने राष्ट्र की भावना को केवल संतुष्ट करने के लिये ही यह बोर्ड बनाया है। हम ने बोर्ड को इसलिये बनाया है कि हम उसे पर्याप्त अनुभव प्रदान करें ताकि वह भावी बोर्ड--अधिकार सम्पन्न बोर्ड--बन सके।

अतः मैं श्री त्रिदिब कुमार चौधरी से, जो विधेयक को पुनः संयुक्त समिति को सौंपना चाहते हैं, सहमत नहीं हूं। हम इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित करना चाहते हैं ताकि अगली बार हम गर्व के साथ कह सकें कि भारत के राष्ट्रीय रजिस्टर में इतने पोतों के नाम लिखे जा चुके हैं। अतः मैं नहीं चाहता कि विधेयक को फिर संयुक्त समिति को सौंपा जाय, क्योंकि इस से विलम्ब होगा।

अब मैं अन्य बातों को लूंगा। कुल २३ भाषण जो यहां हुए हैं उन में से लगभग ७५ प्रतिशत भाषणों में अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं और सरकार पर दोष लगाया गया है। मेरे मित्र श्री परुलेकर को जब इस विधेयक में कोई त्रुटि नहीं मिली तो उन्होंने पुराने विधेयक को ले कर कहा कि ऐसा प्रतिगामी विधेयक क्यों अधिनियमित किया जा रहा है। मैं उन की बातों का कुछ भी जवाब नहीं देना चाहता। कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि क्या सरकार खण्ड १२ के प्रभावों से भली भांति परिचित है; क्या उस के प्रभावों के बारे में सावधान है? मेरे सहकारी इस बात का उत्तर दे चुके हैं। एक बात इस सम्बन्ध में मैं और बता देना चाहता हूं कि इस खण्ड को सरकार किसी विकासात्मक या समृद्धि प्रयोजन के लिये नहीं लाई है बल्कि इसलिये लाई है कि भारतीय पोतों का एक रजिस्टर बनाया जाये। इसीलिये यह खण्ड है।

मैं इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं क्योंकि सरकार तो एक निरन्तर रहने वाली संस्था है। उस समय चाहे कोई भी मंत्री उस विधेयक का प्रभारी मंत्री रहा हो। मानलीजिये एक

पोत किसी विदेशी व्यक्ति का है। उदाहरण के लिये, वह भारतीय रजिस्टर में अपन को दर्ज करवा लेता है। आप जानते हैं कि भारतीय रजिस्टर में दर्ज करवाने का क्या अर्थ है? उस पर सिर्फ भारतीय झंडा ही नहीं लगेगा बल्कि उसे सभी भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। वह जो कुछ भी लाभ कमायेगा वह भारत में रहेगा। लाभ में प्रति रुपये में से १४ या १३ आना की दर से उसे भारत सरकार को देना होगा। उस के अतिरिक्त उसे सरकार तथा नौवहन के महानिदेशक की आज्ञा भी माननी होगी। ऐसी स्थिति में यदि कोई विदेशी व्यक्ति अपने पोत को भारतीय रजिस्टर में दर्ज कराये तो उसे मूर्ख ही समझा जायेगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि इतना होते हुए भी ––कि हम उसे कोई विशेषाधिकार या सुविधायें नहीं देंगे बल्कि उसे हमारे सभी आदेशों, नियमों तथा विनियमों को मानना होगा––कोई विदेशी भारतीय रजिस्टर में अपने पोत का नाम दर्ज करता है, तो इस में हमारा क्या दोष है। वैसे तो बाद में हम ने निश्चय कर लिया है कि हम ऐसी बात नहीं करेंगे। पर ऐसी स्थिति में यदि कोई यह कहे कि ऐसा जो उपबन्ध पहले था वह प्रतिगामी था, या बुरा था, यह बुरी बात है। मैं नहीं समझता कि ये सब बातें यहां कैसे पैदा होती हैं।

२५ प्रतिशत और ७५ प्रतिशत मांग की बात भी कही गई। कुछ लोगों को यह बात बड़ी रोमांचकारी लगी और कुछ लोगों ने इसे गलत बात कहा। पर इस में गन्दी या गलत कोई बात नहीं है। जैसाकि श्री बर्मन ने, जो संयुक्त समिति के सभापति थे, बताया कि १९४७ में जब हम ने अपनी राष्ट्रीय नौवहन नीति का निर्माण किया, तो ऐसे बहुत से लोगों ने जो भारतीय राष्ट्रजन नहीं थे––अर्थात् जो पाकिस्तानी थे––हमारे कुछ नौवहन समवायों में कुछ अंश ले लिये। उस समय उन को अलग करना कठिन था और आगामी १० से २० वर्ष तक की अवधि में उन को अलग करना कठिन होगा। अतः यदि हम कोई ऐसी विधि बनायें कि जब तक १०० प्रतिशत अंश भारतीयों के न हों तब तक किसी पोत को भारतीय रजिस्टर में नहीं दर्ज किया जा सकता तो ऐसे पोत भी दर्ज नहीं किये जा सकेंगे जिनमें १ प्रतिशत अंश भी किसी विदेशी का होगा। अतः प्रश्न पैदा हुआ कि कितने प्रतिशत अंश को हम प्रतिनिधि प्रतीक मानें ताकि पोतों को भारतीय रजिस्टर में दर्ज किया जा सके। तब यह तय हुआ कि २५ प्रतिशत विदेशी तथा ७५ प्रतिशत भारतीय अंश का अनुपात रखा जाये। यह बात नहीं है कि विदेशियों के २५ प्रतिशत अंश रहें बल्कि उन के लिये २५ प्रतिशत की छूट देना समुचित समझा गया। अतः ७५ प्रतिशत भारतीय तथा २५ प्रतिशत विदेशी की सीमा रखी गई। ऐसा इसलिये नहीं किया गया कि हमें पूंजी प्राप्त करना है। श्री रघुनाथ सिंह ने जिस भावना से बातें कही हैं यदि वही भावना हम सब में हो जाये तो मुझे विश्वास है कि १० वर्षों में हमारे पास शक्तिशाली वाणिज्यिक नौवहन हो जायेगा। अन्य देशों में भी जहां ऐसे उपबन्ध हैं वहां भी विदेशी लोगों न कोई अंश नहीं लिये हैं। इटली के अधिनियम में ५१ और ४९ का अनुपात है पर वहां भी किसी विदेशी ने एक भी अंश नहीं खरीदा है। संविधि में यह भी उपबन्ध है कि नौवहन जैसे राष्ट्रीय नियम के सम्बन्ध में हम अध्यादेश निकाल कर इस बात की रोक लगा सकते हैं कि भारतीय नौवहन के अंश कोई भी विदेशी न खरीदे। अतः विदेशी हमारे अंश खरीदते ही नहीं। अमरीका के अधिनियम में ६६ और ३३ का अनुपात है पर किसी भी विदेशी ने ३३ का कोई लाभ नहीं उठाया है। अतः ये उपबन्ध प्रतीकात्मक हैं क्योंकि १०० प्रतिशत की बात संविधि में रखना अच्छा नहीं मालूम होता। इस का अर्थ कुछ भी नहीं है। इस में एसी कोई भी नियत नहीं है कि विदेशी पूंजी को आकृष्ट किया जाय।

पनामा और लाइबेरिया का जिक्र किया गया। उनके पास क्रमशः ४० लाख तथा ७० लाख टन भार के पोत हैं। पर क्या आप जानते हैं वे कैसे पोत हैं? वे किसी विशेष मार्ग पर न चलने वाले मालवाही पोत हैं। उन पर पनामा या लाइबेरिया का झंडा इसीलिये होता है क्योंकि उन पर कोई कर नहीं लगता। कोई भी जाकर

[श्री स० का० पाटिल]

वहां पोत खरीद सकता है । आप भी वहां जाकर पोत खरीद सकते हैं । ये पोत वहां के राष्ट्रीय कानून के अधीन नहीं हैं जैसेकि हमारे देश में या किसी भी प्रगतिशील देश में हैं । अतः पनामा और लाइबेरिया का उदाहरण देना सही नहीं है । उनके पास इतना टनभार इसीलिये है कि विदेशों के लोग वहां जाकर पोत खरीदते हैं और वे उस देश की करारोपण विधि के अधीन नहीं होते और जहां चाहें वहां आ जा सकते हैं । अतः पनामा और लाइबेरिया के नौवहन से हमारे देश के नौवहन का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता ।

कुछ लोगों की धारणा है कि यदि अनुपात ४० और ६० का कर दिया जाये तो शायद कुछ विदेशी आकर अपनी पूंजी लगायेंगे । पर मैं बताना चाहता हूं कि आप ४० और ६० ही नहीं बल्कि ४९ और ५१ का अनुपात कर दें तो भी कोई भी विदेशी अपनी पूंजी नहीं लगायेगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग है और राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में है और बिना किसी अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के इसे किसी भी समय बदला जा सकता है । अतः हमें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि कहीं से भी समन्याय पूंजी आयेगी ।

कुछ लोगों का तर्क यह है कि साम्यवादियों और पूंजीवादियों द्वारा कही गई प्रत्येक बात का विरोध किया जाना चाहिये । पर स्थिति कुछ ऐसी है कि हमारे बीच साम्यवादी भी हैं, पूंजीवादी भी और राष्ट्रवादी भी । इस में क्या बुरी बात है यह तो एक अच्छी बात है कि हम सब एक सामान्य तथा सम्मिलित क्षेत्र में हैं । इस समय लगभग ३० बड़े-बड़े समवाय हैं । उन्होंने ७५ : २५ की बात कभी नहीं उठाई । यह बात तो सरकार ने पैदा की है । वे तो चाहते हैं कि यह अनुपात रहे । यह न तो पूंजीवादी अनुपात है और न साम्यवादी अनुपात है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : नौवहन का जिन लोगों को अनुभव है उन्होंने अपने लक्ष्य में बताया कि विदेशी पूंजी के आने की आशंका है ।

†**श्री स० का० पाटिल**: मुझे भी नौवहन का बहुत काफी अनुभव है । आज संसार में मंदी की स्थिति है । लगभग २० लाख टन भार बेकार पड़ा हुआ है । इसी कारण यह आशंका पैदा हुई है पर इसका कोई आधार नहीं है । खाली पड़े पोतों के लिये कोई काम नहीं है अतः संभव है कि वे समन्याय पूंजी में आ जायें । अतः यह भय बेकार है । उन्हें भय प्रकट करने की स्वतंत्रता है ।

नौवहन जैसे महत्वपूर्ण तथा नाजुक उद्योग के सम्बन्ध में, जहां हमें दर के बारे में चर्चा करनी होती है ; अन्य बातें करनी होती हैं; यह तय करना होता है कि किन देशों को हम क्या मदद देंगे तथा उन से क्या मदद लेंगे, अन्तर्राष्ट्रीय मत के सामने हम सबको एक ही बात कहनी चाहिये । पर यदि हम विदेशियों को भाग लेने की छूट देंगे तो वहां कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किये जायेंगे क्योंकि हमारे कई प्रतिनिधि होंगे । हम हमेशा यह बात नहीं कह सकते कि हम पूंजी तो लेंगे, पर हम कोई अधिकार उसके बदले में नहीं देंगे । हमारे समवाय विधि में कहा गया है कि यदि आप समन्याय पूंजी लेंगे तो आपको उस के बदले में समवाय के प्रशासन में भी भाग देना पड़ेगा । अतः यह कहना उचित तथा न्याय नहीं होगा कि हम दूसरों की समन्याय पूंजी ले लें पर उन्हें प्रबन्ध में कोई भाग न दें । हम नहीं चाहते कि समन्याय पूंजी के रूप में हमारे भारतीय नौवहन में कोई विदेशी पूंजी आये । ७५ प्रतिशत और २५ प्रतिशत का अनुपात तो एक प्रतीक है इसका कोई अर्थ नहीं है । हमें भय लगता है कि यदि कोई विदेशी इस २५ प्रतिशत के अधीन कोई समन्याय पूंजी हमारे नौवहन में लगाता है तो हमें उसके निदेशक भी नियुक्त करने पड़ेंगे । अतः हमें इस २५ प्रतिशत के अधीन विदेशी पूंजी बिल्कुल नहीं लेनी है । क्या श्री रघुनाथ सिंह का सुझाव है कि नौवहन जैसे नाजुक तथा महत्वपूर्ण मामले में हम विदेशी पूंजी को आने की अनुमति दे देंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ सुविधायें दी गई हैं। ठीक है ये सुविधायें भारत सरकार को दी जा सकती हैं और वह ४९ प्रतिशत भाग लेने को भी तैयार हैं। पर नौवहन के मामले में किसी को भी कोई सुविधा नहीं दी गई है। ध्यान रहे कि समवाय विधियों के अनुसार इस काम को चलाया जायेगा। दो-तिहाई बहुमत से इसके मामले तय किये जायेंगे। हमने तीन-चौथाई बहुमत की व्यवस्था रखी है। ऐसा हमने इसलिये रखा है कि यह एक राष्ट्रीय मामला है और अन्य प्रगतिशील देशों में भी ऐसा ही उपबन्ध है। इस में कोई खतरे की बात नहीं है इसीलिये हमने इसे स्वीकार किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हम सरकार के हाथों में शक्ति देना चाहते हैं। यदि वे चाहें तो वे स्वयं भी कुछ अधिकार ले सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यह सभा उस प्राधिकार को काफी शक्ति दे रही है। अतः यदि सभा हमें कोई अधिकार दे रही है तो उसे प्राप्त करने में मुझे प्रसन्नता है। अतः यदि श्री रघुनाथ सिंह का विचार है कि सारी शक्ति सरकार अपने हाथ में रखे तो सरकार सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेगी और मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हम, जैसी कि अभी तक करते आये हैं, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यदि हमें किसी अधिकार की आवश्यकता होती है तो हम संशोधन ले कर सभा के सामने आते हैं और अधिकार की मांग करते हैं। पर इसके बाद भी यदि मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि कोई विशेष अधिकार सरकार के ही हाथों में रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः इस बात को लेकर कोई मतभेद पैदा करना ठीक नहीं है।

श्री परुलेकर और श्री पटनायक ने कई बार कहा कि नौवहन का स्थान सैनिक रक्षा की दृष्टि से दूसरे नम्बर का है। ठीक है, यदि उनका संकेत हमारे पोतों के निर्माण की मजबूती के संबंध में था तो हमारे पोत काफी मजबूत बन रहे हैं। श्री भरूचा ने डंडकिर्क की बात कही। ठीक है ऐसी स्थिति के लिये भी हमारा नौवहन---अन्य देशों के नौवहन के समान, काफी समर्थ और सक्षम है। वैसे यह रक्षा की दृष्टि से सेना के बाद दूसरे नम्बर की महत्व की चीज है क्योंकि इससे हमारा खाद्य आता है ; अन्य सामान आता है। अतः यह बात तो स्पष्ट ही है। इस सम्बन्ध में हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि हमारे पोत अच्छे स्तर के हों। ताकि युद्ध के समय वे हमारे काम आ सकें और उनपर रखकर तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया जा सके। हमने नौसेना तथा वाणिज्यिक विभाग से राय कर ली है और उन सबों ने हमें राय दी है कि हमें यह प्रबन्ध करना चाहिये।

अतः यह जो २५ प्रतिशत और ७५ प्रतिशत अथवा ४० प्रतिशत या ६० प्रतिशत का भेद-भाव रखा गया है इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। हम यह नहीं चाहते कि हमारे देश में इस प्रकार विदेशी पूंजी आये। १५० करोड़ की विदेशी मुद्रा के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं पर यह सारी राशि हमें यों ही नहीं मिल जायेगी। पोतों में सामान आता जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम अपना माल अपने पोतों द्वारा मंगवायेंगे। अतः ये बातें परस्पर बैठकर तय की जायेंगी। पोत मार्गों के सम्मेलन में यह बात तय होगी कि पोतों की संख्या के अनुसार किस देश को कितने प्रतिशत मिलेगा। अतः १५० करोड़ की राशि की बात काफी संदेहात्मक है। हमारे पास यदि कल ही पोत हो जाये तो भी यह १५० करोड़ की सारी राशि हमें नहीं मिलेगी।

कई लोगों के दिमाग में एक यह भी गलतफहमी है कि इस काम में विदेशी मुद्रा की ही कठिनाई है। यदि कल ही २० लाख ५० हजार टन जी० आर० टी० के पोत हमारे पास आ जायें तो उनको इस्तेमाल करना बहुत कठिन होगा। यही काफी नहीं है कि पोतों की खरीद के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा हो या देश के भीतर धन मिल जाये। इन पोतों की सेवा तथा इनके संचालन के लिए क्या व्यवस्था होगी। एक ओर आप कहते हैं कि हमारे ६६,००० या ६०,००० नाविकों में केवल ५,००० भारतीय हैं। स्पष्ट है कि आप के पास मास्टरर्स तथा मेट्स की कमी है। अतः

[श्री स० का० पाटिल]

यदि आप अतिरिक्त पोत ले भी लेते हैं तो आप उन्हें चलायेंगे कैसे ? जब तक आप मास्टरर्स और मेट्स की व्यवस्था नहीं कर लेंगे आप के पोत चलेंगे कैसे ?

अतः पोतों के टन भार के साथ कर्मचारियों या प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। इस समय हमारे यहां डफरिन, मद्रा तथा मेखला नामक प्रशिक्षण केन्द्र हैं पर हमें इनकी क्षमता को दूना, तीन गुना और चार गुना बढ़ाना होगा ताकि हम अपने पोतों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्त कर सकें। पोतों को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। उसके लिये हमें पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी आवश्यकता होगी। अतः पोतों के साथ साथ हमें उनकी संख्या की वृद्धि भी करनी चाहिए।

अतः इन सब बातों की जरूरत है। कोई चिन्ता करने की बात नहीं है कि हमारी द्वितीय योजना का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इस समय हमारे पास ६,५०,००० टन के पोत चल रहे हैं। कमी १२०,००० टन की है। ४०,००० टन और जोड़ दिया गया है क्योंकि उस समय तक कुछ पोत बेकार हो जायेंगे। इस प्रकार कुल कमी १,६०,००० टन की है।

यदि हम १०,००० जी० एम० टी० के पोत खरीदें तो हमें १६ पोत खरीदने पड़ेंगे। यदि पोत कुछ छोटे हुए तो २० पोत खरीदने होंगे। इनका दाम इस समय लगभग २० करोड़ रुपये होगा। अतः २० करोड़ का २० प्रतिशत पहली किस्त देकर हम पोत प्राप्त कर सकते हैं। शेष ८० प्रतिशत दाम तो पोत खुद पूरा कर देगा क्योंकि वह आते ही विदेशी मुद्रा कमाना शुरू कर देगा। अगले २ या ३ वर्षों में २००,००० टन का लक्ष्य पूरा करना हमारे लिये संभव नहीं है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमें १००० लाख डालर का ऋण मिल रहा था पर हम ने लेने से इनकार कर दिया। इस से १०० पोत आ सकते थे पर इनके चलाने के लिए कर्मचारियों की कोई व्यवस्था नहीं थी।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि हमें ऋण ले लेना चाहिए। पर हमें ऋण लौटाना तो पड़ेगा ही। हमें केवल धन की ही आवश्यकता नहीं है। ५००,००० टन की पूर्ति के लिए धन तो हमें मिल जायेगा। जनता के सहयोग तथा विधेयक में की गयी व्यवस्था के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आगामी १० या १५ वर्षों में हमारा २० लाख या २० लाख ५० हजार का लक्ष्य भी पूरा हो जायेगा।

श्री माथुर तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने नौवहन विकास निधि के बारे में कहा कि इस से क्या लाभ होगा। उन्होंने इस संस्था को डाकघर का सा बताया। पर ऐसी बात नहीं है। इस में जो धन जमा होगा वह प्रति वर्ष व्यपगत नहीं होगा जैसा कि अन्य मंत्रालयों के अनुदानों आदि में होता है। सभा पता लगा सकती है कि प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपये के हिसाब से जमा की गयी राशि सुरक्षित है या नहीं। इस निधि की व्यवस्था करके हम नौवहन व्यापार तथा देश को प्रेरणा दे रहे हैं। प्राप्त ऋण भी इसी निधि में जमा किये जायेंगे। बाद में इसी धन से हम अपने पोत बनवा सकते हैं। अतः हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि यह राशि बहुत थोड़ी होगी।

एक दो संशोधन ऐसे हैं जिनको मैं स्वीकार कर सकता हूं। जैसा कि श्री रघुनाथ सिंह ने कहा कि ७५ प्रतिशत और २५ प्रतिशत रहना चाहिए और इसके अतिरिक्त सरकार को अन्य कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है पर यदि सभा चाहती है कि सरकार को अधिक अधिकार दिये जायें तो मुझे उस से भी कोई आपत्ति न होगी। संयुक्त

समिति के सभापति श्री बर्मन ने सुझाव दिया कि राज्य सभा और लोक सभा के प्रतिनिधित्व को १ और २ के अनुपात से रखा जाये अतः इस सभा के सदस्यों की संख्या ३ के बजाय ४ कर दी जाये और संसद् की कुल संख्या ५ के बजाय ६ कर दी जाये । मैं इस को स्वीकार कर लूंगा । इस प्रकार कुल सदस्य संख्या २१ को भी २२ करना होगा । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि २१ सदस्यों की परिभाषा नहीं की गयी है । इसका भी कारण है । हमें नौवहन का विकास धीरे-धीरे करना है । दो या तीन वर्ष बाद इनकी व्याख्या दे दी जायेगी कि ये कौन लोग होंगे । इस समय तो यह सावधानी रखी गयी है कि पूंजीपतियों तथा नाविकों को समान प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ताकि किसी को यह शिकायत न हो कि अमुक वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व है । हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात पैदा हो । हम तो चाहते हैं कि हमारे नौवहन का सर्वाधिक विकास हो । मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह विधेयक को आगे बढ़ाये ताकि अगले सत्र में हम बता सकें कि हमारे राष्ट्रीय रजिस्टर में कितने पोत दर्ज हो गये हैं ।

सभापति महोदय द्वारा विधेयक को संयुक्त समिति को पुनः सौंपने के बारे में श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्यिक नौवहन सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

[दैनिक संक्षेपिका]

[मंगलवार, १६ सितम्बर, १६५८]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३१८५—३२११

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२६५	दिल्ली के अध्यापक	३१८५—३१८७
१२६६	हिमाचल प्रदेश में अफीम के भूतपूर्व कृषकों का पुनर्वास .	३१८७—३१८६
१२६७	रूरकेला में उपोत्पादों के कारखाने . . .	३१८६–३१६०
१२६६	राष्ट्रीय एटलस	३१६०–३१६१
१२७१	उर्दू	३१६२
१२७२	कपड़ा उद्योग को दी गई पेशगियां . . .	३१६२—३१६५
१२७३	राष्ट्रमंडल बैंक	३१६५
१२७४	उज्जैन में खुदाई	३१६६
१२७५	सर्व सेवा संघ	३१६६—३१६८
१२७६	कन्नड़ भाषा का उपन्यास . . .	३१६८—३२००
१२७८	जीवन बीमा निगम	३२००—३२०२
१२७६	समाज विरोधी तत्व	३२०२—३२०४
१२८०	अजन्ता की गुफाएं	३२०४
१२८१	पुलगांव के विमान बल केन्द्र में चोरी . . .	३२०४–३२०५
१२८३	अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करने में विलम्ब . .	३२०५—३२०७
१२८४	तिलपत रेंज	३२०७
१२८७	वारंगल में इंजीनियरिंग कालेज	३२०८–३२०६
१२८८	विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध	३२०६

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१३	अशोक होटल	३२०६—३२११

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३२११–३२५३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२६४	छात्रों के रहन-सहन की दशा	३२११
१२६८	मद्यनिषेध	३२११–३२१२
१२७०	निज़ाम के वित्तीय मंत्रणाकार	३२१२
१२७७	केन्द्रीय काच तथा मृच्छिल्प गवेषणा संस्था, कलकत्ता	३२१२
१२८२	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	३२१२–३२१३
१२८५	रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये मशीनें	३२१३
१२८६	तस्कर व्यापार	३२१३
१२८६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता	३२१४
१२६०	उड़ीसी नृत्य	३२१४–३२१५
१२६१	मनीपुर में बम विस्फोट	३२१५
१२६२	ऋण सूचना व्यूरो	३२१६
१२६३	रासायनिक इंजीनियरी	३२१६
१२६४	इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा	३२१६
१२६५	भारत का राज्य बैंक	३२१७
१२६६	राष्ट्रीय बचत मंत्रणा समिति	३२१७
१२६७	मनीपुर में निवृत्ति वेतन	३२१७
१२६८	जलियांवाला बाग, अमृतसर, में स्मारक	३२१७
१२६६	विश्वविद्यालय की शिक्षा	३२१८
१३००	आज़ाद हिन्द फौज के पुलिस कर्मचारी	३२१८
१३०१	गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता	३२१८
१३०२	इंजीनियरी के छात्रों के लिये छात्रावास	३२१८–३२१६
१३०३	नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय	३२१६
१३०४	ज़ोनों के लिये सामान्य रक्षित पुलिस बल	३२१६–३२२०
१३०५	'मानव मथित्र'	३२२०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०६०	विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता	३२२०
२०६१	मद्यनिषेध	३२२०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश ः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०६२	अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के भूमिहीन लोग	३२२०–३२२१
२०६३	अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पीने के पानी के कुएं	३२२१
२०६४	विदेशों में भारतीय छात्र	३२२१
२०६५	बम्बई को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान	३२२१
२०६६	अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां तथा पिछड़े वर्ग	३२२२
२०६७	भारत का राज्य बैंक	३२२२
२०६८	लक्कादीव द्वीप समूह के लिये डाकघर	३२२२
२०६९	आदिम् जाति और अनुसूचित जाति के छात्र	३२२३
२१००	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों के लिये मकान	३२२३
२१०१	कृषि विज्ञान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	३२२३–३२२४
२१०२	गैर-सरकारी वैज्ञानिक तथा गवेषणा संस्थायें	३२२४
२१०३	लाल किला, दिल्ली, के दर्शकगण	३२२४–३२२५
२१०४	पहाड़ी स्थानों का भत्ता	३२२५
२१०५	आन्ध्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये मकान	३२२५
२१०६	आन्ध्र प्रदेश में बहु प्रयोजनीय स्कूल	३२२५–३२२६
२१०७	सैनिकों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	३२२६–३२२७
२१०८	राजस्थान में पुस्तकालय	३२२७
२१०९	राजस्थान में प्राइमरी और बेसिक शिक्षा सम्बन्धी योजनायें	३२२७
२११०	राजस्थान में मंदिर	३२२८
२१११	कोटा (राजस्थान) के करदाता	३२२८
२११२	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा राजस्थान का दौरा	३२२८
२११३	जब्तशुदा सोना और चांदी	३२२९
२११४	महेन्द्रगढ़ में इस्पात की पुनर्बेलन मिलें	३२२९
२११५	जाब में माध्यमिक शिक्षा	३२२९
२११६	पुस्तकालय सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति	३२३०
२११७	विद्यार्थियों के लिये श्रम तथा समाज सेवा शिविर	३२३०

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२११८ पया यात्री चैक . . ३२३०–३२३१

२११९ प्रतिनिधिमण्डल ३२३१

२१२० किशनगंज (बिहार) का एकीकरण . ३२३२

२१२१ मजूरी और वेतन ३२३२

२१२२ तेल शोधनशालायें ३२३२–३२३३

२१२३ दिल्ली में भूमिदारी अधिकार . ३२३३

२१२४ त्रिपुरा में समाज शिक्षा केन्द्र . . ३२३३

२१२५ आदिम जाति विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र ३२३४

२१२६ दस्तावेजों का अनुवाद . ३२३४

२१२७ परीक्षा और मूल्यांकन कर्मशाला के सम्बन्ध में गोष्ठी ३२३४

२१२८ सैनिक अधिकारियों के लिये गृह-निर्माण . ३२३५

२१२९ उद्योग के लिये पुनर्वित्त निगम . ३२३५

२१३० पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा अपराध ३२३६

२१३१ खनिज पदार्थ . ३२३६

२१३२ पुलिस चौकियां और थाने ३२३६

२१३३ जनरल तिमैया की अमेरिका यात्रा ३२३६–३२३७

२१३४ एक स्विस राष्ट्रजन की गिरफ्तारी ३२३७

२१३५ निर्वाचन याचिकायें . . . ३२३७

२१३६ मनीपुर में चोरी छिपे लाये गये माल की जब्ती . ३२३७–३२३८

२१३७ त्रिपुरा में भू-विक्रय . ३२३८

२१३८ इस्पात का आयात . . ३२३८

२१३९ बाल-अपराध . ३२३९

२१४० विदेशी पूंजी विनियोजन . . . ३२३९

२१४१ पर्यटकों की गाड़ी ३२३९–३२४०

२१४२ अनुसूचित जातियों और भूतपूर्व अपराधी जातियों के लिये घर ३२४०

२१४३ पुस्तकाध्यक्षों का प्रशिक्षण . . . ३२४०

२१४४ चोरी छिपे लाये गये सोने की जब्ती . ३२४१

२१४५ माध्यमिक शिक्षा . . ३२४१

२१४६ 'कन्टेम्पोरेरी इंडियन लिटरेचर' . . ३२४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२१४७	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	३२४२
२१४८	उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें .	३२४२
२१४९	छात्रवृत्तियां . . .	३२४२–३२४३
२१५०	न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों में अपीलें .	३२४३
२१५१	प्रतिरक्षा मंत्रालय की समितियां	३२४३
२१५२	पंजाब की शिक्षा संस्थायें . .	३२४३
२१५३	सहायतार्थ परीक्षण कार्य तथा अकर्म वेतन .	३२४३–३२४४
२१५४	दार्जिलिंग में विदेशी .	३२४४
२१५५	तेल शोधनशालायें . .	३२४४
२१५६	कोटला-मुबारकपुर में शामलात जमीन .	३२४४–३२४५
२१५७	सरकारी उपक्रमों का लेखा-परीक्षण	३२४५
२१५८	छात्रवृत्तियां . .	३२४५
२१५९	पुरातत्व विभाग के महानिदेशक . .	३२४५–३२४६
२१६०	पानी की कमी के कारण स्कूलों का बन्द किया जाना	३२४६
२१६१	नजरबन्द सम्बन्धी नियमों का पुनरीक्षण .	३२४६–३२४७
२१६२	दिल्ली जेल . . .	३२४७
२१६३	सरकारी नौकरियों में स्नातक और उत्तरस्नातक	३२४७
२१६४	औद्योगिक व्यापार संस्थाओं को आय-कर से छूट	३१४८
२१६५	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम .	३२४८
२१६६	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान .	३२४८
२१६७	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का कर्मचारी-वर्ग .	३२४९
२१६८	पंजाब में पिछड़े वर्गों को कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण .	३२४९
२१६९	पंजाब में आय-कर दाता	३२४९
२१७०	हिमाचल प्रदेश में मंदिर	३२४९–३२५०
२१७१	पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिये लोहे की नालीदार चादरें .	३२५०
२१७२	अनुसूचित जातियों के सैक्शन आफीसर .	३२५०
२१७३	भारत का जीवन बीमा निगम . .	३२५०
२१७४	पाकिस्तान को भेजा गया कोयला . . .	३२५१
२१७५	उच्चतमन्यायालय . .	३२५२
२१७६	असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा	३२५२–३२५३

विषय पृष्ठ

दो सदस्यों की गिरफ्तारी ३२५३

अध्यक्ष ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें निम्नलिखित सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई है :—

(१) श्री अटल बिहारी वाजपेयी को १५ सितम्बर, १९५८ को गोंडा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११७ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है।

(२) श्री राम सेवक यादव को १२ सितम्बर, १९५८ को न्यायालय का अपमान करने के अभियोग में बाराबंकी में गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजा दी गई।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३२५४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :— . .

(१) विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत छूट की निम्नलिखित घोषणाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) संख्या १/२१/५८-एफ० १ दिनांक १२ अप्रैल, १९५८ . . . (६ घोषणायें)

(दो) संख्या १/२३/५८-एफ० १ दिनांक १९ अप्रैल, १९५८ . . . (१ घोषणा)

(तीन) संख्या १/२५/५८-एफ० १ दिनांक ३० अप्रैल, १९५८ . . (१ घोषणा)

(चार) संख्या १/२८/५८-एफ० १ दिनांक २९ मई, १९५८ . . . (५ घोषणायें)

(पांच) संख्या १/३२/५८-एफ० १ दिनांक २७ जून, १९५८ . . . (२ घोषणायें)

(छः) संख्या १/३६/५८-एफ० १ दिनांक ९ अगस्त, १९५८ . . . (१ घोषणा)

(सात) संख्या १/३५/५८-एफ० १ दिनांक १८ अगस्त, १९५८ . . . (१ घोषणा)

(आठ) संख्या २३/२०/५८-एफ० १ दिनांक २७ अगस्त, १९५८ . . (१ घोषणा)

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गयेपत्र—(क्रमशः)

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ७४१ दिनांक ३० अगस्त, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ७४२ दिनांक ३० अगस्त, १९५८ जिन के द्वारा सीमा शुल्क प्रत्याहृत (हाथी दांत की चीजें) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन किया गया है ।

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ३० अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७४३ में प्रकाशित सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (पायरेथ्रम का सत) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३२५५–३२५६

श्री केशव ने बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में की गई कमी और जीवन बीमा निगम के नये व्यापार पर उस के प्रभाव की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया । राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . . ३२५६—३२९५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव तथा विधेयक को पुनः संयुक्त समिति को सौंपने के संशोधन पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । संशोधन अस्वीकृत हुआ और विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत ।

बुधवार, १७ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

वाणिज्यक नौवहन विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार विचार और उसे पारित करना तथा द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की संभावनाओं तथा मूल्यांकन के सम्बन्ध में योजना आयोग के ज्ञापन पर चर्चा ।